लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-92
Fumigated
On 4.7.89
Parliament Library

[खंड 58 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 18—गुरुवार, 18 अगस्त, 1966/27 श्रावण, 1888 (शक)

No. 18—Thursday, August 18, 1966/Sravana 27, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		पृष्ठ/PAGES
S. Q. Nos.		
509. अवैतनिक (आनरेरी) डाक्टरों द्वारा त्याग पत्र देने की धमकी	Threat of Resignation by Honorary Doctors ..	1—7
510. विदेशी सहायता	Aid from Abroad	8—9
516. तस्कर व्यपार में अन्तर्ग्रस्त उत्पादन-शुल्क कर्मचारी	Excise Staff involved in Smuggling ..	9—11
517. मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी	M/s. Bird and Co. ..	11—13
522. चीनी अफीम का तस्कर व्यापार	Smuggling of Chinese Opium	13—15
523. भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये रूस से सहायता	Soviet Assistance for India's Fourth Plan ..	15—20
अ० सू० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
12. ब्रह्मपुत्र के नियंत्रण के बारे में अमरीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट	U. S. Expert's Report on Control of Brahmaputra	20—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
512. अफीम का अवैध निर्यात	Illegal export of opium ..	23
513. अनुसूचित जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes ..	23—24
514. परियोजनाओं के लिये सहायता	Aid for Projects ..	24
515. ऐडवांस इंश्योरेंस कम्पनी, बम्बई	Advance Insurance Co. Bombay	25

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
518. मुद्रा का मूल्यह्रास	Currency Depreciation	..	26
519. कच्चे माल का आयात	Import of raw materials	..	26
520. कलकत्ता-मध्य में शराब की दुकान पर छापा	Raid on Wine-Bar in Central Calcutta	..	26—27
521. ग्राम्य उद्योग परियोजनायें	Rural Industries Projects	..	27
525. हीराकुड बिजली घर	Hikrakud Power Plant	..	27—28
526. युगोस्लाविया के साथ ऋण सम्बन्धी करार	Credit Agreement with Yugoslavia	..	28
527. नदी जल विवाद	River Water Disputes	..	29
528. आसाम में बाढ़ नियन्त्रण	Flood control in Assam	..	29
529. सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	Security Paper Mill, Hoshangabad	..	29—30
531. दिल्ली में यमुना नदी में बाढ़	Floods in Jumna in Delhi	..	30—31
532. राजस्थान को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Rajasthan	..	32
533. राष्ट्रीय आय	National Income	..	32
534. इलेक्ट्रानिक संगणक (कम्प्यूटर)	Electronic Computers	..	32—33
535. दिल्ली में मकानों का गिराया जाना	Demolishing of Houses in Delhi	..	33—34
536. अन्तर्राज्य बिक्री कर	Inter-State Sales Tax	..	34
537. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता	Interim Relief to Central Government Employees	..	35
538. तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects in Third Plan		35—36
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
2603. केरल में मकान बनाने की योजनाएं	Housing Schemes in Kerala	..	36
2604. कोजीकोड में पीने के पानी की कमी	Drinking Water Scarcity in Kozhikode	..	37
2605. मैसूर से केरल को बिजली का सम्भरण	Electricity Supply to Kerala from Mysore	..	37
2606. सरकारी मुद्रणालय कोराट्टी	Government Press, Koratti	..	38

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
2607. घड़ियों का आयात	Import of Watches	..	38
2608. केरल में जल सम्भरण योजनाएं	Water Supply Schemes in Kerala	..	38—39
2609. परिवार नियोजन का लक्ष्य	Targets of Family Planning		39
2610. वैगाई नहर आधुनिकीकरण योजना	Vaigai Canal Modernisation Scheme	..	40
2611. केरल में बिजली में कटौती	Power Cut in Kerala	..	40
2612. केरल के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि	Increase in pay to Government Servants in Kerala	..	41
2613. लक्कदीव द्वीप समूह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres in Laccadive Islands		41
2614. रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में मूर्तियों की स्थापना	Installation of Statues at Reserve Bank, New Delhi	..	41—42
2615. केरल राज्य में कुंडारा के लिये जल सम्भरण योजना	Water Supply Scheme for Kundara in Kerala	..	42
2616. सरकारी इमारतों को सजाने के लिये कलाकार समिति	Committee of Artists for Decoration of Government Buildings	..	42—43
2617. अनधिकृत बस्तियों का नियमित किया जाना	Approval of Unauthorised Colonies		43
2618. केरल में एर्णाकुलम का जनरल अस्पताल	Ernakulam General Hospital in Kerala		43
2619. श्री सावरकर का स्मारक	Memorial to Shri Savarkar		44
2620. उद्योगों को करों में रियायत देना	Tax Relief to Industrial Units		44—45
2621. अन्य देशों से तदर्थ तकनीकी सहायता	Ad-hoc Technical Assistance from other Countries	..	45—46
2622. कानपुर के बागला उद्योग समूह से आय-कर की बकाया राशि	Income-tax due from Bagla Group of Industries, Kanpur		46
2623. स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन के विरुद्ध कर अपवंचन के आरोप	Tax Evasion Charges against the Late Dr. T. Saiffudin		47
2624. आय-कर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears	..	47

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2625. श्री हरि दास मुंदड़ा के विरुद्ध मामले	Cases against Shri Hari Das Mundhra	48
2626. एल्लेप्पी मेडिकल कालेज के लिये सहायक अनुदान	Grants-in-Aid to Alleppey Medical College ..	48—49
2627. फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा लोक स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के लिये अनुदान	Garnts by Ford Foundation for Public Health and Family Planning	49
2628. केरल भूमि सुधार अधिनियम	Kerala Land Reforms Act ..	49
2629. रामकृष्णपुरम में क्वार्टरों का निर्माण	Constructi on of Quarters in Rama-Krishnapuram	50
2630. बम्बई में सोने की तस्करी	Gold Smuggling in Bombay	50
2631. लू लगने से मृत्यु	Fatal Heat Stroke cases	51
2632. सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर	Accommodation to Government Employees ..	51—52
2633. दिल्ली में चेचक के रोगी	Small Pox Cases in Delhi ..	52—53
2634. दिल्ली में मकानों की कमी	Shortage of Houses in Delhi	53
2635. विकसित भूमि की बिक्री	Sale of developed Land	53—54
2636. औसत पारिवारिक आय का सर्वेक्षण	Survey of Average Family income ..	54
2637. चौथी पंचवर्षीय योजना	Fourth Plan	55
2638. भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना का अध्ययन करने के लिये विश्व बैंक का दल	World Bank Team to study India's Fourth Plan ..	55
2639. अन्धे बच्चों की शिक्षा	Education of Blind Children ..	56
2640. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes in U. P. ..	56
2641. केन्द्रीय गृह-निर्माण वित्त निगम	Central Housing Finance Corporation	56—57
2642. छिपाये हुए जेवरात का बम्बई में पकड़ा जाना	Unaccounted Jewellery seized in Bombay ..	57
2643. परिवार नियोजन के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष (युनिसेफ) से सहायता	UNICEF Aid for Family Planning ..	57

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

2644. विकलांग बालकों को शिक्षा सम्बन्धी सहायता	Educational Assistance to Handicapped Children ..	57—58
2645. निर्वाह व्यय	Cost of Living	58
2646. राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	58
2647. रामगंगा परियोजना	Ram Ganga Project	59
2648. दिल्ली में मच्छरों का उत्पात	Mosquito Menace in Delhi ..	60
2649. जीवन बीमा निगम द्वारा मकानों के निर्माण के लिये ऋण	L. I. C. House building Loans	60—61
2650. विभिन्न राज्यों में सिंचाई क्षमता	Irrigation potential in Defferent States	61
2651. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की परिवार नियोजन सम्बन्धी तालिका	UNICEF Panel on Family Planning	61
2652. नागार्जुन सागर परियोजना से सिंचाई	Irrigation from Nagarjuna sagar Project ..	62
2653. नागार्जुन जलाशय के निर्माण कार्य का पूरा होना	Completion of Nagarjunasagar Reservoir ..	62—63
2654. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	63
2655. नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on Urban Property	63—64
2656. योजना आयोग पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on Planning Commission ..	64
2657. वेश्याओं की दशा के बारे में सर्वेक्षण	Survey reg. conditions of Prostitutes ..	64—65
2658. दिल्ली में मकान मालिकों की मांगें	Demands of House Owners in Delhi ..	65
2659. दिल्ली में बिजली व्यवस्था में घटा बढ़ी तथा खराबी	Fluctuation and Break down of power Supply in Delhi	66
2660. सरकारी कर्मचारियों के वेतन	Salaries of Government Employees	66—67

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

2661. उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के लिये धन इकट्ठा करना	Collection of Fund for Ex-Cheif Minister of U. P. ..	67
2662. 2 पैसे के सिक्के	2 Paise Coins ..	67—68
2663. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings ..	68—69
2664. बंधित श्रमिक	Bonded Labour ..	69
2665. वृहत कलकत्ता के लिये योजना	Plan for Greater Calcutta ..	69—70
2666. रिजर्व बैंक द्वारा स्टर्लिंग के वायदे के सौदे	Forward Sales of Sterling by Reserve Bank	70—71
2667. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	National Sample Survey	71—72
2668. उपूसी (नेफा) के लिये पेय जल की योजनायें	Drinking Water Schemes for NEFA	72
2669. आयातित सामान और करेंसी का पकड़ा जाना	Seizure of Imported goods and currency ..	72—73
2670. सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling	73
2671. राष्ट्रीय रक्षा ऋण योजना	National Defence Loan Scheme	73—74
2672. भविष्य निधि योजनायें	Provident Funds Schemes ..	74
2673. अनुसूचित जातियों का आर्थिक उत्थान	Economic Uplift of Scheduled castes ..	74
2674. विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में सूचना देने वाले लोगों को पारितोषिक	Rewards to informants of Violation of Foreign Exchange Regulations ..	75
2675. हिमाचल प्रदेश के जल संसाधन	Hydel Potential of Himachal Pradesh ..	75—76
2676. पूना में विद्यार्थियों को यौन सम्बन्धी रोग	Incidence of V. D. among Poona Students ..	76—77
2677. दिल्ली में बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना देना	Flood Forecasting in Delhi	77
2678. कालीकट में जल संभरण	Water Supply in Calicut ..	77—78

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2679. डमडम हवाई अड्डे पर चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का जब्त किया जाना	Smuggled goods seized at Dum Dum Airport	78
2680. पतित नारियों के लिये निकेतन	Homes for Fallen Women ..	78
2681. आयात	Imports ..	79
2682. लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून	Legislation on Public Health	79—80
2683. मंत्रालयों के लिये इमारतें	Buildings for Ministries ..	80
2684. दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना	Demolition of Jhuggis in Delhi ..	80—81
2685. नई दिल्ली में इर्विन रोड की दुकानों में आग लगना	Fire in Shops in Irwin Road, New Delhi ..	81
2686. झुग्गियों को गिराना	Demolition of Jhuggis ..	81
2687. बाढ़ नियंत्रण के लिये वृहत योजना	Master Plan for Flood Control	81—82
2688. नई दिल्ली में लाजपत नगर में विषाक्त भोजन का मामला	Food Poisoning case in Lajpat Nagar New Delhi ..	82
2689. मैसूर में आवास कार्यक्रम	Housing Programmes in Mysore ..	82—83
2690. आगरा में आय-कर सम्बन्धी अपीलें	Income-Tax Appeals in Agra	83—84
2691. तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र कोटा	Technical Training Centre, Kotah	84
2693. खर्च में कटौती	Cut in Expenditure	85
2694. धोबियों तथा नाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना	Inclusion of Washermen and Barbers in List of Scheduled Castes	85
2695. कैंसर के लिये बिजली का इलाज	Bio-Electric Treatment for Cancer	85—86
2696. अगरतला नगरपालिका के कर्मचारियों की मांगें	Agartala Municipal Employees' Demands ..	86
2697. बाढ़ों के कारण हुई हानि	Loss due to Floods	86—87
2698. तस्करी	Smuggling	87—88

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
2699. फरक्का बांध परियोजना	Farakka Barrage Project	..	88
2700. दामोदर घाटी निगम अधिनियम	Damodar Valley Corporation Act	..	88—89
2701. भारत का यूनिट ट्रस्ट	Unit Trust of India	..	89—90
2702. त्रिपुरा में फसल की हानि	Loss of Crops in Tripura	..	90
2703. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की शिकायतें	Grievances of C. H. S. Doctors	..	90—91
2704. पेंशन के मामले	Pension Cases	..	91
2705. हिन्दुस्तान मोटर वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता पर छापा	Raid on Hindustan Motor Works Ltd. Calcutta	..	91
2706. रामकृष्णपुरम् में क्वार्टरों के निर्माण में घटिया किस्म के सामान का प्रयोग	Sub-Standrad Meterial Used in Construction of Quarters in R. K. Puram	..	92
2707. केरल में विकास योजनाएं	Development Plans in Kerala	..	92
2708. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का उत्थान	Uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	..	92—93
2709. अशोक होटल, नई दिल्ली में इलैक्ट्रिशियन की मृत्यु	Death of Electrician in Ashoka Hotels, New Delhi	..	93
2710. इन्द्रपुरी कालोनी में गन्दगी	Unhygienic Conditions in Indrapuri Colony	..	93—94
2711. चौथी योजना में समाज कल्याण	Social Welfare in Fourth Plan		94—95
2712. आत्महत्याओं की रोकथाम	Prevention of Suicides	..	95
2713. पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण	Identification of Backward Areas	..	95
2714. सहकारी चीनी कारखानों को ऋण	Loans to Co-operative Sugar Factories	..	96
2715. मैसर्स अमींचन्द प्यारे लाल के मामले	Affairs of M/s Aminchand Pyarelal		96—97
2716. सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, नासिक	Security Printing Press, Nasik	..	97
2717. अशोक होटल के कर्मचारियों के लिये सरकारी स्वास्थ्य योजना	C. G. H. Scheme for Ashoka Hotels Employees	..	98

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2718. कोलार स्वर्ण क्षेत्र	Kolar Gold Fields ..	98—99
2719. हिन्दुराव अस्पताल, दिल्ली में डाक्टरों की लापरवाही के कारण एक रोगी की मृत्यु	Death of a patient due to Negligence of Doctors in Hindu Rao Hospital, Delhi ..	99
2720. पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर तस्कर व्यापार	Smuggling Activities on East-Pakistan Border	99
2721. उत्तर प्रदेश में सिंचाई	Irrigation in U. P.	100
2722. नरैना, दिल्ली में निम्न आय वर्ग आवास योजना	Low Income Group Housing Scheme in Naraina, Delhi ..	100
2723. नवीन शाहदरा में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा का औषधालय	C. G. H. S. Dispensary at Navin Shahdra ..	101
2724. हिन्दी असिस्टेंट	Hindi Assistants ..	101—102
2725. आर्थिक कार्य विभाग में कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of employees in Economic Affairs Department	102
2726. हिन्दी आफिसर	Hindi Officers ..	102
2727. स्वर्ण नियंत्रण आदेश के सम्बन्ध में अभ्यावेदन	Representation on Gold control Order ..	102—103
2728. अमरीकी दूतावास द्वारा पी० एल० 480 निधि में से खर्च किया गया धन	Money spent by U. S. Embassy out of PL480 Fund	103
2729. भारत सेवक समाज पत्थर तोड़ सोसायटी	Bharat Sewak Samaj stone crushing society ..	103—104
2730. उड़ीसा में आय-कर का अपवंचन	Evasion of Income-Tax in Orissa ..	104
2731. आय-कर अधिकारी	Income-Tax Officers	105
2732. नई दिल्ली में गोल मार्केट क्षेत्र में क्वार्टर	Quarters in Gole Market Area, New Delhi ..	105—106
2733. नई दिल्ली में रणजीत होटल	Ranjit Hotel, New Delhi	106
2734. खाद्यान्न को लादना, उतारना और उसको लाना ले जाना	Handling and Transport of Foodgrains ..	106—107
2735. दिल्ली में जल के दूषित होने का खतरा	Threat of Water Pollution in Delhi	107

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2736. रिजर्व बैंक के गवर्नर	Governors of Reserve Bank ..	107—108
2737. तीन योजनाओं की कालावधि में गरीब और अमीर के बीच असमानता	Disparity between Rich and Poor in three Plans ..	108—109
2738. भारत में विदेशियों द्वारा किराये की अदायगी	Rent paid by Foreigners in India	109
2739. दिल्ली के किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि	Leased Land to Farmers of Delhi	109
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	110—112
मिजो नेशनल फ्रंट के एक संदेश-वाहक से दस्तावेजों के पकड़े जाने के समाचार	Reported seizure of documents from Mizo National Front Courier ..	110
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	110
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ..	110,111,112
बिहार के मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege against Chief Minister of Bihar	112
कर्नल अमरीक सिंह उर्फ के० एस० साही के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of privilege against Col. Amrik Singh Alias K. S. Sahi ..	112—114
विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में	Re. Questions of Privilege	114
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	114—115
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	115
तिरानबेवां प्रतिवेदन	Ninety-third Report	115
कार्य मन्त्रणा समिति	Business Advisory Committee	115
उन्चासवां प्रतिवेदन	Forty-Ninth Report	115
प्रधान मंत्री की छिपे नागाओं के नेताओं के साथ हुई बातचीत के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Prime Minister's talks with underground Naga Leaders ..	115—118
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ..	115, 116, 117, 118
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member ..	118—119
श्री अतुल्य घोष	Shri Atulya Ghosh ..	118—119

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Third Report of Rules Committee	.. 119—122
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	119
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	120
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	120
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	121
श्री बड़े	Shri Bade	121
श्री कृष्ण मूर्तिराव	Shri Krishnamoorthy Rao	.. 121—122
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1966-67	Demands for Supplementary Grants, (General) 1966-67	.. 122—128
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	Shri Narendra Singh Mahida	.. 122—123
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	.. 123—124
श्री व० बा० गांधी	Shri V. B. Gandhi	.. 124—125
श्री कृष्णपाल सिंह	Shri Krishna Pal Singh	.. 125—126
श्री दाजी	Shri Daji	.. 126—127
श्री बड़े	Shri Bade	128
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के तेहरवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Thirteenth Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	.. 128—136
श्रीमती चन्द्रशेखर	Shrimati Chandrasekhar	.. 128—129
श्री बसुमतारी	Shri Basumatari	.. 129—130
श्री वारियर	Shri Warior	.. 130—132
श्री गुलशन	Shri Gulshan	132
श्रीमती अकम्मा देवी	Shrimati Akkamma Devi	.. 132—133
श्री मं० रं० कृष्ण	Shri M. R. Krishna	.. 133—134
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	.. 134—136
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram	.. 136
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	.. 136
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये माध्यम के बारे में आधे घंटे की चर्चा	HALF-AN-HOUR Discussion Re. Media for U. P. S. C. Examinations	.. 137—139
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	.. 137—138
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	.. 138—139

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 18 अगस्त, 1966/ 27 श्रावण, 1888 (शक)

Thursday, 18 August, 1966/Sravana 27, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अवैतनिक (ऑनरेरी) डाक्टरों द्वारा त्यागपत्र देने की धमकी

+
*509 **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नि० चं० चटर्जी :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री बागड़ी :
डा० रानेन सेन :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री हृ० प० चटर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री किशन पटनायक :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :
श्री मधु लिमये :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० श्रीनिवासन :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री उमानाथ :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मौलाना आजाद मेडिकल कालेज तथा इर्विन अस्पताल से सम्बद्ध काफी अवैतनिक (आनरेरी) फिजिशियनों, सर्जनों तथा प्रोफेसरों ने उनके द्वारा की गई आनरेरी सेवाओं की शर्तों के बारे में कालेज तथा सम्बद्ध अस्पतालों के प्रिंसिपल तथा निदेशक के साथ मतभेद होने के परिणाम स्वरूप त्यागपत्र दे दिये हैं और अन्य डाक्टर ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन त्याग पत्रों के कारण, अस्पताल सेवाएं तथा अध्यापन का कार्य न रुके इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) और (ख). केवल एक अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी ने त्यागपत्र दिया है। इससे अस्पताली सेवाओं तथा अध्यापन कार्य में कोई रुकावट नहीं आई है।

Shri Yashpal Singh : These persons who are doing honorary work are prominent persons of India. They are not given the treatment they deserve. Dr. Sen has been honoured wirh the title of Padam Bhushan by the President. In view of this can the treatment meted out to Dr. Sen at present be termed appropriate by any means ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : The honoraries are also being treated honourably. Nobody has been treated badly.

Shri Yashpal Singh : He is being forced to resign. On what grounds he is being asked to tender his resignation ?

Dr. Sushila Nayar : The Hon. Deputy Minister stated that one man resigned. It is the rule of the hospital for a longtime that at least three hours should be given to the hospital. When he was asked to observe that rule, he resigned. Barring him no other person has resigned.

श्री प्रिय गुप्त : भारत जैसे विकासशील देश में, विशेष रूप से जबकि अस्पताल और चिकित्सीय कालेज उच्च ख्याति के चिकित्सक, डाक्टर और प्राध्यापक, जिनकी संख्या भारत में बहुत ही कम है, अवैतनिक शल्य चिकित्सकों, अवैतनिक चिकित्सकों और अवैतनिक प्राध्यापकों पर समय की कठोर शर्तें लागू नहीं की जानी चाहिएं। क्या यह सच नहीं है कि केवल तीन घंटे ही नहीं ऐसे भी अवसर आये हैं जबकि एक प्राध्यापक या डाक्टर, एक चिकित्सक या शल्य चिकित्सक ने अस्पतालों में 18 घंटे से भी अधिक समय दिया है ? इन परिस्थितियों में यह कैसे सम्भव है कि एक प्रिंसिपल, जिसकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की गई है और विधिवत नहीं की गई है देश को, जनता को और विद्यार्थियों को, अवैतनिक शल्य चिकित्सकों को केवल इसलिए पीड़ा पहुंचाकर कि वे उसकी इच्छाओं पर अमल नहीं करते, हानि पहुंचा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : प्रिंसिपल की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों और निदेशों के अनुसार की गई है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या उसको निजी प्रैक्टिस की अनुमति दी गई है ?

डा० सुशीला नायर : हमने निदेशक/प्रिंसिपल के पद का विज्ञापन दिया था और दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्तमान प्रिंसिपल का नाम एक संपर्क उम्मीदवार के रूप में भेजा गया था। संघ लोक सेवा आयोग ने इन्टरव्यू के बाद उसको सूची पर सर्वप्रथम रखा और स्वास्थ्य मंत्रालय को उसके साथ शर्तों के बारे में बात चीत करने का निदेश दिया क्योंकि हमने जो शर्तें रखी थीं वे उनको मंजूर नहीं थीं। पहले तो हमने विरोध किया परन्तु फिर हमें संघ लोक सेवा आयोग की सलाह और दिल्ली प्रशासन की इच्छाओं का पालन करने की मंत्रणा दी गई थी और डा० ढांडा

के साथ बातचीत हुई थीं। डा० ढांडा संबंधी बात यह थी कि वह इस संस्था की सेवा करने और इसको सही मार्ग पर चलाने के लिए वह कुछ वर्ष का समय देने के लिए तैयार थे, परन्तु यदि उन्होंने अपने व्यवसाय से बिल्कुल सम्बन्ध तोड़ दिया तो बाद में जब उनको 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष के पश्चात उस व्यवसाय में लौटना होगा तो उनके लिए बहुत कठिनाई होगी क्योंकि वह स्थाई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उनको पेन्शन या अन्य किसी सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं है। सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ काफी बातचीत के बाद संघ लोक सेवा आयोग की इच्छा के अनुसार उनको नियुक्त कर दिया गया था।

जहां तक अवैतनिक पद्धति का सम्बन्ध है यह कुछ संस्थानों में प्रचलित है : दिल्ली में एक संस्थान में, बम्बई और मद्रास में कुछ संस्थानों में और हो सकता है कुछ अन्य स्थानों पर भी।

श्री प्रिय गुप्त : कलकत्ता में सभी संस्थाओं में।

डा० सुशीला नायर : कलकत्ता में भी। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है उनकी प्रतिशतता 10-15 से अधिक नहीं है। परन्तु हम इन व्यक्तियों के साथ इसलिए सम्बन्ध बनाये हुये हैं कि उनको अनुभव हो सके और जनता उनके अनुभव से लाभ उठा सके। किसी ने भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं की है। यदि निदेशक/प्रिंसिपल ने नियमों के पालन पर आग्रह किया है तो यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसकी शिकायत की जाय। यदि आवश्यक समझा गया तो नियमों में संशोधन किया जा सकता है, परन्तु जब तक नियम हैं—और वे आज ही नहीं बनाये गये हैं—उनका पालन होना चाहिए और उन्होंने केवल इन नियमों के पालन के लिए ही कहा है।

श्री प्रिय गुप्त : उन्होंने गलत जानकारी दी है। पद पुनः विज्ञापित की गई थी। मंत्री जी बेकार ही प्रिंसिपल को संरक्षण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी . ऐसा प्रतीत होता है कि अवैतनिक चिकित्सक और शल्य-चिकित्सक आदि, जिनका इस संस्थान से 20 वर्ष से भी अधिक से सम्बन्ध है, वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं। हो सकता है प्रिंसिपल नियमों के अनुसार बिल्कुल ठीक हो, परन्तु ये व्यक्ति इस संस्थान की अनोखी सेवा कर रहे हैं और सरकार ने उनमें से कुछ को पुरस्कार देकर उनकी सेवाओं को मान्यता भी दी है। डा० एन० एस० जैन, जिन्होंने त्याग पत्र दिया है सारे देश में चोटी के नेत्र शल्यचिकित्सकों में से एक हैं, और डा० सेन का नाम भी लिया गया है। वह भी देश के विख्यात शल्यचिकित्सकों में से एक हैं। अतः क्या माननीय मंत्री ने इस पर विचार किया है कि वहां पर क्या कठिनाई है और क्या एक संतोषजनक हल ढूंढने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के श्रेष्ठ माध्यम का लाभ उठाया जा सकता है ?

डा० सुशीला नायर : स्वास्थ्य मंत्रालय इस स्थिति में नहीं है कि वह दिल्ली प्रशासन को निदेश दे कि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त नियम बनाये। नियम एक श्रेणी के सारे लोगों के लिए बनाये जाते हैं। एक बात जिस पर अवैतनिकों को आपत्ति थी, यह थी कि उनसे यह आशा

की जाती थी कि जब वे आयें और जायें तो रजिस्टर में अपने नाम के आगे हस्ताक्षर करें ? यह बात अवैतनिक तथा पूर्णकालिक अधिकारियों दोनों पर ही लागू होती थी। उनकी इच्छाओं और भावनाओं का पालन करते हुए उस नियम में संशोधन कर दिया गया है।

डा० रानेन सेन : सभी बड़े शहरों और बड़े अस्पतालों में जहां तक हम जानते हैं अवैतनिक चिकित्सकों, शल्यचिकित्सकों और प्राध्यापकों की पद्धति चालू है और व्यवहार रूप में यह सिद्ध हो चुका है कि इससे विद्यार्थियों, रोगियों तथा संस्थानों सभी को लाभ पहुंचा है और यह कि यह अवैतनिक पद्धति चालू रहनी चाहिए।

दिल्ली प्रशासन या प्रिंसिपल या स्वास्थ्य मंत्रालय अवैतनिक चिकित्सकों की इस पद्धति को समाप्त करने के इतने इच्छुक क्यों हैं ? इसके पीछे क्या कारण है ?

श्री प्रिय गुप्त : प्रिंसिपल की हीनता की भावना।

डा० सुशीला नायर : मैंने बताया है कि न ही दिल्ली प्रशासन, न ही प्रिंसिपल और न ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही कोई ऐसी नई बात की है जिस पर कोई व्यक्ति आपत्ति उठा सके। सिवाय इसके कि जिन थोड़े से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है वे नियम निदेशक/प्रिंसिपल द्वारा लागू किये जाते हैं। जहां तक अवैतनिक पद्धति की उपयोगिता का सम्बन्ध है इसके बारे में दो रायें हैं। जिस हद तक यह पद्धति चालू है हमने उस हद तक इसको चालू रखना ठीक समझा है। इस समय यह स्थिति है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह संस्थान केवल अस्पताल और विद्यार्थियों के लिए ही लाभप्रद है या डाक्टरों के लिए भी समान रूप से लाभप्रद है जिनका व्यवसाय काफी बढ़ जाता है ? यदि हां, तो क्या दिल्ली के अस्पतालों और अन्य स्थानों पर अवैतनिक डाक्टरों के लिए न्यूनतम समय देने का कोई नियम है या उनको, स्वतंत्रता है कि वे जो चाहे करें, जिनमें डा० सेन भी शामिल हैं जिन्होंने मंत्री महोदय पर व्यक्तिगत रूप से आक्रमण किया है ? क्या वे आकर न्यूनतम समय नहीं दे सकते और अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकते ?

डा० सुशीला नायर : मैं मानती हूं कि अवैतनिक पद्धति से डाक्टरों को उतना ही लाभ पहुंचता है जितना कि अन्य किसी व्यक्ति को या उससे भी अधिक। क्योंकि एक स्पष्ट मामला देखने में आया है कि कुछ बातों की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता था, इसीलिए पूर्णकालिक एककों का संस्थान चलाना पड़ा था। जैसा कि मैंने बताया है, इस समय अस्पताल और कालिज में केवल 10-15 प्रतिशत ही अवैतनिक कर्मचारी हैं और अधिकांश एककों में पूर्णकालिक कर्मचारी रख लिए गये हैं। इससे पूर्ण-कालिक कर्मचारियों में काफी असंतोष होता है क्योंकि उनको निजी व्यवसाय की अनुमति नहीं दी जाती जब कि अवैतनिक व्यक्ति निजी व्यवसाय कर सकते हैं और काफी धन कमा सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की यह जोरदार राय है कि जो अनुसंधान और अध्यापन करना चाहते हैं उनको पूर्णकालिक कर्मचारी बना दिया जाये और जो पैसा कमाना चाहते हैं उनको निजी व्यवसाय करना चाहिए।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि लोक संघ सेवा आयोग द्वारा दिये गये मूल विज्ञापन में यह शर्त रखी गई थी कि एक अवैतनिक शल्यचिकित्सक या चिकित्सक का निजी व्यवसाय नहीं होना चाहिए ? इस व्यक्ति ने अपने आवेदन पत्र में यह शर्त रखी कि उनको निजी व्यवसाय की अनुमति दी जानी चाहिए। उनके मामले में आरम्भ में रखी गई शर्त को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हटा दिया गया था। यदि ऐसा है तो, संघ लोक सेवा आयोग ने पद का पुन: विज्ञापन क्यों नहीं दिया, क्योंकि तब डा० ढांडा की भांति बहुत से व्यक्तियों ने, जिनको ज्ञान और अनुभव था और जो, यदि उनको निजी व्यवसाय की अनुमति दे दी जाती, उसी शर्त पर काम करना पसन्द करते, अपने आवेदन पत्र दे दिये होते।

डा० सुशीला नायर : प्रैक्टिस करने की शर्त को संघ लोक सेवा आयोग के निदेश पर हटा दिया गया था। मैं मानती हूं कि जब हमें संकोच था और हम निश्चय करने का प्रयत्न कर रहे थे, मुझे अपने साथी श्री हुमायून् कबिर और अन्य व्यक्तियों से संदेश मिला कि डा० सेन इस पद के लिए अपनी सेवायें देने और अपना निजी व्यवसाय छोड़ने के लिए तैयार थे। परन्तु हम डा० सेन को यह पद पेश करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि दिल्ली प्रशासन ने संघ लोक सेवा आयोग को डा० ढांडा का नाम भेजा था और संघ लोक सेवा आयोग ने डा० ढांडा के नाम की सिफारिश की थी।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा है। संघ लोक सेवा आयोग ने एक विशिष्ट शर्त रखी थी। उस शर्त का एक ऐसे व्यक्ति के मामले में त्याग कर दिया गया जिसने अपनी ही शर्तें रखीं। मेरा निवेदन यह है कि संघ लोक सेवा आयोग ने पुन: विज्ञापन क्यों नहीं दिया ताकि डा० ढांडा की तरह मिलती-जुलती शर्तों के साथ अन्य बहुत से व्यक्ति अपने आवेदन पत्र दे देते और अधिक व्यक्तियों में से हम निश्चय ही चुन सकते थे ?

डा० सुशीला नायर : यहां पर ख्याल यह था कि पुन: विज्ञापन देने पर भी हमें कोई अधिक अच्छा व्यक्ति मिलेगा (**व्यवधान**)।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। क्या मंत्री को अपने ख्यालों पर काम करना चाहिए ? हमारी भी अपनी भावनाएं हैं। मंत्री की भावनाएं संघ लोक सेवा आयोग के नियमों से ऊपर कैसे हो सकती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। इस पर मुझे वास्तव में बड़ी आपत्ति है। मैंने बार-बार कहा है। अब मैं इसको और सहन नहीं कर सकता।

श्री प्रिय गुप्त : मंत्री कैसे·········

अध्यक्ष महोदय : आप फिर बोल रहे हैं। अब मैं उनको बाहर जाने के लिए कहूंगा।

श्री प्रिय गुप्त : यदि आप चाहते हैं तो मैं चला जाऊँगा। जब कि वरिष्ठ सदस्य वही बात करते हैं जो मैं करता हूं, तो आप उनके प्रति सहानुभूति, क्यों दिखाते हैं ? क्या इसका

कारण उनका व्यक्तित्व और संसद में उनका बहुमत है ? मैं केवल आपका संरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप चले जायें ।

(श्री प्रिय गुप्त तब सभा से उठकर चले गये)

(Shri Priya Gupta then left the House)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, you always reprimand us. Do you ever ask the Ministers to give the correct reply ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अब चूंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस विशिष्ट व्यक्ति का कोई परोपकार का उद्देश्य नहीं है जोकि निजी व्यवसाय भी चाहता है और पूर्णकालिक वेतन भी, क्या यह सच नहीं है कि लगभग सभी बड़े शहरों में और बड़े अस्पतालों में अवैतनिक चिकित्सक और अवैतनिक शल्य चिकित्सक बड़ी प्रसिद्धि के व्यक्ति होते हैं, और क्या इस प्रकार की बातों पर जिद करना सही है जैसे कि वे आते और जाते समय हस्ताक्षर करें ? क्या यह सच नहीं है कि यह केवल आवश्यक ही नहीं है, परन्तु वे दो घंटे से काफी अधिक कार्य करते हैं ? यदि ऐसा है, तो इस पर जिद क्यों की जाती है जिसके परिणाम स्वरूप हम बड़े प्रसिद्ध और अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं से बंचित रह जाते हैं ?

डा० सुशीला नायर : मैंने कहा है कि देश में बड़े ख्यातिप्राप्त अवैतनिक डाक्टर हैं, परन्तु मैं यह नहीं कहूंगी कि सारे देश में प्रत्येक अवैतनिक ऐसा है । फिर भी, कुछ न्यूनतम समय आवश्यक समझा जाता है । मुझे याद है, डा० गिल्डर ने, जब वह बम्बई के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो एक विनिर्णय दिया था कि जब तक अवैतनिक कम से कम 3 घंटे न लगायें दैनिक कार्य करना या कार्य, विद्यार्थियों और रोगियों के साथ न्याय करना सम्भव नहीं है, और आते और जाते समय हस्ताक्षर करने की पद्धति उन्होंने चलाई थी । डा० जीवराज मेहता ने, जो स्वतन्त्रता के तुरन्त पश्चात् स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक बने थे, यहां पर भी बम्बई के नियमों को लागू कर दिया। इसमें क्षोभ करने की कोई बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो संस्थान की सेवा करने आता है उसको कुछ न्यूनतम शर्तों को पूरा करना होता है और 3 घंटे कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है । अन्यथा, बम्बई में यह हुआ कि लोग एक द्वार से आते थे और दूसरे द्वार से चले जाते थे और वे पर्याप्त समय नहीं देते थे ।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा प्रतीत होता है कि जो कठिनाई अवैतनिक चिकित्सकों से आरम्भ हुई थी वह अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों में भी आ गई है । क्या यह सच है कि अवैतनिक डाक्टर और अंश दायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत काम करने वाले सभी डाक्टर इतने असंतुष्ट हैं कि उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर संघर्ष करने का निर्णय किया है, विशेषरूप से दिल्ली से जिसमें हड़ताल और भूख हड़ताल दोनों शामिल हैं ; यदि हां तो क्या मंत्री महोदय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और काम में रुकावट पड़ने को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

डा० सुशीला नायर : अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। जहां तक अवैतनिकों का सम्बन्ध है मुझे किसी अखिल भारतीय आन्दोलन की जानकारी नहीं है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों से यह धारणा बन्धती है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली प्रशासन में अवैतनिक डाक्टरों के संस्थान के विरुद्ध हैं। क्या मेरा यह निष्कर्ष सही है ?

डा० सुशीला नायर : यदि माननीय सदस्य ने मेरे उत्तरों को नहीं सुना है तो मैं क्या कर सकती हूं ?

श्री रामनाथन चेट्टियार : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होना चाहिये।

डा० सुशीला नायर : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि 1952 में जब मैंने दिल्ली में एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला तो तत्कालीन उच्चायुक्त श्री शंकर प्रसाद ने पहली ही भेंट में मुझे बताया "अधिकांश मामलों में अवैतनिक पद्धति का दुरुपयोग किया गया है और इसलिए, यह समाप्त किया जाना चाहिये। परन्तु मैं लोकप्रिय सरकार द्वारा पदधारण करने तक प्रतीक्षा करना चाहता था।" मैंने कहा "नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी प्रणाली की सफलता या विफलता व्यक्तियों पर निर्भर करती है कि वे कैसे कार्य करते हैं" और अवैतनिक पद्धति जारी रही। परन्तु उन सभी मामलों के लिए, जिनके लिए अवैतनिक समय नहीं निकाल पा सकते थे या नहीं दे सकते थे, हमने कुछ पूर्ण कालिक एकक जारी किये। यह कहना कि मैं अवैतनिक पद्धति के विरुद्ध हूं केवल कल्पना है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री के उत्तरों से यह स्पष्ट है कि अवैतनिक शल्य चिकित्सकों के प्रति उनको कुछ द्वेष है। चूंकि वह स्वयं जानती हैं कि यह पद्धति बड़े शहरों में कई वर्षों से चालू है और नियम वहां पर पहले से हैं तो उनमें अचानक परिवर्तन क्यों किया गया ? क्या शिकायतें प्राप्त होने के बाद ऐसा है कि अवैतनिक शल्य चिकित्सक सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और रोगी और अन्य व्यक्ति संतुष्ट नहीं हैं कि विशिष्ट नियमों को लागू किया जा रहा है ? तथा उन नियमों को लागू करते समय अवैतनिक शल्य चिकित्सकों की सुविधा का काल रखा गया था जिनकी सेवायें इन संस्थानों के लिए आवश्यक हैं ?

डा० सुशीला नायर : अस्पतालों के दिन प्रतिदिन के कार्य के ब्यौरे की जानकारी की मंत्रालय से कैसे आशा की जा सकती है ? इस नियम के लागू करने के लिए कोई कारण रहा होगा। फिर अस्पतालों में रोगियों की सुविधा पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है न कि डाक्टरों की सुविधा पर।

विदेशी सहायता

+

*510. **श्री हेम बरुआ :** **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्री नाथ पाई :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह बता सकती है कि क्या उसे सहायता देने वाले देशों से अब तक कोई पक्के वादे मिले हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि उनका विचार आयात और पिछले ऋणों सम्बन्धी देय राशि का भुगतान स्वयं देश में उपलब्ध विदेशी मुद्रा संसाधनों में से करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जहां तक भारत-सहायता-संघ के सदस्य देशों का सम्बन्ध है, विश्व बैंक के अध्यक्ष ने संघ के सदस्यों द्वारा दिये गये वचनों और प्रकट किये गये इरादों के आधार पर अपना पूरा विश्वास प्रकट किया है कि गैर-प्रायोजना सहायता की 90 करोड़ डालर की सारी रकम, जिसे भारत और विश्व बैंक आवश्यक समझते हैं, चालू वित्त-वर्ष में ही भारत को दे दी जायगी। 90 करोड़ डालर की इस रकम में से 31.46 करोड़ डालर के लिए अन्तिम रूप से प्रबन्ध हो चुका है और बाकी रकम के लिए बातचीत चल रही है।

भारत-सहायता-संघ के अलावा, 25 मार्च, 1966 को स्विट्जरलैण्ड के साथ 7 करोड़ स्विस फ्रैंक के लिए, 12 मई, 1966 को डेनमार्क के साथ 3 करोड़ डेनिश क्रोनर के लिए और 29 जून, 1966 को स्वीडन के साथ 2.40 करोड़ स्वीडिश क्रोनर के लिए करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। इसके अलावा, इटली ने, जो सहायता-संघ का सदस्य है, रासायनिक खाद के आयात के लिए 4 अगस्त, 1966 को 20 लाख डालर का एक ऋण देना स्वीकार किया है। यह ऋण, संघ द्वारा भारत को दिये जाने वाले ऋण में इटली के हिस्से के अलावा है।

जहां तक पूर्वी देशों का सम्बन्ध है, सोवियत सरकार ने कुल 97 करोड़ रुबल के ऋण की घोषणा की है जिसमें तीसरी आयोजना से चौथी आयोजना में लायी गयी रकम और बोकारो प्रायोजना के ऋण की रकम भी शामिल है। पूर्वी यूरोप के अन्य देशों में से हंगरी के साथ 15 जून, 1966 को 25 करोड़ रुपये के ऋण के लिए और यूगोस्लाविया के साथ 18 जून, 1966 को 60 करोड़ रुपये के ऋण के लिए करार किये गये हैं।

(ख) भारत की हमेशा से यह मान्यता रही है कि देश को निर्यात से जो आमदनी हो उस में से सबसे पहले, ऋण-सम्बन्धी दायित्व पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही, जिन आयातों के लिए धन की व्यवस्था विदेशी सहायता से की जाती है उनसे भिन्न आयातों के लिए अदायगियां, हमेशा की तरह, जो भी अन्य विदेशी मुद्रा साधन उपलब्ध होंगे उनसे की जायेगी।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि अमरीका ने हमें वित्तीय सहायता देने के बारे में यह शर्त रखी है कि भारत तथा पाकिस्तान को इस उप-महाद्वीप में शान्ति अवश्य बनाई रखनी

चाहिए ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीकी अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया है कि इस उप-महाद्वीप में पाकिस्तान ही शान्ति भंग करता रहा है तथा कि भारत ऐसा नहीं करता रहा है। यदि हां, तो वित्तीय सहायता देने के बारे में अमरीकी अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गयी है। फिर भी मेरा अनुमान है कि वे चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखें। परन्तु इस शर्त को रखने का कोइ सुझाव नहीं दिया गया है।

श्री हेम बरुआ : योजना मंत्री के अमरीका के दौरे के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता था कि वह अमरीका से मिलने वाली सहायता के बारे में बहुत आशावादी थे। परन्तु जैसे ही समय व्यतीत हुआ, वह आशावाद समाप्त हो गया है। क्या यह आशावाद अमरीका पर मिथ्या विश्वास के कारण था ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह मनोविज्ञान का एक प्रश्न हैं जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या उन साधनों की स्थिति के बारे में हमें कुछ बताया जा सकता है जो हमें उपलब्ध किये जायेंगे ? अनुमान है कि हमें 4800 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कितना धन देने का पक्का वादा किया है और कितना धन अन्तिम चरण में मिलने की आशा है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : हमने इस बारे में पहले ही बता दिया है कि इस वर्ष विशेष में उन्होंने गैर-परियोजना सहायता के रूप में 9,000 लाख डालर देने का पहले ही वादा कर दिया है। पांच वर्षों में जो परियोजना-सहायता मिलेगी उस पर अभी बातचीत नहीं की गई है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि वे वादा करेंगे अथवा नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : विदेशी मुद्रा के साधनों की वर्तमान स्थिति क्या है और निर्यात बढ़ा कर तथा आयात कम कर के इस स्थिति में निकट भविष्य में क्या सुधार होने की आशा है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक निर्यात बढ़ाने का सम्बन्ध है, आशा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा। मेरे मित्र श्री कामत इस सम्बन्ध में मेरा अनुमान जानना चाहते हैं जो कि बहुत सही नहीं हो सकता। हम यह महसूस करते हैं कि निर्यात में किसी प्रकार से भी कमी नहीं होगी।

Excise Staff Involved in Smuggling

*516. **Shri M. L. Dwivedi** + : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Subodh Hansda : Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether Government have set up any machinery to unearth cases of curruption indulged in by the Excise authorities in the smuggling of contraband articles ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, whether such an arrangement is proposed to be made soon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b). In each of the Central Excise Collectorates besides the staff for preventive and intelligence work, there is an officer specially designated whose job it is to collect intelligence about corruption amongst the staff. The Collectors themselves act as Vigilance Officers for their charge. In addition, the Director of Inspection (Customs and Central Excise) acts as Vigilance Officer for the entire Department and exercises jurisdiction over all the Central Excise Collectorates. The Collectors and the Director maintain close liaison with each other and with the Special Police Establishment and the Economics Offences Division of the Central Bureau of Investigation which are designed to deal with such matters. Suitable action as warranted is taken by the departmental vigilance machinery and these specialised bodies. Such action includes departmental proceedings as well as criminal prosecution where warranted.

(c) Does not arise.

Shri M. L. Dwivedi : May I know the number of cases of corruption unearthed by the authorities appointed for this purpose and the action taken by Government thereon ?

Shri B. R. Bhagat : Since 1955, 19 Gazetted Officers and 188 non-gazetted officers have been awarded punishment so far and 87 persons have either been dismissed or their services have been terminated.

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether the number of corruption cases is going on increasing or decreasing year after year ? If it is going on increasing whether Government do not think it necessary to take some special steps to check it and if so, what are they ?

Shri B. R. Bhagat : We always see that the steps which are taken, are correct and are fully implemented. It is not possible for me to say whether there has been an increase or decrease in the number of such cases, the Hon. Member may see this from the list already given.

Shri M. L. Dwivedi : I asked whether there has been an increase or decrease in the number of corruption cases this year in comparison to the cases unearthed last year ? He has got the number of cases unearthed this year and also of the last year. But he does not want to tell us.

Shri B. R. Bhagat : I have also said that I will give him this information of each year. He may draw a conclusion from that.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि जब से स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागू किया गया है तब से सोना चोरी छिपे लाने ले जाने के मामलों में वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो क्या इन मामलों का पता लगाने के लिए कोई और प्रबन्ध किये गये हैं अथवा क्या अब भी वही पुराना प्रबन्ध चल रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : यह कहना सच नहीं है कि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश लागू किये जाने के फलस्वरूप सोना चोरी छिपे लाने ले जाने के मामलों में कोई वृद्धि हुई है।

Shri Bhagwat Jha Azad : If proper measures were adopted, then why there has been an increase in the corruption cases and what steps are being taken to check them ?

Shri B. R. Bhagat : Since arrests are being made on a large scale, this also results in more corruption among the Excise staff.

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी विख्यात विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश को वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे सोना चोरी छिपे लाने ले जाने के मामलों में वृद्धि हो गई है, और इससे वह प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हुआ है जिसके लिए इसे लागू किया गया था, क्या मैं जान सकती हूं कि उक्त आदेश को कब वापस ले लिया जाएगा ?

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न स्वर्ण नियन्त्रण आदेश को वापस लेने अथवा बनाये रखने के बारे में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तस्कर व्यापार में अन्तर्ग्रस्त उत्पादन-शुल्क कर्मचारियों के सम्बन्ध में है ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह इसलिए पूछा गया है क्योंकि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के कारण भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि हुई है.।

अध्यक्ष महोदय : वे यह कैसे कह सकते हैं कि वे इसे कब वापस ले लेंगे ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : A group of smugglers consisting of Government servants has actively been indulging in smuggling on the East Pakistan—West Bengal border. May I know whether any of those Government servants have been arrested and if so, what are the details about them ?

Mr. Speaker : Is he referring to a group of Excise staff?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I am referring to those who indulge in smuggling.

Mr. Speaker : Among the Excise staff ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It relates to them.

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

+

*517. **श्री उटिया :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री 3 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 353 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी" के विरुद्ध इस बीच कोई अभियोग चलाये गये हैं;

(ख) क्या न्यायनिर्णयन प्रतिवेदन मिल चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग): मूल न्यायनिर्णय आदेश 1965 में प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध एक अपील अभी भी निर्णय के लिए विचाराधीन है । तबसे कोई दूसरा न्यायनिर्णय आदेश प्राप्त नहीं हुआ है ।

Shri Madhu Limaye : May I know when the appeal is likely to come up for hearing ?

Mr. Speaker : How can Government say about it as the appeal is pending in the court ?

Shri Madhu Limaye : Let them state the correct position of the case. At what stage the matter stands ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कार्यपालिका न्यायपालिका से कहे कि इस अपील को तुरन्त निपटाया जाना चाहिए तो न्यायपालिका इस हस्तक्षेप को सहन नहीं करेगी ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Let him answer. This is a very simple question : Since how long this matter is pending ?

Mr. Speaker : This is another thing.

Shri Madhu Limaye : Let him answer the first part of the question.

Shri B. R. Bhagat : The appeal is not pending in the court, it is under adjudication.

Shri Madhu Limaye : That is why it is within their powers.

Shri B. R. Bhagat : A large number of papers have been received along with it, they are being examined. A clarification is being sought from them.

Shri Tyagi : Since how many days and how many years it is pending ?

Shri B. R. Bhagat : I want to submit that no effort has been made to delay it by a single day.

Mr. Speaker : There is no question of efforts being made to delay it, he may tell us as to when the appeal had been submitted ?

Shri B. R. Bhagat : It is very difficult for me to say on which date this appeal had been submitted.

Mr. Speaker : How much time has elapsed since its submission ?

Shri B. R. Bhagat : There is no doubt about it that a number of months have elapsed since then. Efforts are being made to see that it comes up for hearing soon.

Shri Madhu Limaye : Is the Hon. Minister in a position to tell us as to how much amount is involved in this case about which an appeal has been made ?

Shri B. R. Bhagat : A fine of an amount of Rs. one crore and 20 lakhs approximately which was imposed on them, has already been paid. The other fine is of about Rs. one crore 60 lakhs.

Shri Bhagwat Jha Azad : This matter is pending since long. Since all the material was to be collected and submitted before the tribunal by Government, may I know how much delay has been caused by the Government in submitting that material before the Tribunal ?

Shri B. R. Bhagat : No delay has been caused by Government.

Shri Bhagwat Jha Azad : He should tell us since when the matter has been pending ?

Shri B. R. Bhagat : We have taken only three to four months' time after the receipt of the appeal.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस विशेष मामले के अलावा, जो न्यायनिर्णयन विचाराधीन है,

माननीय मंत्री श्री भगत ने एक वर्ष पूर्व आधे घंटे की चर्चा के दौरान सभा को यह वचन दिया था कि उन्हें कुछ कागजात मिले हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा-है, और वे इस बर्ड एण्ड कम्पनी पर मुकदमा चलायेंगे। क्या इन कागजों का परीक्षण पूरा हो गया है और यदि हां, तो अभी तक मुकदमा दायर क्यों नहीं किया गया ?

श्री ब० रा० भगत : जैसे मुझे याद आता है उस मामले का सम्बन्ध कम्पनी विधि के मामलों से था और उसे अलग से सुलझाया जा रहा है।

चीनी अफीम का तस्कर व्यापार

+

*522. **श्री जसवन्त मेहता :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बूटा सिंह : **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1966 को 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि साम्यवादी चीन के तस्कर व्यापारी श्रीलंका के जल प्रांगण (टेरीटोरियल वाटर्स) और तटवर्ती क्षेत्रों में भारतीय स्वर्ण के बदले चीनी अफीम का वस्तु-विनिमय कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) यह खबर सरकार के ध्यान में आ चुकी है।

(ख) अलग-अलग जरियों से की गई जांच से पता चलता है कि इस समाचार में कोई तथ्य नहीं है। भारत में अफीम भारी मात्रा में उत्पन्न होती है अतः बाहर से चोरी-छिपे अफीम लाये जाने की सम्भावना कम ही है। अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे पता चल सके कि भारतीय सोने के बदले में चीनी लोग अथवा उनके एजेन्ट भारत में चोरी-छिपे अफीम ला रहे हैं। फिर भी, हमने सभी प्रवर्तन अभिकरणों को सावधान कर दिया है।

Shri Madhu Limaye : Question No. 512 may also be taken alongwith this question as it relates to opium.

Mr. Speaker : No. The Hon. Member was not present at that time.

श्री जसवंत मेहता : यह समाचार समाचारपत्रों में छप चुका है और यह एक सुविज्ञात बात है कि अफीम इस देश में चोरी छिपे लाई जाती है और उसका निर्यात किया जाता है। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की जांच करने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी और सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची है कि यह समाचार सही नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : यदि माननीय सदस्य अफीम में तस्कर-व्यापार का पता लगाने अथवा उसकी रोकथाम करने वाले अभिकरण के बारे में पूछ रहे हैं तो उत्पादन-शुल्क अधिनियम तथा सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए प्रवर्तन अभिकरण है।

श्री जसवंत मेहता : अब तक अफीम में तस्कर-व्यापार के कितने मामलों का पता लगाया गया है ।

श्री ब० रा भगत : मुझे इसके लिए पूर्व-सूचना चाहिए ।

श्री हरि विश्णु कामत : क्या ऐसे कोई कारण हैं जिनसे यह विश्वास किया जा सके कि जहां कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि "अफीम लोगों का धर्म है," वहां नए मार्क्सवादी तथा साम्राज्यवादी चीनी सोचते हैं कि अफीम लोगों का धर्म है और इसलिए वे अपने देश से उचित अथवा अनुचित रूप से बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को अफीम का चोरी छिपे या अन्यथा भेज रहे हैं जिससे वे अन्य देशों के लोगों को उतने ही धार्मिक बना सकें जितने वे स्वयं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आपने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न सुन लिया है...

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें उत्तर देने दीजिए क्या ऐसा विश्वास करने के कोई कारण हैं ? यह एक ऐतिहासिक प्रश्न है और बिल्कुल सही है । खेद है कि आप इसके ऐतिहासिक पहलू को महत्व नहीं देते हैं । यदि मंत्री महोदय इस प्रश्न के ऐतिहासिक पहलू का उत्तर नहीं दे सकते तो उन्हें यह बताने दीजिए कि क्या वे इस प्रकार से अफीम का निर्यात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो सरकार रखती हो ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें उत्तर तो देने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन्होंने बता दिया है...

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने नहीं बताया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह तो स्पष्ट है, मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बहुत अनुचित है, मुझे आपके निर्णय पर खेद है, परन्तु अनिच्छा होते हुए भी मुझे इसे स्वीकार करना पड़ रहा है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, this question relates to smuggling of Chinese opium into India. May I know how much opium is produced here and how much is brought from outside and is it a fact that a major part of it is sent to America, where, it is said, it is sold at the rate of Rs. one lakh per Kilogramme ? Will the Hon. Minister throw some light on the matter ?

Shri B. R. Bhagat : This is a separate question and I can answer it only after notice is given.

Shri Madhu Limaye : He can say this much as to how much opium is being smuggled into America from here ?

Shri B. R. Bhagat : At present I have no information in this regard.

Shri Madhu Limaye : He has no information, it is something very queer. He had got another question about smuggling of opium also.

श्री वारियर : यह एक सुविज्ञात बात है कि अफीम काफी समय से श्रीलंका चोरी छिपे ले जाई जाती रही है। क्या श्रीलंका में अथवा श्रीलंका के जलप्रांगण में चीनी अफीम की तुलना में भारतीय अफीम का मूल्य कम है? वहां पर कितने दाम मिलते हैं जिसके फलस्वरूप अफीम चोरी छिपे श्रीलंका ले जाई जाती है? तस्कर व्यापार के कारण क्या हैं? क्या अब श्रीलंका में भारतीय अफीम तथा चीनी अफीम के बीच प्रतियोगिता है?

श्री स० मो० बनर्जी : खाने में कौन सी अच्छी है?

श्री ब० रा० भगत : मैं यह नहीं कह सकता कि श्रीलंका में कितनी अफीम चोरी छिपे ले जाई जाती है। मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं?

Shri M. L. Varma : If there is no decrease in the quantity of opium smuggled from outside and also which is produced here, may I know whether it means that the number of opium-eaters is going on increasing?

Shri B. R. Bhagat : No, Sir. Opium is either produced for exports or it is used in making alcolite which is used as a medicine. It is not produced for general use.

भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये रूस से सहायता

*523. **श्री पें० वेंकटासुब्बय्या** :　　**श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० चं० बरुआ :　　**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री कृ० चं० पंत :　　**श्री बड़े** :
श्री द्वारका दास मंत्री :　　**श्री काशी राम गुप्त** :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए भारत की सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में विचार करने के लिए रूस जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था;

(ख) यदि हां, तो परियोजना संबंधी और परियोजना-बाह्य कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस बातचीत का क्या परिणाम निकला?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) हमने 4500 लाख रूबलों की परियोजनाओं के लिये नया राज्य ऋण मांगा था। इसमें से 3000 लाख रूबल उन परियोजनाओं के लिए हैं जिनका रूसी विशेशज्ञों द्वारा जांच की जा चुकी है और 1500 लाख रूबल उन परियोजनाओं के लिए हैं जिनका अभी विकास किया जाना

है तथा तकनीकी व आर्थिक सम्भाव्यता स्थापित हो जाने के बाद चौथी योजना के दौरान चालू होने की सम्भावना है ।

(ग) रूसी अधिकारियों ने बताया है चौथी योजना के दौरान उपयोग के लिए लगभग 9000 लाख रूबलों का आर्थिक ऋण उपलब्ध है । इसमें (क) नया राज्य ऋण-3000 लाख रूबल, (ख) वाणिज्यिक-ऋण-2000 लाख रूबल, (ग) तीसरी योजना के दौरान उपयुक्त न किया गया ऋण-2000 लाख रूबल और (घ) बोकारो ऋण (तीसरी योजना के दौरान वचन-बद्ध)-2000 लाख रूबल शामिल है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : क्या हमारे द्वारा मांगी गई सहायता सम्बन्धी बातचीत में रूस से अवमूल्यन के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श हुआ था ? यदि हां, तो अवमूल्यन सम्बन्धी हमारी कार्यवाही के प्रति उनका क्या रुख था ?

श्री अशोक मेहता : अपनी बातचीत के दौरान हमने उन्हें अवमूल्यन और शेष सभी आर्थिक नीतियों के बारे में बताया । रूस के सरकारी प्रतिनिधियों ने हमारी सारी बातें सुनीं । उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की ।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : जहां तक बोकारो इस्पात संयंत्र तथा इसके निर्माण के लिए रूसी सहायता का सम्बन्ध है, क्या योजना मंत्री ने अपने परामर्शदाताओं को रखने तथा बोकारो के निर्माण व्यय को कम करने के बारे में भी बातचीत की ? यदि हां, तो रूसी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री अशोक मेहता : मेरी रूस यात्रा के साथ साथ इस्पात मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक दूसरा प्रतिनिधि मण्डल भी रूस गया था । इस प्रतिनिधि मण्डल में विभिन्न भारतीय विशेषज्ञ थे जो रूसी विशेषज्ञों के साथ बोकारो संयंत्र की लागत को कम करने तथा तकनीकी सहयोग की व्यवस्था करने के बारे में बातचीत कर रहे थे । मैं व्यक्तिगत रूप में इस बातचीत में शामिल नहीं हुआ ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हो रहा हूं । मंत्री महोदय ने पहिले कहा है कि उन्होंने रूस सरकार से हमारी नीतियों के बारे में बातचीत की । क्या नीतियों या केवल सरकारी कार्यक्रमों के बारे में दूसरी सरकारों से बातचीत करने की परम्परा है?

श्री अशोक मेहता : साधारणतया जब हम किसी योजना अवधि के ऋणों के बारे में बातचीत करते हैं तो हम अपनी नीतियों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों आदि पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं । इन सभी बातों पर प्रासङ्गिक रूप में प्रकाश डालना पड़ता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वे बाद में अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हैं ?

श्री कृ० च० पन्त : मंत्री महोदय ने 9000 लाख रूबल के ऋण के बारे में विभिन्न

स्तरों पर हुई बातचीत के सम्बन्ध में बताया । क्या इन विभिन्न श्रेणियों के ऋण की शर्तें तथा व्याज की दरें एक ही हैं या भिन्न हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार से हैं ?

श्री अशोक मेहता : हमें रूस से दो किस्म के ऋण मिल रहे हैं । एक तो राज्य-ऋण है । राज्य-ऋण 12 वर्ष के लिए होते हैं और इनकी व्याज की दर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत है । ऋण की वापिसी परियोजना स्थापित होने के बाद आरम्भ होती है । इस प्रकार ऋण की साधारण अवधि 15 साल के लगभग है ।

श्री हेम बरुआ . क्या व्याज की दर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत है ?

श्री अशोक मेहता : व्याज की दर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत है, उनकी अवधि 8 या 10 वर्ष की है । इन ऋणों की वापिसी अवधि समाप्त होने के तुरन्त बाद ही आरम्भ हो जाती है । इतना ही नहीं $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत भुगतान सामान का आर्डर देने के साथ ही किया जाता है, दूसरे $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का भुगतान तब किया जाता है जब वे सामान अपने यहां से भेज देते हैं । शेष 85 प्रतिशत का भुगतान ऋण की अवधि के अन्दर ही किया जाता है तथा व्याज की दर $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत होती है ।

श्री काशीराम गुप्त : मंत्री महोदय ने 9000 लाख रूबल की सहायता के बारे में बताया । 9000 लाख रूबल अवमूल्यन के पूर्व कितने रुपये के बराबर माने जाते थे और अव-मूल्यन के बाद कितने रुपये के बराबर माने जाते हैं तथा 2000 लाख रूबल के ऋण के व्यापारिक उद्देश्य क्या हैं ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक रुपये की बराबरी का सम्बन्ध है, इसका अनुमान लगाना आसान है तथा यह 500 के आसपास होगा...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिया जायेगा ।

श्री अशोक मेहता : जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, ये व्यापारिक ऋण सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये मशीनें प्राप्त करने में प्रयुक्त होंगे, क्योंकि इनकी व्यवस्था रूस से मशीनें मंगाने के लिए की गई है ।

श्री काशीराम गुप्त : प्रथम भाग का उत्तर आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : योजना मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि बोकारो परियोजना के लिए 2000 लाख रूबल की आवश्यकता होगी, किन्तु ऐसी खबर छपी है कि बोकारो परियोजना की लागत 640 करोड़ रु० तक बढ़ जायेगी । क्या इस पर भी विचार हुआ और रूस सरकार से और आगे भी ऋण लिया जायेगा ।

श्री अशोक मेहता : बोकारो का विकास दो खण्डों में होना है । हम अब प्रथम खण्ड को हाथ में ले रहे हैं । तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद हमको कुछ ऋण मिल चुके हैं । 2000 रूबल के ऋण, जो हमको मिल चुके हैं, से रूसी ऋणों की आवश्यकता पूरी हो जाती है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Finance Minister had stated in reply to question No. 510 that the Russian Government had agreed to the sanction of a credit of Rs. 2,700 crores. I would like to know whether the amount mentioned by the Hon. Minister for Planning is included in that amount. I would also like to know whether this aid was agreed to before Tashkent Agreement or after that. Is there some condition attached to it? If so, what is that ?

श्री अशोक मेहता : मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने रूसी ऋण की राशि के बारे में कुछ नहीं कहा था। मेरे द्वारा बताई गई राशि के अतिरिक्त उन्होंने अपने उत्तर में और कोई राशि नहीं बताई।

उन्होंने मेरे द्वारा दिये गये आंकड़ों से भिन्न और कोई आंकड़े नहीं दिये। माननीय सदस्य को 2700 करोड़ रुपये की राशि पता नहीं कहां से मिल गई । आप रेकार्ड देख सकते हैं। उन्होंने भी वही आंकड़े दिये हैं, जो मैंने दिये हैं।

Mr. Speaker : I shall look into the records.

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या रूस सरकार ने अब तक दिये गये ऋणों के उपयोग के बारे में संतोष व्यक्त किया है तथा क्या मंत्री महोदय ने गैर-परियोजना सहायता बढ़ाने के लिए रूस सरकार से अनुरोध किया है ?

श्री अशोक मेहता : मैं पहले प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दूंगा। जहां तक रूस से गैर-परियोजना सहायता का सम्बन्ध है, हमको अनुभव करना चाहिए कि हमारी एक व्यापार-योजना है। हम पंचवर्षीय व्यापार योजना बनाते हैं और उसमें इन दोनों देशों में होने वाले आयात और निर्यात पूर्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः व्यापार योजना में उन आवश्यक वस्तुओं के आयात की व्यवस्था की जाती है, जिनको हमें रूस से मंगाना पड़ता है। उन्होंने हमें 2000 लाख रूबल के व्यापारिक ऋण भी दिये हैं, जिन्हें हम आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। जहां तक उनके संतोष का सम्बन्ध है, रांची के 'हैवी एञ्जिनियरिंग कारपोरेशन' तथा दुर्गापुर के 'माइनिंग मैशिनरी मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन' के बारे में उनमें कुछ भावना है। ये दो परियोजनायें रूस के सहयोग से स्थापित की गई थीं और इनकी कार्यान्विति बहुत अच्छे ढंग से न हो सकी। इसके अतिरिक्त सोवियत सरकार सन्तुष्ट है। हमने इस सम्बन्ध में भी बातचीत की थी। मैं अपने साथ इन दोनों निगमों के उच्च कार्यकारी अधिकारियों को भी ले गया था। वे वहां पर इसी तरह की दूसरी सोवियत परियोजनाओं को देख रहे हैं और यहां आने पर वे अपने प्रतिवेदन देंगे। मैंने सोवियत सरकार को आश्वासन दिया है कि इन अधिकारियों के प्रतिवेदन के अनुसार हम इन परियोजनाओं की कार्यान्विति में गतिशीलता लाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करें जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

Shri Daljit Singh : I would like to know from the Hon. Minister whether how much of the aid from Russia would be in terms of roubles and how much of it would come in terms of goods and whether the aid that would come in terms of goods will not affect our markets due to devaluation ?

श्री अशोक मेहता : उस देश से यहां एक भी रूबल नहीं आता क्योंकि हमने उनसे मुद्रा भेजने को नहीं कहा। सारा ऋण यहां सामान के रूप में आयेगा और इसमें अधिकांश यंत्र होंगे। व्यापार में दूसरे सामान भी आ सकते हैं किन्तु जहां तक ऋणों का प्रश्न है वे अधिकांशत: विभिन्न परियोजनाओं के यंत्रों के लिए होंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या रूस ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए जितनी सहायता का वचन दिया है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए दी गई सहायता से काफी अधिक है ? यदि हां, तो दोनों योजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता में कितना अन्तर है और क्या उनके द्वारा कोई ट्रक बनाने वाला कारखाना या घड़ियां बनाने वाला कारखाना जैसी किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना की सम्भावना है ?

श्री अशोक मेहता : तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्त हुई सहायता की कुल राशि 9000 लाख रूबल थी जिसमें से बोकारो के लिए 2000 लाख रूबल सहित 4700 लाख रूबल को तीसरी पंचवर्षीय योजना पर लगाया गया। इसी प्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजनों में भी 9000 लाख रूबल का रूसी ऋण भारत में आयेगा। इन ऋणों से किसी ट्रक या घड़ी के कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बाकर अली मिर्जा : मंत्री महोदय ने बताया कि आर्थिक नीति तथा अवमूल्यन पर सोवियत सरकार से बातचीत हुई थी। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि अवमूल्यन होने से पूर्व ही विदेशी सरकार से इस पर बातचीत की गई थी क्योंकि बाद में बातचीत करने का कोई अर्थ ही नहीं था ?

श्री अशोक मेहता : नहीं श्रीमान्, मैं वहां अवमूल्यन होने के बाद गया। हरेक को मित्रतापूर्ण बातचीत करनी होती है। हम उनकी नीतियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हैं तथा वे हमारी नीतियों, कार्यों, योजनाओं आदि के सम्बन्ध में पूछते हैं। हमने उनके योजना आयोग से भी बातचीत की। मैंने जैसे पहले कहा था, हमने यंत्र बनाने के क्षेत्र की योजना बनाने के लिए उनके योजना आयोग से सहयोग देने के लिए अनुरोध किया है। जब बातचीत होती है हमें स्वभावत: उनके तथा अपने कार्यों का सिंहावलोकन करना होता है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is the aid, in Million roubles which is coming for various projects of the Five Year Plan, final and complete or some more aid is expected from them according to the requirements of the Plan ?

Shri Asoka Mehta : I have already submitted that we asked for 300 million roubles for the Projects which have been discussed with the Soviet Government and 200 million roubles for those projects which are still in the melting pot and have not been discussed with the Soviet Government so far. They have accorded 300 million roubles as State credit and 200 million roubles as Commercial Credit. Probably they want us to take these projects, which are still under consideration, in Commercial Credits. But our discussions are still going on with them. We want that the commercial credits should be used for other purposes and provision of State

credits may some how be made for major projects. Formerly the Soviet Government had agreed but I do not know as to what has been decided with our Prime Minister in this regard. But on both the occasions when I went there, last year as well as this year, they assured me that they will give thoughtful consideration to the projects which we submit to them. Soviet Government do not say yes or no to the proposals before scrutinizing them.

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

ब्रह्मपुत्र के नियंत्रण के बारे में अमरीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट

+
अ०सू०प्र० 12. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री बृजबासी लाल :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी : **श्री राम हरख यादव :**
श्री पन्ना लाल:

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी को नियंत्रित करने के बारे में अमरीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अमरीकी विशेषज्ञ श्री एच० ई० वैलर से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के कटाव सम्बन्धी समस्याओं पर हाल ही में केवल एक प्रतिवेदन प्रारूप मिला है ।

(ख) तथा (ग). श्री वैलर ने अपने प्रतिवेदन में, समस्या के स्वरूप, नदी प्रशिक्षण के विभिन्न तरीकों, किनारे के बचाव तथा ब्रह्मपुत्र की स्थितियों के अनुसार इनके प्रयोग पर प्रकाश डाला है । निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व उनके अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी ।

Shri Yashpal Singh : What is the reaction of the Government to the Press criticism ?

डा० कु० ल० राव : यह सत्य है कि कुछ अनुचित आलोचना की गई है, जो प्रत्यक्षतः गलत सूचना पर आधारित है । श्री वैलर एक बड़े विशेषज्ञ तथा इन्जीनियर हैं । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मपुत्र जैसी नदी में जहां हमेशा डांवाडोल स्थिति रहती है, सारे किनारों को बचा सकना सम्भव नहीं है । उन्होंने कहा है कि कुछ स्थानीय क्षेत्रों को या तो किनारे के बचाव या नदी प्रशिक्षण कार्यों के द्वारा बचाया जा सकता है । अतः आलोचना उचित नहीं थी ।

Shri Yashpal Singh : What can be more denigrating to the dignity and honour of India that we seek advice of the foreigners inspite of the fact that we have thousands of Engineers who can advise and control better ? Have the Government given thought to this ? A few Germans bound the river Rhine and proved that this camel could not run unbridled.

Is it not derogatory for India of 50 crores that she requisitions the services of American experts ?

श्री कु० ल० राव : श्रीमान, हमने वास्तव में अक्तूबर 1964 में ब्रह्मपुत्र नदी की समस्याओं के लिये "जफर अली समिति" नियुक्त की थी और उसने अपना प्रनिवेदन दे दिया है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर करोड़ों रुपये खर्च हो सकते हैं। हमने समान समस्याओं वाले अमरीका जैसे दूसरे देशों के अनुभव से लाभ उठाने का विचार किया। उदाहरणार्थ अमरीका में मिसिसिपि नदी, जिसके किनारे को विशाल स्तर पर संरक्षित किया गया, की भी ऐसी ही समस्या थी। तकनीकी मामलों में परामर्श लेना राष्ट्र के आत्म सम्मान के विरुद्ध नहीं है। इसमें कोई अनौचित्य नहीं है।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्योंकि सरकार ने ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों की बाद से होने वाली औसतन वार्षिक क्षति को 5 करोड़ के लगभग आंका तथा राज्य सरकार अपने सीमित साधनों के कारण श्री वैलर के प्रतिवेदन में दी गई व्यय की भारी राशि को वहन करने में समर्थ नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्तरों पर योजना-कार्यान्विति के आर्थिक तथा दूसरे उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेगी और यदि हां तो प्रथम पहलू क्या होगा तथा क्या यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल होगी ?

श्री कु० ल० राव : वास्तव में यह अनुभव किया गया है कि भू-कटाव को रोकने पर बड़ा खर्च होता है और केवल राज्य सरकारें ही इसे वहन नहीं कर सकती हैं। इसीलिए केरल में समुद्री कटाव को रोकने का कार्य केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया है। इसी तरह की दूसरी योजनाओं पर विचार करते समय केन्द्र से राज्यों को दी जाने वाली सहायता पर ध्यान दिया जायेगा।

Shri Ram Harakh Yadav : The Hon. Minister has just now stated that it is difficult to provide extensive embankment all along the bank of Brahmaputra. Has American Engineer suggested any scheme for removing the sand that is deposited, and for clearance of silting so that there may not be much pressure on the bank resulting in further erosion ?

श्री कु० ल० राव : ठीक ऐसी ही बात है। कुछ क्षेत्रों में, जहां पानी को किनारे से ले जाना हो, यह संभावना है कि मिट्टी निकालना कुछ सहायक हो। यह एक परीक्षण ही है, फिलहाल हम इसका कोसी नदी पर ही परीक्षण कर रहे हैं। इसका प्रयोग अब तक और कहीं नहीं हुआ। यही सुझाव मजुली द्वीप, जहां भारी भू-कटाव की समस्या है, के सम्बन्ध में भी दिया गया था। ब्रह्मपुत्र घाटी में नदी-किनारे के कटाव को रोकने के लिये यही तरीका अपनाया जायेगा।

Shri Kashi Ram Gupta : The Hon. Minister has stated that the final report was being awaited. When is the final report of that Engineer expected ? Have they sought his advice for the generation of power side by side, as they have sought for controlling the floods ?

श्री कु० ल० राव : अक्तूबर के अन्त में प्रतिवेदन तैयार होगा। बिजली उत्पादन के लिए किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। हमारे इन्जीनियर भारत के लिए ही नहीं अपितु दूसरे देशों के लिए भी योजना बनाने में समर्थ हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad : I would like to know whether as a matter of principle, the scheme of controlling of floods in Brahmaputra, has been accepted for the Fourth Five Year Plan or will it be taken into consideration after report has been drawn up.

श्री कु० ल० राव : यह प्रतिवेदन इस समस्या के केवल भू-कटाव के पहलू पर प्रकाश डालता है। इसमें बाढ़ नियन्त्रण कार्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश नहीं डाला गया है। विभिन्न योजनायें बनाई गई हैं और इन सबकी कार्यान्विति पर विचार किया जायेगा। मैं निवेदन कर चुका हूँ कि जफर अली समिति का प्रतिवेदन आ गया है और वैलर समिति का प्रतिवेदन जफर अली समिति के प्रतिवेदन की बहुत सी सिफारिशों से सहमत है। अतः हम किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ों तथा उसके द्वारा होने भू-कटाव की समस्याओं पर जो भी समिति नियुक्त की जाती है, उसकी सभी सिफारिशें हर बार सरकार के पास इस बहाने से धरी रह जाती हैं कि सरकार को इन सिफारिशों की क्रियान्विति पर सरकार को अत्यधिक व्यय-भार उठाना पड़ेगा। बाढ़ से भूमि की निरन्तर क्षति हो रही है। ब्रह्मपुत्र एक पुल्लिंग नदी है। यह 'पुत्र' है, 'पुत्री' नहीं है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से भूमि की रक्षा करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें अब अधिक खर्च होने के बहाने सरकार के पास ही नहीं पड़ी रहेंगी ? स्थिति को सुधारने में उन्हें कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसे मेरे सहयोगी बता चुके हैं, यह प्रतिवेदन ब्रह्मपुत्र के द्वारा होने वाले भू-कटाव के सम्बन्ध में है। किन्तु जहां तक ब्रह्मपुत्र की बाढ़ समस्या के समाधान का प्रश्न है, हमारे पास बाढ़ के प्रकोपों को नियंत्रित करने के लिये पर्याप्त सामग्री है।

श्री हेम बरुआ : आपने यह कार्य तो आरम्भ नहीं किया।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूँ कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही हो चुकी है। मैंने हाल ही में योजनामंत्री तथा वित्तमंत्री से इस सम्बन्ध में बातचीत की और तदनन्तर हमने ब्रह्मपुत्र पर बाढ़-नियन्त्रण की योजनायें आरम्भ कर दी हैं।

श्री नि० रं० लास्कर : यह ध्यान में रखते हुए कि बाढ़ एक राष्ट्रीय समस्या है और ब्रह्मपुत्र से राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ी हानि उठानी पड़ रही है, सरकार इस परियोजना के कार्यक्रम को विभिन्न स्तरों पर कब आरम्भ कर रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं बता चुका हूँ कि इस पर योजना मंत्री तथा वित्तमंत्री से मेरी बातचीत हो चुकी है तथा समस्या-समाधान के लिए कुछ कदम उठाये जा चुके हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Illegal Export of Opium

*512. **Dr. Ram Manohar Lohia :** **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye : **Shri Bagri :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have come across any information regarding the large-scale illegal export of opium to U.S.A. and other countries ;

(b) whether Government have information about the high prices of opium in the open markets of these countries ;

(c) whether Mr. Walcott and his accomplices had any connection with this racket : and

(d) the steps being taken by Government to check illegal export in this manner ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B.R. Bhagat) : (a) Government are not aware of any large-scale illegal export of opium to the U.S.A and other countries from India ;

(b) Government are aware that certain alkaloids of opium, such as morphine or heroin, fetch very high prices in the illicit markets in certain countries ;

(c) Not to the Government's knowledge, Sir ;

(d) Various steps have been taken from time to time to check illegal exports of opium out of India. Apart from vigilance exercised by the State and Central enforcement agencies in the producing areas, at ports, the borders and other vulnerable areas, the licensing policy for opium cultivation accompanied by legal procurement of the entire produce, acts as a disincentive to illicit disposal. The result has been that the total seizures of opium of Indian origin in countries abroad have been, for several years past, less than half a per cent of the total seizures made by enforcement authorities outside India.

अनुसूचित जातियों का कल्याण

*513. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी और यह राशि किन-किन योजनाओं पर खर्च की गई थी ;

(ख) खर्च में कमी होने के क्या कारण थे ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कितनी धन राशि की व्यवस्था करने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं के लिए 43.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी :

केन्द्रीय क्षेत्र

1. मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तीया ;

2. लड़कियों के होस्टल ;

3. भंगियों तथा मेहतरों के काम की स्थिति में सुधार, जिसमें सिर पर विष्ठा ले जाने की प्रथा का उन्मूलन भी शामिल है ; तथा

4. भंगियों और मेहतरों के लिए मकान बनाने के लिये तथा अनुसूचित जातियों के (1) गंदे व्यवसायों में लगे लोगों अथवा (2) भूमिहीन मजदूरों को मकानों के लिए जमीनें देने के लिये उपदान ।

राज्य क्षेत्र

1. **शिक्षा :** छात्रवृत्तियों तथा वजीफे देना, शिक्षा फीसों से छूट, छात्रावासों तथा स्कूल के भवनों का निर्माण, दोपहर के भोजन की व्यवस्था तथा पुस्तक अनुदान ।

2. **आर्थिक उत्थान :** कृषि को सहायता, भूमि उपनिवेशन, सहकारिता, कुटीर उद्योग, छोटे सिंचाई साधन तथा पशुपालन इत्यादि ।

3. **स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनायें :** मकान तथा मकानों के लिए जमीनें, पेयजल प्रदाय योजनायें, चिकित्सा सहायता, स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता, कानूनी सहायता की व्यवस्था, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि स्थापित करना ।

(ख) 1965-66 में किये गये वास्तविक खर्च के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । इसलिए तीसरी योजना के दौरान होने वाली कमी को ठीक तरह आंकना सम्भव नहीं है । अलबत्ता, ऐसा अनुमान है कि केन्द्रीय क्षेत्र में विनिधान का पूरा उपयोग हो जायेगा यद्यपि निम्नलिखित कारणों से राज्य क्षेत्र में कमी रह सकती है :—

(1) संकट काल के दौरान प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं पर निधियों का खर्च करना ; तथा

(2) बराबर का अंशदान देने में राज्य सरकारों की असमर्थता ।

(ग) 66 करोड़ रुपये (अस्थाई)

परियोजनाओं के लिये सहायता

*514 **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में विभिन्न देशों, विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संगठनों ने किन-किन परियोजनाओं के लिए जिन पर विदेशी मुद्रा खर्च होगी, ऋण देने का आश्वासन दिया है और इनमें से प्रत्येक द्वारा दिये जाने वाले ऋण के पृथक्-पृथक् आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) इन ऋणों की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) . सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 6814/66]

ऐडवांस इंश्योरेंस कम्पनी, बम्बई

*515 **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **वित्त** मंत्री 10 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 445 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री चिरंजीतलाल गोयन्का द्वारा किये गये कर अपवंचन तथा स्वर्ण नियंत्रण आदेश और अन्य विधियों के उल्लंघन के मामले के बारे में की जा रही जांच पूरी कर ली है ;

(ख) इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) कर तथा जुर्माने के रूप में उससे कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(घ) क्या उसके विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया था तथा उसे सजा दिलाई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) आयकर की ओर से मामले की जांच-पड़ताल अभी चल रही है । स्वर्ण नियंत्रण आदेश के उल्लंघन सम्बन्धी जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है ।

(ख) स्वर्ण नियंत्रण आदेश के उल्लंघन सम्बन्धी जांच-पड़ताल से पता चला है कि श्री चिरंजीत लाल गोयन्का द्वारा प्राप्त किये गये 85.61 किलोग्राम सोने को उन्होंने भारत रक्षा (संशोधन) नियमावली, 1963 के नियम 126-I के अन्तर्गत घोषित नहीं किया था ।

(ग) जहां तक आयकर का सम्बन्ध है, अभी कर निर्धारण नहीं हुआ है और इसलिए कर की वसूली तथा दण्ड लगाने का सवाल नहीं उंठता । लेकिन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 (5) के अधीन संक्षिप्त आदेशों के आधार पर पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों में से 5,51,908 रुपये मूल्य के नकद रुपयों और जवाहिरात को नियमित कर-निर्धारण पर लगाये जाने वाले कर की वसूली के लिए रोक लिया गया है ।

जहां तक स्वर्ण नियंत्रण आदेश के उल्लंघन का सवाल है न्याय-निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है ।

(घ) आयकर के मामले में मुकदमा चलाने का सवाल जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर उठेगा । स्वर्ण-नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के सवाल पर विभागीय न्याय निर्णय हो जाने के बाद विचार किया जायगा ।

मुद्रा का मूल्यह्रास

*518. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रा के मूल्य-ह्रास से होने वाली हानि का बीमा करने के बारे में भारतीय बीमा संस्था के अध्यक्ष (प्रेजीडेंट) के सुझाव पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). जीवन बीमा निगम की राय है कि विदेशों में कुछ बीमा कम्पनियों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति पर आधारित यह सुझाव ऐसा नहीं है कि उसे देश में वर्तमान परिस्थितियों में खासकर लागू करने की आवश्यकता है या लागू किया जाना चाहिए ।

कच्चे माल का आयात

*519. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अखिल भारतीय निर्माता संघ के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते समय यह कहा था कि कच्चे माल के आयात को बनाये रखने में वर्तमान कमी के सन्दर्भ में उत्पादन में एक प्रकार का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस प्राथमिकता क्रम का ब्योरा क्या है ; और

(ग) देश की आवश्यकताओं को सरकार का किस सीमा तक पूरा करने का विचार है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) मैंने अपने भाषण में, रखरखाओं के आयातों में सुविशिष्टता बनाये रखने की आवश्यकता पर बल दिया था ।

(ख) और (ग) : 25 जुलाई, 1666 को सदन में प्रस्तुत पूरक आर्थिक सर्वेक्षण के पैराग्राफ 64 में, अर्थ-व्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत आयातों के रख-रखाव की उदारीकरण योजना बतायी गई है ।

कलकता-मध्य में शराब की दुकान पर छापा

*520. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री 21 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1257 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जून, 1965 को कलकता में एक मदिरालय पर मारे गये छापे में प्राप्त साक्ष्य की केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच से यह प्रमाणित हो गया है कि वहां पर अवैध रूप से आयात किये गये सामान का लेन-देन होता था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) शराबखाने के अन्दर से अधिक मात्रा में पकड़े गये विदेशी माल और विदेशी मुद्रा के नोटों से इस बात का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है कि विदेशों से अवैध रूप से लाये गये सामान का लेन-देन शायद शराबखाने में होता था ।

(ख) सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा शराबखाने के मालिक, प्रबन्धक और उसका कारोबार चलाने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ न्याय-निर्णय की कार्यवाही शुरू की गई है । कानूनी राय प्राप्त करने के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख, भारत रक्षा नियमावली, 1962 के नियम 131-ख, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 और विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 4 के साथ-साथ धारा 23 के भी अधीन नौ व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का विचार किया जा रहा है ।

ग्राम्य उद्योग परियोजनायें

*521. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्राम्य उद्योग परियोजनाओं के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) ये परियोजनायें अभी तक कितने राज्यों में आरम्भ की गई हैं और आगामी चौथी पंचवर्षीय योजना में उनके विस्तार की क्या सम्भावनायें हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) राज्य सरकारों से तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रगति प्रतिवेदन मांगे गये हैं ।

(ख) सब राज्य (नागालैंड को छोड़कर) और चार संघ शासित क्षेत्र यानी मणीपुर, त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गये हैं । परियोजनाओं का भावी विकास योजना आयोग के विचाराधीन है ।

हीराकुड बिजली घर

*525. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलाशय में जल का स्तर नीचा हो जाने के कारण हीराकुड बिजली घर से बिजली के उत्पादन में और अधिक कमी कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप न केवल सामान्य उपभोक्ताओं को अपितु औद्योगिक संस्थानों की भी, जिनमें रूरकेला इस्पात कारखाना भी शामिल है, बिजली का संभरण बहुत कम किया जाता है ; और

(ख) क्या हीराकुड में यह स्थिति पिछले अक्तूबर से चल रही है और उससे उत्पन्न होने वाली कमी को मचकुंड परियोजना पूरी नहीं कर सकती है ; और

(ग) इस स्थिति को संभालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक सामान्य स्थिति आ जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिसंबर, 1965 से हीराकुड से बिजली के उत्पादन में लगभग 25% की कटौती की गई थी । मचकुण्ड बिजली घर से इस कमी को पूरा न किया जा सका क्योंकि इस समय हीराकुड और मचकुण्ड बिजली प्रणालियों के बीच कोई सीधा पारेषण संपर्क नहीं है और गत् वर्ष क्षीण मानसून के कारण स्वयं मचकुण्ड बिजली घर में लगभग 40 % कम बिजली उत्पन्न हुई ।

(ग) हीराकुड सेवा क्षेत्र में बिजली की कमी को दूर करने के लिये दामोदर घाटी निगम से 7.5 मैगावाट थोक बिजली की सप्लाई का प्रबन्ध किया गया था । हीराकुड से बिजली का उत्पादन 25 जून, 1966 को सामान्य कर दिया गया ।

युगोस्लाविया के साथ ऋण सम्बन्धी करार

*526. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और युगोस्लाविया के बीच युगोस्लाविया द्वारा इस देश को दीर्घकालीन ऋण दिये जाने के बारे में हाल में कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) भारत को लम्बी अवधि का ऋण देने के लिए विदेशी व्यापार सम्बन्धी यूगोस्लाव बैंक (युगोस्लाव बैंक फार फारेन ट्रेड) से 18 जून, 1966 को एक करार किया गया था ।

(ख) इस ऋण की रकम 60 करोड़ रुपया है और इसे पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों और जहाजों के आयात के लिए इस्तेमाल किया जाना है । ऋण की शर्तों के बारे में बातचीत चल रही है ।

नदी जल विवाद

*527. **श्री वारियर :**
श्री दाजी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों के बीच अनिर्णीत जल विवादों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उनका हल निकालने के लिए और क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6815/66]

आसाम में बाढ़ नियंत्रण

*528. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में आसाम में बाढ़ नियंत्रण के लिये 18 करोड़ रुपये की एक योजना मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चतुर्थ योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद

*529. **श्री हरि विष्णु कामत:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में निर्धारित समय पर या इससे पहले, जैसी कि आशा थी, उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना नहीं है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किस निश्चित तिथि को यह मिल चालू हो जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। लगभग तीन महीने की देर होने की सम्भावना है।

(ख) इसके मुख्य कारण कुछ बायलर-संयंत्रों के प्राप्त होने और पानी के अन्तर्ग्राही (इनटेक) कुएं के निर्माण में देरी होना है। अन्य कारण हैं ब्रिटेन से कुछ केबुलों के जहाज द्वारा भेजे जाने और स्थानीय रूप से बनायी जाने वाली कुछ वस्तुओं के निर्माण में देर होना, जिनके निर्माण के लिये तांबे की जरूरत पड़ती है।

(ग) यदि अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा न हुईं, तो आशा है कि कारखाने में मार्च, 1967 से उत्पादन होने लगेगा।

दिल्ली में यमुना नदी में बाढ़

*531. **श्री राम हरख यादव :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली को वर्षा ऋतु में बाढ़ों के प्रकोप तथा पानी के खड़ा रहने से बचाने के लिए किये गये पूर्वोपायों का स्वरूप तथा ब्योरा क्या है ;

(ख) इस वर्ष दिल्ली में यमुना की बाढ़ों से कितनी हानि हुई है ; और

(ग) बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में क्या राहत कार्य किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग). दिल्ली में बाढ़ मुख्यतः नजफगढ़ नाले और यमुना नदी में बाढ़ आने से आया करती है। 1964 में दिल्ली को यमुना नदी की अपेक्षा नजफगढ़ नाले से काफी अधिक नुकसान हुआ। तबसे नजफगढ़ नाले को जो कि झील के पानी का निकास करता है, चौड़ा और गहरा कर दिया गया है और पुलों के नीचे जल मार्ग को भी अधिक कर दिया गया है। कुछ नये पुल भी बनाये गये हैं जिनमें जल मार्ग काफी है। यद्यपि अभी कार्य का 80% भाग ही पूर्ण हुआ है यमुना में जल ले जाने के लिये नजफगढ़ नाले की स्थिति काफी बेहतर हो गई है और इससे दिल्ली के ग्रामीण और निर्मित शहरी क्षेत्रों की बाढ़ द्वारा होने वाली हानि से बचाव हो गया है।

यमुना नदी ग्रामीण और शहरी इलाकों में से होकर गुजरती है। यमुना नदी के बायें तट पर एक बाढ़ तट का निर्माण कर दिया गया है जिसको शहदरा बन्ध कहते हैं। दायें तट की ओर जी० टी० रोड दिल्ली के उन क्षेत्रों की रक्षा करती है जोकि इसके पश्चिम की ओर हैं। जी० टी० रोड और यमुना नदी के बीच और भी कई एक छोटे छोटे बन्ध हैं जोकि पल्ला बन्ध, मुखमेलपुर बन्ध, शाहआलम बन्ध के नाम से जाने जाते हैं और जो दिल्ली के ग्रामों और नव विकसित शहरी क्षेत्रों की स्थानीय सुरक्षा करते हैं। ताजेवाला और यह नदी दिल्ली के बीच बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को जल प्लावित करती है और इससे बाढ़ की भयंकरता में कमी आ जाती है जब बाढ़ का पानी दिल्ली पहुंचता है यमुना पर और इसकी सहायक नदियों पर जल संचय बांधों के पश्चात् यमुना के दोनों ओर तट बन्धों के निर्माण पर विचार किया जा सकता है। तटों का कुछ सीमा

तक निर्माण का हाईड्रालिक माडलों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। अभी तक 15-8-1966 को यमुना नदी रेलवे पुल पर आर० एल० 675.4 तक ही पहुंची है जोकि खतरे के स्तर से 3-4 फुट ऊपर है और 1964 के स्तर से 7 फुट ऊपर है। यमुना की बाढ़ से संघीय प्रदेश दिल्ली का 30,000 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ है इसमें से 20,000 एकड़ तो अलीपुर ब्लाक का ही क्षेत्र है। यमुना में आई बाढ़ से 45 ग्राम प्रभावित हुये हैं इनमें से 30 तो नदी के बहुत निकट निम्न स्तरों में स्थित हैं और इन ग्रामों का जल प्लावन लगभग हर वर्ष ही हुआ करता है और इनको रोका भी नहीं जा सकता क्योंकि ये बाढ़ तल में ही स्थित हैं। 5 ग्राम यमुना और शहदरा बन्ध के बीच स्थित हैं। लेकिन जगतपुर, वजीराबाद, गोपालपुर, सावापुर आदि जैसे ग्राम जिनकी सुरक्षा करना इसलिये संभव नहीं क्योंकि एक तो नदी के बहुत निकट स्थित हैं और दूसरे वहां से स्थानांतरित भी नहीं होना चाहते और इसलिये दिल्ली की बाढ़ हमारा ध्यान आकर्षित करती है और उनकी सहायता के लिये हर साल कम से कम 4 से 5 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं। मुखमेलपुर जैसे जिन ग्रामों का स्तर हर साल आई बाढ़ों के स्तर से ऊंचा है उनकी रक्षा के उपायों की जांच की जा रही है इसलिये मुखमेलपुर के बंधों को मजबूत करने के कार्य को हाथ में लिया जा रहा है।

इस वर्ष दिल्ली में बाढ़ों द्वारा ग्रामों के निम्नस्तरीय भागों के घरों के नुकसान के अलावा 7000 एकड़ की खरीफ की खड़ी फसलों को भी हानि हुई है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के बाढ़ पूर्व सूचना एकक द्वारा यमुना नदी और नजफगढ़ नाले (ढासा बन्ध नियामक पर) के लिये बाढ़ पूर्व सूचनायें और चेतावनियां बाढ़ों के समय से काफी पहले ही दे दी जाती हैं और दिल्ली प्रशासन बाढ़ द्वारा प्रभावित लोगों की सहायता के लिये सभी आवश्यक उपाय करता है। दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित सहायता उपाय किये गये हैं।

(क) बाढ़ द्वारा प्रभावित परिवारों और पशुओं को उन इलाकों से खाली करने के लिये किश्तियों और मोटर किश्तियों की सप्लाई।

(ख) 6 सहायता केन्द्रों पर बाढ़ द्वारा प्रभावित लोगों को राशन की सप्लाई जिसमें आटा, भुने हुये चने, गुड़ आदि शामिल हैं।

(ग) बाढ़ द्वारा प्रभावित लोगों और पशुओं को रखने के लिये निश्चित जगहों पर तम्बुओं, सिरकियों, बांसों और बोरिओं की सप्लाई।

(घ) बाढ़ द्वारा प्रभावित ग्रामों और अस्थाई आश्रय स्थानों में दवाईयों और सफाई का प्रबन्ध।

(ङ) सहायता केन्द्रों पर हैंड पम्पों और अतिरिक्त नलकों के प्रबन्ध से पीने के पानी का इन्तजाम।

(च) बाढ़ द्वारा प्रभावित ग्रामों में भू-राजस्व और तकावी ऋण की वसूली को स्थगित कर देने का विचार है। फसलों को हुये नुकसान का मूल्यांकन करने के पश्चात् रियायत के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

*532. **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1966 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान को 22 करोड़ रुपये का घाटा है और इसको केन्द्रीय सरकार से ऋण लेकर या रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट करके पूरा किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां

(ख) : राजस्थान सरकार के लिए, इस प्रयोजन के लिए पिछले जून के अंत में पर्याप्त ऋण सहायता की मंजूरी दी गयी थी और उसे यह सलाह भी दी गयी थी कि खर्च में अधिक से अधिक कमी की जाय, ताकि खर्च उपलब्ध साधनों की सीमा के अन्दर ही रहे ।

राष्ट्रीय आय

*533. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 अप्रैल, 1966 को समाप्त होने वाले पन्द्रह वर्षों में चीन, जापान और भारत में राष्ट्रीय आय, कोयला, इस्पात और अन्य आधारभूत उद्योगों के विकास के बारे में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इलेक्ट्रोनिक संगणक (कम्प्यूटर)

* 534. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1966 के अन्तिम सप्ताह में भारत सरकार तथा मेसर्स

हनी वेल्स इंक नामक एक गैर-सरकारी फर्म के बीच एक करार हुआ था जिसकी शर्तों के अनुसार वह फर्म 70 लाख डालर की लागत पर विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयोग के लिए 10 इलेक्ट्रोनिक संगणकों की सप्लाई करेगी;

(ख) इन संगणकों को किन-किन विभागों तथा स्थानों पर लगाया जायेगा; और

(ग) इन संगणकों की खरीद के लिए आर्थिक कार्य विभाग ने किन कारणों से विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत सरकार ने 28 जून, 1966 को अमेरिका की मेसर्स हनी वेल इनकारपोरेटेड नामक कम्पनी के साथ 125,000 डालर प्रति संगणक (कम्प्यूटर) के रियायती मूल्य पर 5 वर्ष के लिए आवश्यक फालतू पुर्जों सहित, माडल 400 के 10 हनी वेल संगणक खरीदने के लिए एक करार किया है। कुल मिलाकर इस खरीद पर 12.5 लाख डालर खर्च होंगे।

(ख) चूंकि इन संगणकों की मांग, पूर्ति (सप्लाई) से अधिक है, इसलिए विभिन्न मांग-कर्ताओं (इंडेण्टर्स) के बीच इन संगणकों के ठीक-ठीक वितरण के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(ग) सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखकर यह प्रस्ताव स्वीकार किया है :

(1) यह कम्पनी, 5 वर्ष के लिए आवश्यक फालतू पुर्जों सहित इन संगणकों को, खातों में दिखाये गये लगभग 75 लाख डालर के मूल्य की बजाय 12.5 लाख डालर पर बेचने के लिए तैयार थी;

(2) इन संगणकों के प्राप्त होने से, भारत में संगणकों से सम्बद्ध आवश्यक तकनीकों के विकास का पर्याप्त अवसर मिलेगा; और

(3) इन यंत्रों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी प्रतिष्ठानों ने मांग की थी।

दिल्ली में मकानों का गिराया जाना

*535. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्रों में मकान गिराये जा रहे हैं, यद्यपि वे मकान दिल्ली नगर निगम की स्थापना से पहले से बने हुए हैं;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम ने उन लोगों के, जिनके मकानों को गिरा दिया गया है, वैकल्पिक मकान/प्लाट देकर उन्हें प्रतिकर देने तथा फिर से बसाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बृहत् योजना में बहुत अधिक विषमता है और कुछ रिहायशी बस्तियों को, जो चिरकाल से बनी हुई हैं, बृहत् योजना में "ग्रीन फील्डों" के रूप में दिखाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन बस्तियों को नियमित करने तथा वृहत् योजना से उनको निकालने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, जिससे कि गरीब लोगों को होने वाली बड़ी कठिनाई से बचाया जा सके ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) दिल्ली नगर निगम केवल दिल्ली म्युनिसीपल कारपोरेशन ऐक्ट, 1957 की व्यवस्थाओं के अनुसार बगैर मंजूरी के बनाई गई अनधिकृत इमारतों को गिरा रहा है ।

(ख) मकान, जो कि खतरनाक/खस्ता हालत में हैं, नगर निगम द्वारा सामान्य औपचारिकतायें निभाने के बाद गिराये जाते हैं, तथा ऐसे मकानों में रहने वालों को ट्रान्सिट कैम्पों में भेज दिया जाता है, किन्तु स्थाई आधार पर उन्हें कोई वास नहीं दिया जाता ।

(ग) और (घ). अभी तक दो बस्तियों का मामला नोटिस में आया है जिन्हें कि दिल्ली के मास्टर प्लान में "एग्रीकल्चरल ग्रीन" दिखाया गया है तथा जो नगर निगम द्वारा नियमित कर दी गई हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक बस्ती की भूमि के उपयोग के परिवर्तन की सिफारिश कर दी है तथा उसके मामले को सरकार के पास भेज रही है । दूसरी बस्ती के मामले का भी यथासमय में परीक्षण किया जायेगा ।

अन्तर्राज्य बिक्री कर

* 536. **श्रीमती मैमूना सुल्ताना :**

श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1966 से अन्तर्राज्य बिक्री-कर बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ अपवादों को छोड़कर, पंजीकृत विक्रेताओं एवं सरकार को की गई अन्तर्राज्य बिक्री पर लगाये जाने वाले केन्द्रीय बिक्री कर की दर पहली जुलाई, 1966 से दो प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत कर दी गई है ।

(ग) उपर्युक्त वृद्धि राज्यों के साधनों को बढ़ाने की दृष्टि से की गई है जिससे वे अपनी योजना सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

*537. **श्री स० मो बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने यह मांग की हैं कि हाल में नियुक्त किये गये महंगाई भत्ता आयोग द्वारा अन्तिम निर्णय दिये जाने तक अन्तरिम सहायता दी जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सरकारी कर्मचारियों के कुछ संघों से अन्तरिम सहायता दिये जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) महंगाई भत्ता आयोग से कहा गया है कि वह महंगाई भत्ते की वर्तमान दर काफी है या नहीं इस बारे में तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट पेश कर दे। यदि कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त हुआ तो इस सम्बन्ध में आयोग की रिपोर्ट अगले महीने के अन्त तक मिल जाने की आशा है। इसलिए अन्तरिम सहायता देने के बारे में किसी प्रस्ताव पर अलग से विचार नहीं किया जा रहा है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई परियोजनाएं

*538. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में मझली तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए रखी गई समूची धनराशि खर्च की जा चुकी है और इस योजना की अवधि में सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कौन-कौन से राज्य परियोजनाओं को निष्पादित नहीं कर सके और क्या ऐसी परियोजनाओं के लिए रखी गई कोई धनराशि अन्य अनुत्पादक प्रयोजनों पर खर्च की गई है; और

(घ) क्या इस मामले में चूक करने वाले राज्यों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, मझली तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर 374 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जब कि 293 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था की गई थी। मझली सिंचाई कार्यक्रम पर 113 करोड़ रुपये खर्च किये गये, जब कि 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। इसी प्रकार छोटी सिंचाई कार्य-

क्रम पर 261 करोड़ रुपये खर्च किये गये जब कि व्यवस्था 173 करोड़ रुपये थी। अधिकतर पीछे से चली आ रही योजनाओं पर किये जाने वाले सम्भावित निर्माण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया।

(ख) मझली सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय-व्यवस्था में जो लगभग 6 प्रतिशत की थोड़ी कमी हुई उसका कारण राज्यों द्वारा इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा आवंटन करना था।

(ग) मझली सिंचाई के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कमी हुई। गुजरात तथा सीमान्त रूप से असम, जम्मू तथा कश्मीर और केरल को छोड़कर इन राज्यों में छोटी सिंचाई योजनाओं पर जो अधिक खर्च किया गया वह मझली सिंचाई के अन्तर्गत जो कमी आई, उससे काफी ज्यादा है। असम, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर और केरल में बिजली के अन्तर्गत जो अधिक खर्च किया गया वह, मझली और छोटी सिंचाई में जो कमी आई उससे काफी ज्यादा था। मझली तथा छोटी सिंचाई के कामों से लेकर कोई भी राशि अनुत्पादक कार्यों पर खर्च नहीं की गई।

(घ) समस्त रूप से साधनों की बंदिश के अन्तर्गत, मझली तथा छोटी सिंचाई कार्यक्रमों की आवश्यकताओं की चौथी योजना में अधिकतम सम्भव सीमा तक पूर्ति करने का प्रयत्न किया जायेगा।

केरल में मकान बनाने की योजनाएं

2603. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के तीन नगरों में मकान बनाने की कोई योजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं और कौन-कौन-सी योजनाएं मंजूर की गई हैं;

(ग) क्या भूमि अर्जन करने का काम पूरा हो चुका है;

(घ) इन योजनाओं के कब तक पूरी हो जाने की आशा है; और

(ङ) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत प्रत्येक नगर में कितने मकान बनाये जायेंगे ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं राज्य सरकारों के द्वारा कार्यान्वित होती हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा राज्य के तीन जिलों में आवासीय यूनिटों की स्थापना करने के लिए एक स्टेट हाउसिंग बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव केरल सरकार का है। नगरों के नाम का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). हाउसिंग बोर्ड के स्थापित होने के बाद इसके सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाये जायेंगे।

कोजीकोड में पीने के पानी की कमी

2604. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सूखे की स्थिति के कारण कोजीकोड निगम में पीने के पानी की अत्यन्त कमी है;

(ख) क्या निगम ने कोजीकोड में अधिक नलकूपों की व्यवस्था करने के लिए कोई सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) केरल सरकार ने दो नलकूपों के निर्माण की मंजूरी दे दी है ।

मैसूर से केरल को बिजली का सम्भरण

2605. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए मैसूर सरकार से बिजली देने की प्रार्थना की है;

(ख) क्या मैसूर सरकार केरल को बिजली देने के लिए सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो मैसूर सरकार ने पिछले छः महीनों में कितनी बिजली दी है तथा किस दर पर;

(घ) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने अपना वचन पूरा नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां, अस्थाई आधार पर ।

(ग) मद्रास ग्रिड से केरल को लगभग 500 लाख यूनिट बिजली भेजी गई । मद्रास सरकार ने प्रति यूनिट के लिए 13 पैसे मांगे हैं परन्तु केरल राज्य बिजली बोर्ड, जब तक दरों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, प्रति यूनिट के लिए 12 पैसे दे रही है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी मुद्रणालय, कोराट्टी

2606. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोराट्टी (केरल) में सरकारी मुद्रणालय का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या इस मुद्रणालय के प्रबन्धक तथा कर्मचारी कोयम्बटूर में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). सिवाय कुछ बाहरी कार्यों के भवन का निर्माण पूरा हो गया है । मशीनों के लगाने का कार्य चल रहा है ।

(ग) और (घ). कोयम्बटूर को कोई कर्मचारी स्थानान्तरित नहीं हुए थे । किन्हीं कारणों से प्रबन्धक का स्थानान्तरण कोयम्बटूर को हुआ था किन्तु वे कोराट्टी में मुद्रणालय की स्थापना के सम्बन्ध में आरम्भिक कार्यों के इन्चार्ज बने रहे । उनका पुनर्स्थानान्तरण कोराट्टी को कर दिया गया है ।

घड़ियों का आयात

2607. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रतिवर्ष कई करोड़ के मूल्य की बहुत-सी घड़ियां चोरी-छिपे लाई जाती हैं; जिससे देश में घड़ी उद्योग को बहुत नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इसके बारे में कोई आंकड़े हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बुराई को दूर करने हेतु आयात नीति को उदार बनाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). भारत में अभी भी चोरी छिपे काफी घड़ियां लाई जाती हैं । किन्तु इस विषय में ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

केरल में जल सम्भरण योजनाएं

2608. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में शेतलाई और कायमकुलम में जल संभरण योजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि यह राशि बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अनुदान को बढ़ाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 1966-67 में 4 लाख रुपये (प्रत्येक योजना के लिए 2 लाख रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन का लक्ष्य

2609. **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री लखमू भवानी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों को 1966-67 के लक्ष्य सूचित किये जा चुके हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(1) **गर्भाशयी गर्भरोधकों (लूप) के लिए**
शहरी क्षेत्रों में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे 20 गर्भाशयी गर्भरोधकों का प्रयोग । देहाती क्षेत्रों में प्रति हजार आबादी के पीछे 10 गर्भाशयी गर्भरोधकों का प्रयोग । देश में कुल 60 लाख ।

(2) **बन्ध्यीकरण के लिए**
प्रति हजार आबादी के पीछे 2.5 बन्ध्यीकरण ।
देश में कुल 12.30 लाख ।

(3) **कन्डोम के प्रयोग के लिए**
शहरी क्षेत्रों में प्रति हजार 8 व्यक्ति ।
देहाती क्षेत्रों में प्रति हजार 4 व्यक्ति ।
उपयोग करने वालों की कुल संख्या 23 लाख ।

(4) **फोम टेबलेट्स / जेली (क्रीम) के प्रयोग के लिए**
शहरी क्षेत्रों में प्रति हजार 2 स्त्रियां ।
देहाती क्षेत्रों में प्रति हजार 1 स्त्री ।

वैगाई नहर आधुनिकीकरण योजना

2610. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने वैगाई नहर आधुनीकीकरण योजना की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं ।

(ख) इस परियोजना में निम्नलिखित निर्माण कार्य परिकल्पित हैं :–

1. वैगाई नदी पर दो नियामक ;

2. 13,900 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए और सिंचाई अधीन 95,882 एकड़ की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए भी वर्तमान कई नालियों को, जिनको अब वैगाई नदी से पानी सीधा मिल रहा है, और साथ-साथ मिले हुए तालाबों को नये शीर्ष सलूसों के द्वारा पानी से भरने के लिए दोनों किनारों पर नहरें ।

इस स्कीम की अनुमित लागत 395 लाख रुपये है ।

केरल में बिजली में कटौती

2611. **श्री में० क० कुमारन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल बिजली बोर्ड ने इस वर्ष वर्षा न होने के कारण बिजली में कितनी अवधि के लिए और कितनी कटौती की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): मानसून के अभाव के कारण 1965 और 1966 के दौरान केरल में बिजली की कटौती कितनी अवधि के लिए और किस किस्म की की गई, उसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

अवधि	बिजली में की गई कटौती की प्रतिशतता
7-6-65 से 18-6-65 (12 दिन)	उद्योगों के लिए बिजली में 100% कटौती ।
30-6-65 से 15-7-65 (16 दिन)	उद्योगों के लिए बिजली में 50% कटौती ।
15-11-65 से 10-12-65 (26 दिन)	उद्योगों, सिनेमाघरों और व्यापारिक संस्थानों के लिये बिजली में 25% कटौती ।
11-12-65 से 18-6-66 (190 दिन)	उद्योगों और सिनेमाघरों के लिए बिजली में 25% कटौती और व्यापारिक संस्थानों तथा घरेलू कामों के लिये 50% ।

केरल के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

2612. **श्री पोट्टेकाट्ट :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सेवा के आधार पर वृद्धि करने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थायी पद पर लगाये जाने से पहले अस्थायी पदालि में पन्द्रह वर्षों से अधिक अवधि तक निरन्तर सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उससे लाभ होगा ; और

(ग) राज्य सेवाओं में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) से (ग). केरल सरकार से सूचना मांगी जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

लक्कदीव द्वीप समूह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2613. **श्री नल्लाकोया थेंगल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लक्कदीव तथा अमीनदीव द्वीप समूह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रहकर इलाज कराने वाले रोगियों को वहां पर नर्स न होने के कारण बहुत अधिक कठिनाई अनुभव हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सामान्यतया जो स्टाफ नियुक्त किया जाता है उसमें नर्स नहीं अपितु एक लेडी हेल्थ विजिटर और एक सहायक नर्सधात्री अथवा धात्री सम्मिलित हैं, इसलिए लक्षदीवि और अमनदीवी द्वीप समूहों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अभी तक नर्स का कोई पद मंजूर नहीं किया गया है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अंतरंग पलंग केवल आपतकालीन और प्रसूति के रोगियों के लिए होते हैं । प्रसूति के रोगी तथा प्रसूति रोगियों से भिन्न महिला रोगियों को सहायक नर्स धात्री और महिला हेल्थ विजिटर देखती हैं तथापि इन द्वीप समूहों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर दुबारा विचार किया जा रहा है ।

रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में मूर्तियों की स्थापना

2614. **श्री लखमू भवानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के द्वार पर 'यक्ष' और 'यक्षिणी' की दो मूर्तियां स्थापित की जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो ये मूर्तियां वहां कब लगाई जायेंगी ; और

(ग) उन पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) शीघ्र ही।

(ग) लगभग 3 लाख रुपये।

केरल राज्य में कुंडारा के लिए जल सम्भरण योजना

2615. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य की कुण्डारा पंचायत से कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें उस क्षेत्र के लिए जल सम्भरण योजना मंजूर किये जाने की प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां तो, इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार से मई, 1966 में 4,34,800 रुपये की अनुमानित लागत की कुंडारा जल पूर्ति योजना प्राप्त हुई। राज्य सरकार को जिसने इस योजना को राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के ग्रामीण अंश के अंतर्गत मंजूर करने का अनुरोध किया था, यह सूचित कर दिया गया कि 1961 की जन गणना रिपोर्ट में कुंडारा को नगर क्षेत्र माना गया है अतः उस कस्बे की इस जल पूर्ति योजना पर इस कार्यक्रम के ग्रामीण अंश के अंतर्गत विचार नहीं किया जा सकता तथापि यदि राज्य सरकार इस योजना को राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के नगर वाले अंश के अंतर्गत लेना चाहती है तो वे इसे उन्हें सौंपी गई शक्तियों के अधीन मंजूर एवं कार्यान्वित कर सकते हैं।

कुंडारा पंचायत के अध्यक्ष को सूचित कर दिया गया है कि वह इस मामले में राज्य सरकार से अनुरोध करें।

सरकारी इमारतों को सजाने के लिए कलाकार समिति

2616. **श्री राम हरख यादव :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी इमारतों को सजाने के लिए कलाकारों का चयन करने वाली समिति का पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी हां।

(ख) समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार हो गया है :—

1. श्री प्रेम कृष्ण, सचिव, निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2. श्री ए० एन० झा, मुख्य आयुक्त, दिल्ली।	सदस्य

3. डा० एम० एस० रंधावा, मुख्य प्रकाशक, चण्डीगढ़ । — सदस्य

4. डा० मुल्क राज आनंद, अध्यक्ष, ललित कला अकादमी । — सदस्य

5. अवर सचिव (निर्माण), निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय । — सचिव

अनधिकृत बस्तियों का नियमित किया जाना

2617. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों से सम्बन्धित 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 474 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन 70 बस्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है; और

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा इन क्षेत्रों की जोनल विकास योजनाओं को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) एक सूची संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 6816/66]

(ख) एक क्षेत्रीय विकास योजना का बनाया जाना पहले ही से शुरू किया हुआ है। इन योजनाओं को किस तारीख तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा यह बताना संभव नहीं है, क्योंकि अनुमोदित होने से पूर्व उन्हें कई स्तरों से गुजरना पड़ेगा। तथापि, यह आशा की जाती है कि इन योजनाओं को लगभग दो वर्षों में अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

केरल में एर्णाकुलम का जनरल अस्पताल

2618. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या केरल राज्य में एर्णाकुलम के जनरल अस्पताल में 200 विस्तरों का एक नया प्रसूति वार्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रसूति वार्ड का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां।

(ख) चौथी योजना में।

श्री सावरकर का स्मारक

2619. **श्री हरि विष्णु कामत : श्री नाथ पाई :**
श्री हेम बरुआ : श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 6 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1007 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री विनायक दामोदर सावरकर का स्मारक बनाने के सुझावों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (**श्री मेहरचन्द खन्ना**): (क) और (ख). राजधानी में श्री सावरकर की मूर्ति स्थापित करने के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। जिन्होंने सुझाव भेजे थे उन्हें यह सूचित कर दिया गया था कि यदि इसमें होने वाले सारे खर्चे का भार उठाने का आश्वासन के साथ कोई विशिष्ट प्रस्ताव भेजा जाये तो उसे दिल्ली में मूर्तियां स्थापित करने वाली समिति के सामने विचारार्थ रख दिया जायेगा। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उद्योगों को करों में रियायत देना

2620. **श्री नि० रं० लास्कर : श्री बसुमतारी**
श्री लीलाधर कटकी : श्री बूटा सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव उद्योगों को चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने पर खर्च की गई राशि पर करों में रियायत देने का है ; और

(ख) क्या इससे नये विकसित तरीकों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी और इस योजना से उद्योग पर कितना असर पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (**श्री शचीन्द्र चौधरी**): (क) जी, नहीं। किसी व्यापार की हानि और लाभ की संगणना करते समय वैज्ञानिक गवेषणा पर किये गये निम्नलिखित व्यय की कटौती की व्यवस्था आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 में है :—

(i) व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक गवेषणा पर स्वयं कर-निर्धारिती द्वारा किया गया राजस्व व्यय।

(ii) वैज्ञानिक गवेषणा के निमित्त काम में लाने के लिए किसी ऐसे विश्वविद्यालय, कालेज अथवा किसी अन्य संस्था अथवा वैज्ञानिक गवेषणा संघ को दी गई कोई रकम जिसका

उद्देश्य वैज्ञानिक गवेषणा करने का हो ; फिर चाहे इस प्रकार की गवेषणा का सम्बन्ध कर- निर्धारिती के व्यापार से हो अथवा न हो; परन्तु इसमें शर्त यह है कि वह विश्वविद्यालय, कालेज अथवा संस्था वा संघ निर्धारित प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हो ।

(iii) कर-निर्धारिती जिस किस्म का व्यापार करता हो, उस तरह के व्यापार से सम्बन्धित सामाजिक विज्ञान अथवा सांख्यिकी गवेषणा के निमित्त काम में लाने के लिए किसी स्वीकृत विश्वविद्यालय, कालेज अथवा किसी अन्य संस्था को दी गई कोई रकम ।

(iv) कर निर्धारिती जिस किस्म का व्यापार करता हो उस तरह के व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक गवेषणा करने के लिए कर निर्धारिती द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय । जिस पिछले वर्ष में यह खर्चा किया गया है उससे सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष से शुरू करके लगातार अगले पांच वर्षों की अवधि में बराबर-बराबर किस्तों में छूट के रूप में यह कटौती दी जाती है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्य देशों से तदर्थ तकनीकी सहायता

2621. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 में विभिन्न विदेशों से कितनी तकनीकी सहायता प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):1965-66 में विभिन्न देशों से जितनी तकनीकी सहायता प्राप्त हुई, उसका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

देश	प्रशिक्षण-स्थानों की संख्या	विशेषज्ञों की संख्या	उपकरण
(1)	(2)	(3)	(4)
आस्ट्रेलिया	62	2	—
ब्रिटेन	184	25	—
कनाडा	82	3	—
डेनमार्क	2	—	मैसूर में शिक्षा-प्रायोजना के लिए उपकरण और सामान (कीमत मालूम नहीं)
फ्रांस	94	2	—
जर्मनी (संघीय गणराज्य)	81	5	टेलीविजन स्टुडियो के लिए 14.53 लाख रुपये के उपकरण और मंडी के लिए 9.29 लाख रुपये का कृषि सम्बन्धी सामान ।

इटली	3	—	—
जापान	38	6	—
नैदरलैंड	3	—	—
न्यूजीलैंड	4	1	—
स्वीडन	20	—	8000 टन कागज
स्विटजरलैंड	1	—	—
संयुक्त राज्य अमेरिका (भारत-अमेरिका कार्यक्रम के अन्तर्गत)	333	264	—
जोड़	907	308	—

इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र संघीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, फोर्ड प्रतिष्ठान और राकफेलर प्रतिष्ठान से भी तकनीकी सहायता प्राप्त हुई ।

कानपुर के बागला उद्योग समूह से आय-कर की बकाया राशि

2622. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के बागला उद्योग समूह से आय कर की 50 लाख रुपये की राशि वसूल करनी शेष है ;

(ख) यदि हां, तो यह रशि कब से वसूल नहीं की गई है; और

(ग) यह राशि वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) वसूली के लिये बकाया रकम 61.47 लाख रुपये है ।

(ख) बकाया रकम मुख्यत: 1960 से 1966 के बीच की गई मांगों से सम्बन्धित है ।

(ग) बकाया रकम में से, 43.75 लाख रुपये की कुल मांग की वसूली उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा रोक दी गई है । 1.23 लाख रुपये की एक अन्य मांग, अपीलों के निर्णय होने तक के लिये विभागीय अधिकारियों द्वारा रोक दी गई है । बाकी रकम में से 7.31 लाख रुपया कर को घटाने के लिए की गयी याचिकाओं से सम्बन्ध रखता था । ये याचिकाएं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 25 मई 1966 को नामंजूर कर दी गई हैं । 8.97 लाख रुपये की मांग 1965-66 में की गई थी । अन्तिम दो मदों पर अब आगे कार्यवाही की जा रही है ।

स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन के विरुद्ध कर अपवंचन के आरोप

2623. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन की सम्पति पर कर अपवंचन केआरोपों की जांच कर ली है और कथित सम्पत्ति पर आय-कर और सम्पदा शुल्क का निर्धारण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्पत्ति से कुल कितना कर और दण्ड शुल्क, यदि कोई लगाया गया है, वसूल किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) स्वर्गीय डा० सैफुद्दीन के कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 तक के आयकर तथा धनकर के कर-निर्धारण पूरे किये जा चुके थे । लेकिन कर की चोरी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर फिर से पूछ-ताछ शुरू कर दी गयी है । यह पूछ-ताछ अभी भी चल रही है ।

(ख) पूछ-ताछ अभी पूरी नहीं हुई है इसलिये यह कहना सम्भव नहीं है कि वसूल किये जाने वाले कर की कुल रकम कितनी होगी । दण्ड लगाने का प्रश्न अगर कोई हुआ तो, पूछ-ताछ पूरी होने पर ही पैदा होगा ।

Income-Tax Arrears

*2624. **Shri M.L. Dwivedi :**
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Yashpal Singh :
Shri Lakhmu Bhawani :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The total amount of Income-Tax arrears, outstanding with the tax-payers at the end of 1965-66 ;

(b) whether this amount includes the outstanding arrears of the previous years as well ;

(c) if so, the outstanding amount of the previous years ; and

(d) the special steps taken to collect the tax arrears ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) The Income-tax arrears as at the end of 1965-66 amounted to Rs. 399·03 crores.

(b) Yes, Sir.

(c) Rs. 234·49 crores.

(d) Such steps as are available in law are being taken on the merits and circumstances of each case.

श्री हरिदास मूंदड़ा के विरुद्ध मामले

2625. **श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री हरिदास मूंदड़ा के विरुद्ध कर-अपवंचन तथा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामले की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच का परिणाम क्या रहा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). ब्रिटेन के व्यापार बोर्ड के निरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें श्री हरिदास मूंदड़ा द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के कतिपय उल्लंघनों का संकेत था, श्री मूंदड़ा को विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 की धारा 19(2) के अन्तर्गत एक निदेश पत्र जारी किया गया था। इस निदेश-पत्र के जवाब में श्री मूंदड़ा ने कुछ कागजातों के निरीक्षण की अनुमति मांगी थी और यह अनुमति उनको दे दी गई थी। लेकिन श्री मूंदड़ा ने अभी तक इस अनुमति का कोई लाभ नहीं उठाया है। अब यह विचार किया जा रहा है कि क्या विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के अन्तर्गत श्री मूंदड़ा को 'शो काज् नोटिस' जारी किया जाय। उसी रिपोर्ट के आधार पर आय-कर अधिकारियों ने श्री मूंदड़ा के खिलाफ कर की चोरी के दृष्टिकोण से जांच-पड़ताल शुरू की है। यह जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

Grants-in-Aid to Alleppey Medical College

*2626. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central and the State Governments have given more than ten lakh rupees to the Alleppey Medical College by way of grants-in-aid or otherwise ;

(b) whether Government have received any complaint about the misuse or mis-appropriation of lakhs of rupees by the management of the said college ; and

(c) whether any enquiry has been conducted by Government in this matter ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) An **ad-hoc** grant of Rs. 5 lakhs was sanctioned by the Union Ministry of Health in 1962-63. Besides, the Government of Kerala has decided to help the institution to meet the deficit in the annual recurring expenditure on a fixed ratio of 60:40 between the State Government and the T. D. Medical College, Alleppey from the year 1966-67.

(b) and (c). Complaints about the misuse or mis-appropriation of the capitation fees collected by the Management were received. The matter was enquired into by the State

Government and the preliminary finding was that though there was diversion of funds to meet the immediate needs of the College, there was no prima facie case of mis-appropriation. The State Examiner of Local Funds Accounts has been ordered to conduct a detailed audit of the accounts of the College.

फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा लोक स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के लिए अनुदान

2627. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि फोर्ड प्रतिष्ठान ने भारत की लोक स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन संस्थाओं में उच्च पदों के लिये तैयारी करने वाले भारतीयों को अमरीका में प्रशिक्षण प्राप्ति हेतु अधिछात्र-वृत्तियां जारी रखने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को वित्तीय अनुदान मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन वित्तीय अनुदानों की राशि कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) तीन वर्षों की अवधि के लिये सामकेतिक परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम की सहायता के लिए फोर्ड प्रतिष्ठान ने स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय को 2,280,000 डालर का अनुदान देना मंजूर कर लिया है । इस राशि में 317,000 डालर की वह राशि भी सम्मिलित है जो विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अधिछात्रवृत्तियों तथा प्रेक्षण यात्राओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को देनी है ।

केरल भूमि सुधार अधिनियम

2628. **श्री वारियर** :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल भूमि सुधार अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताविक संशोधनों का क्या स्वरूप है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). कतिपय कानूनी तथा प्रशासनिक दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 में संशोधन करने के प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

रामकृष्णपुरम में क्वार्टरों का निर्माण

2629. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम तथा अन्य सरकारी बस्तियों में अब तक कितने क्वार्टर बनाये जा चुके हैं ; और

(ख) इन क्वार्टरों के बन जाने पर इस वर्ष के अन्त तक किस वर्ष तक के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टर मिल जायेंगे ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) पहली योजना अवधि से लेकर अब तक बने क्वार्टरों की कुल संख्या 27,953 है इसमें रामकृष्णपुरम के 7,641 क्वार्टर शामिल हैं । 1,282 और क्वार्टर निर्माणाधीन हैं तथा वर्ष के अन्त से पूर्व उनके तैयार हो जाने की संभावना है ।

(ख) यह आशा की जाती है कि टाइप III तथा IV में नीचे लिखी प्रत्येक के सामने की प्राथमिकता की तारीख तक के कर्मचारियों को क्वार्टर मिल जायेंगे ।

टाईप	**प्राथमिकता की तारीख**
III	31 दिसम्बर, 1944
IV	31 दिसम्बर, 1943

Gold Smuggling in Bombay

2630. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Raghunath Singh :** **Shri Rameshwaranand :** **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Excise Inspector in Bombay recovered 200 tolas of gold valued at Rs. 38,000 as reported in the 'Hindustan Times' of the 11th May, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that this gold was smuggled from abroad ;

(c) the action taken in the matter ; and

(d) the name of the country from which it had been smuggled ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) and (b). On 9th May, 1966, 200 tolas of gold suspected to have been smuggled from abroad was seized at Amravati by a Central Excise Officer from a person who had come from Bombay. The value of the gold seized was Rs. 12,500/-at the international rate then prevailing.

(c) The person was arrested and subsequently released on bail. The case is under departmental adjudication. Prosecution in a court of law has also been initiated.

(d) It has not yet been established from which country the seized gold had been smuggled, but it bears the markings of "Johnson Mathey 9990, London".

लू लगने से मृत्यु

2631. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री कृष्ण पाल सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसुमतारी :
डा० श्रीनिवासन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री गुलशन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष दिल्ली/नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में लू लगने से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस प्रकार की मृत्यु को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) लू से बचने के उपाय करना निश्चय ही लोगों की अपनी जिम्मेदारी है।

सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर

2632. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री काजरोलकर :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ निचले तथा मध्य वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को 15-20 वर्ष से पहले सरकारी क्वार्टर नहीं मिलते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की वर्गवार संख्या कितनी है जिन्हें सरकारी नौकरी में 15 वर्ष से अधिक हो चुके हैं किन्तु अभी तक सरकारी क्वार्टर नहीं मिले हैं ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उन लोगों को विशेषकर ऐसे कर्मचारियों को जो किसी विशेष श्रेणी (टाइप) के क्वार्टरों के लिए निर्धारित वेतन की सीमा को पार करने के पश्चात् उस टाइप के हकदार नहीं रह जाते हैं, क्वार्टर दिलाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). उन केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या निम्नांकित है, जिन्होंने कि 15-20 वर्षों की सेवा कर ली है तथा जो कि रिहायशी वास के आवंटन की जिसके कि वे अधिकारी हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं :—

वास का टाईप	प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारियों की संख्या
टाईप I	310
टाईप II	1,387
टाईप III	1,514
टाईप IV	1,068
कुल :	4,279

(ग) सामान्य पूल वास के अधिकारी कर्मचारियों की संख्या, आवंटन के लिए उपलब्ध क्वार्टरों की संख्या से बहुत अधिक है ।

(घ) कोई विशेष कार्यवाई आवश्यक नहीं समझी जाती क्योंकि 699 रुपये प्रति माह तक वेतन लेने वाले कर्मचारियों के मामले में, अधिकारी टाईप के सरकारी वास के आवंटन के प्रयोजन के लिए उनकी ज्येष्ठता की गणना में उनकी संपूर्ण सरकारी सेवा को शुमार किया जाता है, चाहे उन्होंने कितना ही वेतन लिया हो ।

दिल्ली में चेचक के रोगी

2633. **श्री यशपाल सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली तथा आस पास के क्षेत्रों में चेचक महामारी के रूप में फैला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो मई, जून और जुलाई, 1966 तक चेचक से कितने लोग मरे ; और

(ग) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) मई से जुलाई 1966 तक दिल्ली तथा उसके पड़ोसी जिलों में हुई मौतों की संख्या इस प्रकार हैं :—

माह	दिल्ली	मेरठ	बुलन्दशहर	रोहतक	गुड़गांव
मई 1966	14	5	6	कोई नहीं	कोई नहीं
जून 1966	8	*1	*1	—	—
*जुलाई 1966 (9.7.66 तक)	3	—	—	+	+
	25	6	7	—	—

(ग) इस रोग के फैलाव को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) टीका अभियान तीव्र कर दिया गया है।

(2) रोग ग्रसित क्षेत्रों में टीका लगाने वाला अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है।

(3) स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार कार्य तीव्र कर दिया गया है।

(4) गन्दी बस्तियों, झुग्गियों और झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों के बचाव के लिए दिल्ली नगर निगम ने 15 वैक्सीनेटरों तथा 3 वैक्सीनेशन इन्सपेक्टरों का एक उड़न दस्ता लगा दिया है।

Shortage of Houses in Delhi

2634. **Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Kishen Pattnayak : Shri Bagri : Shri Maurya : Shri Madhu Limaye : Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether there is an acute shortage of housing accommodation in the Capital ;

(b) whether Government have decided to construct one-room flats for sale to low income group on hire purchase basis ; and

(c) if so, the total number of dwelling units proposed to be constructed and the percentage of shortage made good thereby ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes.

(b) and (c). Proposals are under consideration for construction and sale of flats on hire-purchase basis to persons belonging to the low-income and middle-income groups. Each dwelling unit would have at least two rooms. The number of dwelling units to be constructed has not yet been decided.

विकसित भूमि की बिक्री

2635. **डा० राम मनोहर लोहिया : श्री किशन पटनायक : श्री बागड़ी : श्री मौर्य : श्री मधु लिमये : श्री राम सेवक यादव :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार विकसित भूमि को बहुत ऊँचे दामों पर बेंच रहा है।

* ये आंकड़े अस्थायी हैं।

\+ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या इससे निजी भू-स्वामियों को जमीन की कीमतें बढ़ाने में प्रोत्साहन मिला है ;

(ग) क्या लाटरी प्रणाली के आधार पर निम्न आय वर्ग के लोगों को मकान देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) अविकसित भूमि कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज को तथा छोटे विकसित प्लाट निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को संरक्षित मूल्य (रिजर्व प्राइस) पर आवंटित किये जाते हैं। इन मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित प्लाटों को सार्वजनिक नीलाम के द्वारा बेचने में मूल्य के चढ़ने की प्रवृत्ति नोटिस में आई है ।

(ख) भूमि के मूल्य की वृद्धि के लिए, मुख्य रूप से प्लाटों की कमी तथा दिल्ली की जनसंख्या में असामान्य रूप से वृद्धि, उत्तरदायी हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औसत पारिवारिक आय का सर्वेक्षण

2636. **श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : श्री बागड़ी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी सरकारी तथा अर्ध-सरकारी अथवा गैर-सरकारी अभिकरणों से कहा है कि वे उच्च जाति के औसत परिवार तथा अनुसूचित जातियों और ऐसे ही अन्य पिछड़े वर्गों के औसत परिवारों की औसत पारिवारिक आय का नमूना सर्वेक्षण करे ;

(ख) क्या किसी गैर-सरकारी संस्था ने स्वेच्छा से देश के किसी भाग में ऐसा कोई नमूना सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना

2637. **डा० राम मनोहर लोहिया** : **श्री किशन पटनायक** :
श्री मधु लिमये : **श्री बागड़ी** :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 17 मई, 1966 को दिये गये अपने वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी तथा पूरी की जायेंगी ;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाओं को विदेशी सहायता मिलेगी तथा किन किन देशों से ;

(ग) चौथी योजना अवधि में इनमें से कितनी परियोजनायें आरम्भ तो की जायेंगी किन्तु पूरी नहीं की जायेंगी ; और

(घ) इनमें से कितनी परियोजनाओं के लिए पूर्णतः देशी संसाधनों से धन की व्यवस्था की जायेगी ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ). चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित होने वाली परियोजना के बारे में जो सूचना तथा ब्योरा मांगा गया है, उसे तैयार की जा रही चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में दर्शाया जायेगा। यह योजना बाद में इसी सत्र के दौरान लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

World Bank Team to Study India's Fourth Plan

2638. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that World Bank team is expected to visit India with the object of studying the Fourth Plan ;

(b) if so, the main aspects to be studied by that team ; and

(c) the names of other countries from which study teams will visit for the purpose ?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) and (b). A World Bank team visited India when the Draft Outline of the Third Plan was prepared in 1960 to assess the aid requirements of India's Third Plan. Whether a similar team to study aid requirements for the Fourth Plan will visit India is a matter, on which the World Bank has to take a decision, after the Draft Outline for the Fourth Plan is ready.

(c) There are no proposals for teams from other countries to visit India for studying the Fourth Plan.

अन्धे बच्चों की शिक्षा

2639. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 21 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1248 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्धे बच्चों की शिक्षा संबंधी योजना पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के लिए कितना धन नियत किया गया है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). एक बड़ी प्रायोजना शुरू करने से पूर्व सरकार का समैकित शिक्षा की प्रणाली का प्रभाव जानने के लिए कुछ छोटे प्रयोग करने का विचार है।

(ग) चालू साल के बजट में 1,000 रुपये की तीक-व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का कल्याण

2640. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यों पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है ; और

(ख) किन किन मदों पर यह राशि खर्च की जायेगी ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). वर्ष 1966-67 के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कुल 107.35 लाख रुपये की व्यवस्था मंजूर की गई है। योजनाओं की एक सूची संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल ०टी०** 6817/66]

केन्द्रीय गृह-निर्माण वित्त निगम

2641. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री 24 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 827 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक केन्द्रीय गृह-निर्माण वित्त निगम की स्थापना के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

छिपाये हुए जेवरात का बम्बई में पकड़ा जाना

2642. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री 24 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 811 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपाये हुए उन जेवरात के बारे में, जो बम्बई में पकड़े गये थे, इस बीच जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) छापा मारने पर 95,972 रुपये मूल्य के जवाहिरात पकड़े गये जिनमें से 84,747 रुपये मूल्य के जवाहिरात हिसाब किताब से बाहर पाये गये । इनको उस कर की वसूली के लिए रख लिया गया है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (5) के अन्तर्गत 4-3-1966 को आयकर अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश के अधीन वसूल होना है ।

परिवार नियोजन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष (यूनिसेफ) से सहायता

2643. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष (यूनिसेफ) से मिलने वाली सहायता का भारत में जनसंख्या की बृद्धि को रोकने पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) अब तक कितनी तथा किस रूप में सहायता मिली है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) भारत में अथवा अन्य कहीं भी परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ ने अभी तक कोई सहायता नहीं दी है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Educational Assistance to Handicapped Children

2644. **Shrimati Savitri Nigam:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the parents of the handicapped chlidren who are in

Government service are not given any assistance for the education of their children whereas the guar dians of children other than handicapped receive Government assistance for their training; and

(b) If so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b). Educational assistance in regard to their children is available to Central Government servants under separate schemes of (i) Children's Educational Allowance and (ii) Reimbursement of tuition fees. These schemes do not provide for any special assistance in respect of handicapped children except for reimbursement of tuition fee paid for children studying in Deaf and Dumb schools.

Government are running some institutions to cater to the educational needs of handicapped children and scholarships are allowed to them on a liberal basis. Central Government servants having handicapped children can also avail of these institutions along with other members of the public.

निर्वाह-व्यय

2645. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाह-व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हो रही है और यदि सरकार कोई उपचारात्मक कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) . श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1949=100), जो मार्च, 1963 में 130 था और मार्च 1966 में बढ़ कर 174 हो गया था, जून 1966 में 185 तक पहुंच गया ।

सरकार इस बात के लिए बराबर प्रयत्न करती है कि उत्पादन में वृद्धि करके, राजस्व और मुद्रा विषयक उपयुक्त नीतियों द्वारा मांग पर नियंत्रण रख कर और वस्तुओं की कमी के दिनों में आम इस्तेमाल की अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों और वितरण का नियमन करके रहन-सहन के खर्च में होने वाली वृद्धि को रोका जाय ।

राजस्थान नहर परियोजना

2646. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना को राज्य की योजना के लिए निर्धारित की गई अधिकतम राशि में से धन देने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए इस मामले पर अभी विचार हो रहा है ।

Ram Ganga Project

2647. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the further progress made in the construction of the Ram Ganga Project ;

(b) when this Project is likely to be completed ; and

(c) the extent to which Government is satisfied with the progress made on the project so far ?

The Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) The work on the Project was started in November, 1964. The dam and appurtenant works, excepting the two diversion tunnels, are being done departmentally. The construction of the diversion tunnels has been entrusted to a private firm.

The length of one of the diversion tunnels will be 553.36 metres and that of the other, 711·494 metres. The shorter tunnel is to be completed by October, 1967 and the other by October, 1968 to fit in with the programme of diversion of the river water.

Work on the tunnel portals has practically been completed. The work on the shorter tunnel has been completed to a length of 113 metres in full section and 226 metres in half section. The work on the other tunnel has been completed to a length of 117 metres in full section and 248 metres in half section. The work is behind schedule. Nevertheless, the tunnels are expected to be ready in time for diversion of the river water in accordance with the programme mentioned above.

Excavation for portals and one of the stilling basins has been completed and that for the other stilling basin is in progress. Stripping in main and saddle dam area is progressing satisfactorily and more than 50% of the work has already been completed. The total excavation done up-to-date on the dams is 48·74 lakh cubic metres. It is slightly behind schedule due to shortage of essential spare parts for machinery.

The work of providing grout curtain on main dam is progressing satisfactorily and 3001·71 metres of drilling and grouting has been done.

Drainage tunnels on main and saddle dams have been excavated in a length of 707 metres against the total length of 1247 metres.

Concreting at the main dam is in progress.

(b) The project is scheduled for completion in March, 1972.

(c) The progress is slightly behind schedule. This is due to the non-availability of essential spare parts for machinery employed on the Project and the unforeseen difficulties encountered in the construction of the diversion tunnels. The set-back is, however, not considered by the State Government to be so serious as to affect the targeted date of completion of the project.

Mosquito Menace in Delhi

2648. **Shri Bibhuti Mishra :**

Shri K. N. Tiwary :

Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that mosquito menace has been on the increase in North and South Avenues and adjacent area in New Delhi for the last two years ;

(b) if so, the reasons thereof ; and

(c) the measures taken to prevent this menace ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) There has been an increase in the mosquito menace in Delhi in general.

(b) Some of the important reasons for the increased mosquito menace in Delhi are :

(i) Extensive new construction work without adequate drainage facilities around the area leading to mosquito breeding. Two miles is the flight range of mosquitoes ;

(ii) Silting up of drains and cunettes resulting in stagnation of water and breeding of mosquitoes ;

(c) (i) A high power committee with the Chief Commissioner, Delhi, as Chairman has recently been constituted to recommend measures for the prevention of mosquito-genic conditions in Delhi.

(ii) anti-larval measures to control mosquito breeding are being intensified.

(iii) Vigilance by a checking squad to detect any lapses and deficiencies in anti-larval measures is also being undertaken.

(iv) Most of the sub-soil pumps which were discharging water in the open drains have been connected to underground barrels.

जीवन बीमा निगम द्वारा मकानों के निर्माण के लिए ऋण

2649. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री 28 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1400 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान बनाने के लिए ऋण देने के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना का क्षेत्र बहुत संकीर्ण है तथा उसमें बहुत सी शर्तें लगी हुई हैं; और

(ग) क्या इस योजना को उदार बनाने तथा उसे देहाती क्षेत्रों में भी लागू करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1 मार्च, 1966 से 31 मई, 1966 तक मकानों के निर्माण के लिए 52 लाख रुपये के ऋण दिये जा चुके हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

विभिन्न राज्यों में सिंचाई क्षमता

2650. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अब तक कितने प्रतिशत सिंचाई क्षमता पैदा की गई है; और

(ख) असन्तुलन होने के क्या कारण हैं और उसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न किया जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6818/66]

Unicef Panel on Family Planning

2651. **Shri Kindar Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that UNICEF has set up a panel for study India's plea for aid in connection with family planning campaign ;

(b) if so, the names of the members of the Panel ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a), (b) and (c). No, Sir, the UNICFF did not set up any panel specifically for study of India's plea for aid in connection with its family planning programme though it had asked its Executive Director and a Working Party to examine the general question as to how far the UNICEF should accept for consideration requests for assistance to family planning programme for individual countries interested in the subject. The consideration of this question has been deferred until the 1967 session of the Executive Board. The UNICEF at present is not willing to assist Family Planning Projects as such. However, they will continue to help Maternal and Child Health Projects and as India has integrated Family Planning with Maternal and Child Health and Welfare Programmes, the UNICEF assistance will be available for the total M. C. H. Programme including Family Planning.

नागार्जुन सागर परियोजना से सिंचाई

2652. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष नागार्जुन सागर परियोजना से सिंचाई के लिए जल सप्लाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो जल का संभरण किस तारीख से आरम्भ हो जायगा;

(ग) किन क्षेत्रों को सिंचाई के लिए जल दिया जायेगा; और

(घ) खेतों को सिंचाई के प्रायोजनार्थ तैयार करने तथा समतल बनाने के लिये किसानों को कितनी वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 3-8-1966 को दक्षिण तथा वाम तट नहरों दोनों में परीक्षण के आधार पर जल प्रवाहित किया गया था। नहरों का औपचारिक उद्घाटन शीघ्र होने की सम्भावना है।

(ग) पानी 5.79 लाख एकड़ आयाकट को सप्लाई किया जायेगा जिसमें से इस वर्ष 4.92 लाख एकड़ तो दक्षिण तट नहर से सिंचित किया जायेगा और 0.87 लाख एकड़ वाम तट नहर से।

(घ) जून 1966 के अन्त तक सेन्ट्रल लैन्ड मोर्टगेज बैंक, आन्ध्र प्रदेश द्वारा किसानों को 4,60,75,000 रुपये का ऋण दिया गया था। इसके अतिरिक्त बैंक ने 98 कृषकों को ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए 16,38,070 रुपये की राशि भी स्वीकार की है।

नागार्जुन जलाशय के निर्माण कार्य का पूरा होना

2653 **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर जलाशय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा;

(ग) नागार्जुन सागर बांध के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बांध को इस वर्ष में पूरा करने के लिए कोई ऋण या सहायता मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई; और

(च) क्या यह राशि सरकार द्वारा मंजूर कर दी गई थी और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अभी नहीं ।

(ख) बांध 1967 में काफी पूरा हो जायेगा । नहरें 1970-71 तक पूर्ण हो जायेंगी ।

(ग) बांध का निर्माण कार्य निरन्तर प्रगति करता जा रहा है । चिनाई कार्य और कंक्रीट कार्य का 94% और दक्षिण ओर तथा वाम ओर स्थिति मिट्टी के बांधों का मिट्टी का कार्य क्रमशः 86% और 50% पूर्ण हो गया है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) चालू वर्ष के दौरान 8.5 करोड़ रुपये के प्रबन्ध के अतिरिक्त 12 करोड़ रुपये ।

(च) मामला विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

2654. **श्रीमती रेणुका राय:**

श्री दे० द० पुरी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के नवीनतम प्रतिवेदन का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

2655. **श्री कोल्ला वेंकैया :**

श्री मलाइछामी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 5 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4867 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन प्रश्नों पर विचार किया गया है;

(ग) उनके बारे में क्या निर्णय किये गए हैं; और

(घ) नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में सरकार द्वारा कब तक अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने की आशा है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निश्चित करने के प्रस्ताव सम्बन्धी विभिन्न मामलों की जांच अभी सरकार ने पूरी नहीं की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार अपने निर्णय को अन्तिम रूप तभी दे सकेगी, जबकि इससे सम्बद्ध विभिन्न मामलों की जांच पूरी हो जाय ।

Expenditure Incurred on Planning Commission

2656. **Shri Ram Sevak Yadav**: Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred during the Third Five Year Plan period in the form of pay, allowances etc. of the employees of the Planning Commission;

(b) whether it is a fact that some employees of this Department are not drawing their full pay;

(c) if so, the total amount paid to them during the last three months in the form of allowances; and

(d) the number of persons receiving more in the shape of allowances than their pay ?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-6819/66]**

(b) and (c). One officer of the Commission has been drawing an amount lower than the pay to which he is entitled. He draws, in addition, the usual City Compensatory Allowance of Rs. 75.00 P. M.

(d) Nil

Survey Re. Conditions of Prostitutes

2657. **Shri Ram Sewak Yadav** : **Shri Vishwa Nath Pandey** : **Shri Baswant** : **Shri Ram Harakh Yadav** :

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether any international agency has conducted any survey regarding the conditions of prostitutes in India;

(b) if so, the proposal made by them for improvement of their conditions;

(c) the overall progress so far made for the eradication of prostitution; and

(d) the steps taken to rehabilitate them ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandra Sekhar): (a) No, Sir, so far as the Department of Social Welfare is aware.

(b) Does not arise.

(c) and (d). Prostitution **per se** is not banned in the country. The present policy of the Government is to suppress immoral traffic in women and girls and to put a curb on prostitution in the vicinity of public places. To this end the Suppression of Immoral Traffic in

Women and Girls Act was enacted in 1956 and brought into force through-out the country with effect from 1. 5. 1958. The Act has been substantially serving its avowed purpose and by and large in most places where traditional commercial vice existed, the brothels as such have disappeared.

A statement showing the steps taken so far State-wise for rescuing and rehabilitating women-exposed to moral danger is attached. [**Placed in Library. See No. LT-6820/66**]

दिल्ली में मकान मालिकों की मांगें

2658. **श्री बालगोविन्द वर्मा :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मकान मालिकों ने हाल में सरकार को एक ज्ञापन-पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन-पत्र में क्या क्या मुख्य मांगें प्रस्तुत की गई हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). उनकी प्रमुख मांगें निम्नांकित हैं:–

(1) मानक किराये में कर (टैक्स), वार्षिक मरम्मत आदि का भुगतान करने के बाद परिसर के वर्तमान बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत के लाभ की व्यवस्था की जाये।

(2) किरायेदारों से कहा जाये कि पानी तथा बिजली के प्रभारों को अदा करें। उन्हें सामान्य कर, सफाई कर, आग कर, आदि के अनुपातिक प्रभार को भी देने के लिए कहा जाये।

(3) किराया, पानी तथा बिजली के प्रभारों की नियमित रूप से अदायगी का आश्वासन दिया जाये।

(4) मानक किराया निर्धारित करने के लिए प्रथम 5 वर्ष की छूट की रियायत (रेन्ट हाली डे) जैसा कि आजकल है, बनी रहे।

(5) उन किरायेदारों को जिनके पास प्लाट हैं किन्तु जो तीन वर्ष के भीतर मकान नहीं बना पाते तथा जो प्लाट खरीदते तथा बाद में बेच देते हैं, उन्हें बेदखल किया जाये।

(6) किरायेदारों के द्वारा बनाई गई साझीदारी फर्में उपआवंटी (सब अलाटी) समझी जायें।

(7) बड़ी भीड़ तथा (ओवरक्राउडिंग एन्ड न्यूसेन्स) को बेदखली का आधार माना जाये।

(8) स्थानान्तरण के द्वारा प्राप्त परिसर से 5 वर्ष तक किरायेदारों को बेदखल न करने की समयावधि समाप्त कर दी जाये।

(9) किरायेदार के मरने पर किरायेदारी समाप्त समझी जाये। ये मांगें परीक्षाधीन हैं।

दिल्ली में बिजली व्यवस्था में घटाबढ़ी तथा खराबी

2659. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री विश्वनाथ पांडेय

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बिजली की सप्लाई में घटाबढ़ी तथा बार बार खराबी के कारण हजारों बल्ब फ्यूज हो जाते हैं और बड़ी संख्या में रेफरीजरेटर तथा बिजली से चलने वाली अन्य वस्तुएं खराब हो जाती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कई उद्योगपतियों ने इस बात की शिकायत की है कि बिजली तथा पावर में घटाबढ़ी के कारण उन्हें हजारों रुपये का घाटा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :(क) दिल्ली में बिजली की वोल्टता में उतार चढ़ाव और कभी कभी उसके बन्द हो जाने की शिकायतें मिली थीं, परन्तु जितनी मात्रा का जिक्र किया गया है उतनी हानि नहीं पहुंची है ।

(ख) वोल्टता में उतार चढ़ाव के कारण उद्योगों में बिजली के खपत-कर्ताओं को कोई हानि पहुंची हो इस प्रकार की कोई शिकायत न तो नई दिल्ली नगरपालिका को पहुंची है और न ही दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम को ।

(ग) वोल्टता में उतार चढ़ाव वितरण प्रणाली में अधिभार के कारण हो जाता है । कुछ स्थानों में इसका कारण यह भी था कि खपत-कर्ताओं ने स्वीकृत सीमा से अधिक भार के और भीतरी तारों व साज-सामान की क्षमता से अधिक भार के कनेक्शन लगा लिए थे । नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम अतिरिक्त उपकेन्द्र स्थापित करके और आटोमेटिक आन-लोड वोल्टेज रेगुलेटर आदि जैसे अन्य उपायों को अपनाकर वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए पग उठा रहे हैं ।

Salaries of Government Employees

2660. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the nmber of times the salaries of Central Government employees were increased since 1952 till the 25th July, 1966 ;

(b) whether it is a fact that they were not satisfied with the increase effected in their salaries so far ;

(c) if so, the demands put forth by their representatives in their meetings with Government during June, 1966 ; and

(d) the reaction of the Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaubhuri): (a) The pay scales of Central Government employees were revised with effect from I. 7. 1959 on the recommenda-

tions of the Second Pay Commission. No general revision since then or subsequent to 1952 and prior to 1. 7. 59 has been effected. There have, however, been revisions from time to time of pay scales of isolated posts or classes of posts or services, on the merits of each case.

(b) The representations received from certain quarters show that all are not completely satisfied with the existing pay scales.

(c) In these meetings the employees expressed dissatisfaction with the increases in dearness allowance and demanded fuller neutralisation of the rise in the cost of living. In the alternative, they wanted arbitration. They also demanded that the existing formula for grant of dearness allowance should be revised. There was no mention of increase in pay.

(d) As no agreement could be reached, Government have appointed a high level Commission to examine the whole issue of dearness allowance in all its aspects.

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के लिये धन इकट्ठा करना

2661. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बड़े : **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सी० बी० गुप्ता के जन्म दिवस पर उन्हें 65 लाख रुपए भेंट करने के उद्देश्य से यह राशि इकट्ठी करने के लिए छोटे उद्योगपतियों पर दबाव डालने के हेतु उत्तर प्रदेश के आय-कर अधिकारियों का प्रयोग किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या आय-कर अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कोई सहायता न करने के लिए हिदायतें दी गई थीं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) न तो यह सरकार की जानकारी में है और न यह विश्वास करने का कोई कारण है कि इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश में आय-कर विभाग की सेवाएं काम में ली गई थीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

दो पैसे के सिक्के

2662. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तांबा और निकिल मिश्रित धातु से बने हुए दो पैसे के सिक्के कुछ समय से छिपा लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सिक्के में कुछ मूल्यवान धातु है जिसके कारण यह सिक्का बाजार में नहीं मिल रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग). तांबा-निकल के दो पैसे के सिक्कों में 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल है। ये दोनों धातुएं देश में अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। यद्यपि सरकार को इस विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, तथापि इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे कुछ सिक्कों को विनिमय-माध्यम (मीडिएम आफ एक्सचेंज) से भिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। स्मरण रहे कि 1965 के अन्तिम भाग से सरकार ने तांबा-निकल के दो पैसे के सिक्कों को बनाना बंद कर दिया है और इतने ही पैसों का एल्यूमीनियम-मैग्नेशियम मिला सिक्का चालू कर दिया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2663. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अ० ना० विद्यालंकार
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विभूति मिश्र :
श्री गुलशन :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रा० बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में कार्यकुशलता को बढ़ाने के मार्गोपायों पर विचार करने के लिए क्या प्रधान मंत्री ने जून 1966 में सरकारी उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या निर्णय किए गए थे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) (क) और (ख). प्रधान मंत्री द्वारा "नई सम्पत्ति के निर्माता के रूप में सरकारी क्षेत्र" विषय पर बातचीत करने के लिए बुलाया गया एक सम्मेलन 14 और 15 जून, 1966 को हुआ था। इस सम्मेलन में सुसंगठित व्यक्तियों के एक समूह ने भाग लिया था जिसमें, थोड़े से सरकारी अधिकारियों के अलावा, कुछ सरकारी प्रतिष्ठानों और गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धक और कुछ व्यक्ति प्रबन्ध शालाओं और वैज्ञानिक संस्थाओं के थे। इन व्यक्तियों ने उन प्रतिष्ठानों या शालाओं के प्रतिनिधियों के रूप में भाग नहीं लिया जिनमें वे काम करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत रूप में, जिनके अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव पर आधृत विचार इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने में लाभ-दायक सिद्ध होते। यह समझ

लिया गया था कि बातचीत उन्मुक्त, स्पष्ट और अनौपचारिक रूप से होगी और इसका उद्देश्य सरकार को सर्वसम्मत सिफारिशें करना था। इसलिए स्पष्ट और उन्मुक्तवार्ता में बाधा न डालने के उद्देश्य से यह स्वीकार कर लिया गया था कि बातचीत का औपचारिक विवरण तैयार न किया जाय। लेकिन, बातचीत के दौरान कही गई महत्वपूर्ण बातें नोट कर ली गई थीं और उन पर विचार किया जा रहा है।

बन्धित श्रमिक

2664. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में अब भी बन्धित श्रमिक प्रणाली विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में; और

(ग) बन्धित श्रमिक प्रणाली को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). बन्धित श्रम के विभिन्न नाम हैं और बताया जाता है कि यह प्रणाली आंध्र प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे कुछ प्रदेशों में विद्यमान है। विभिन्न राज्य सरकारों ने इस बारे में विधायी तथा कार्यकारी उपाय कर लिए हैं। भारत सरकार ने भी राज्य सरकारों को रुपया कर्ज देने का, जो बन्धित श्रम का मुख्य कारण बताया जाता है, नियंत्रण करने के लिए एक आदर्श विनियमन भेजा है।

बृहत कलकत्ता के लिए योजना

2665. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृहत कलकत्ता के विकास के लिए कलकत्ता महानगर आयोजन संगठन ने अपनी व्यापक योजना तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उसकी संभावनाओं तथा वित्तीय पहलुओं पर विचार कर लिया है;

(घ) क्या कलकत्ता शहर के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये की लागत की एक अलग योजना प्रस्तुत की है, जिसमें 70 करोड़ रुपये का खर्चा केन्द्रीय सरकार उठायेगी; और

(ङ) क्या इस योजना को उच्चतर राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). कलकत्ता महानगर आयोजन संगठन ने कलकत्ता महानगर जिले के लिए जिसमें 490 वर्ग मील का क्षेत्र है एक प्रारम्भिक विकास आयोजना अभी हाल ही में तैयार की है। यह 1986 तक की एक व्यापक दृष्टिकोण की आयोजना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं :—

(1) एक बड़े व्यापारिक, औद्योगिक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में कलकत्ता महानगर जिले का विकास।

(2) वर्तमान 75 लाख की आबादी के स्थान पर 1986 तक 123 लाख की अनुमानित आबादी के लिए व्यवस्था।

(3) 1961 में 24 लाख रोजगार के स्थान पर 1986 तक 34 लाख उत्पादनीय रोजगार का बनाया जाना।

(4) कलकत्ता तथा हावड़ा का शहरी नवीकरण एवं विकास तथा कल्याणी-बन्सबेरिआ क्षेत्र में एक नये शहरी केन्द्र की स्थापना।

(5) पानी की सप्लाई तथा सफाई, गन्दी बस्तियों का विकास तथा आवास, यातायात तथा परिवहन जैसे उपयोगिताओं तथा सेवाओं की व्यवस्था।

(ग) जी हां। कार्यक्रम अगले पांच वर्षों में कार्यान्वित किया जायेगा तथा लगभग एक सौ करोड़ रुपये लागत आयेगी। इसमें, पानी की सप्लाई तथा मलवाहक नालियों की योजनाएं, यातायात तथा परिवहन योजनाएं, जिनमें हुगली के ऊपर दो पुल शामिल हैं, धमनीय (नाड़ी की आकृति की) सड़कें, यातायात परिचलन में विकास तथा जन-समूह परिवहन पद्धति (मास ट्रान्सिट सिस्टम) की डिजाइन, कलकत्ता तथा हावड़ा आदि के लिए गन्दी बस्तियों के विकास का कार्यक्रम, आ जायेंगे।

(घ) जी हां।

(ङ) वित्तीय सहायता देने का रूप विचाराधीन है राज्य सरकार से कहा गया है कि अपने साधनों की स्थिति का परीक्षण करने के बाद प्रस्तावों को प्रस्तुत करें।

रिजर्व बैंक द्वारा स्टर्लिंग के वायदे के सौदे

2666. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक ने स्टर्लिंग के वायदे के सौदों को किस कारण से छोड़ा है; और

(ख) ऐसा करने के क्या सम्भाव्य परिणाम हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) साधारणत: केन्द्रीय बैंक निश्चित दरों पर वायदा विनिमय सुविधाएं (फारवर्ड एक्सचेंज फैसिलीटीज) नहीं देते। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 40 के अनुसार तुरन्त डिलीवरी के लिए बैंक को स्टर्लिंग खरीदने और बेचने पड़ते हैं, लेकिन बैंक के लिए यह जरूरी नहीं कि वह स्टर्लिंग के वायदों के लिए भी व्यवस्था करे।

रिजर्व बैंक इस प्रश्न पर काफी समय से विचार कर रहा है कि वह स्टर्लिंग की अगाऊ बिक्री या खरीद जारी रखे या न रखे। अवमूल्यन के अवसर से लाभ उठाकर रिजर्व बैंक ने 8 जून, 1966 से स्टर्लिंग की अगाऊ बिक्री को बन्द करके अपनी कार्य प्रणाली को दूसरे केन्द्रीय बैंकों की सामान्य कार्य प्रणाली के समान कर देने का निश्चय किया।

(ख) इसका अर्थ यह हुआ कि बैंकों को अब अपने ग्राहकों के हाथ की गई स्टर्लिंग की अगाऊ बिक्री का प्रबन्ध करने के लिए ऐसे दूसरे ग्राहकों या दूसरे बैंकों से अगाऊ खरीद करनी पड़ेगी जिनके पास बिक्री के लिए फालतू स्टर्लिंग हों। अमरीकी डालरों या ड्यूश मार्क जैसी अन्य मुद्राओं के सम्बन्ध में भी लगभग ऐसी ही स्थिति पैदा हो रही है क्योंकि रिजर्व बैंक इन मुद्राओं का लेन देन नहीं करता।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

2667. **श्री उटिया :**

श्री मधु लिमये :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नवीनतम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिससे इस बात का पता चला है कि देश में सब राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में बिहार राज्य में सबसे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर भी दिलाया गया है कि इस वर्ष देश में लू लगने से सबसे अधिक व्यक्ति बिहार में मरे;

(ग) क्या सरकार ने 13 जून, 1966 के 'इण्डियन नेशन' में प्रकाशित इस समाचार को भी देखा है कि जमशेदपुर में सात व्यक्तियों की मृत्यु हुई जो अधिकतर निर्धन और भिखारी थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को उपरोक्त तथ्यों तथा इस तथ्य में, कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, कोई सामंजस्य दिखाई दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) से (घ) तक के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जन्म और मृत्यु दरों के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि भारत के सभी राज्यों की तुलना में बिहार राज्य में सबसे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) आय के वर्तमान स्तर (शुद्ध घरेलू उत्पादन) के राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि इस समय उपलब्ध सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों में से बिहार में प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध घरेलू उत्पादन) यदि सबसे कम नहीं तो कम जरूर है।

(ङ) पंचवर्षीय योजनाओं का ध्येय ही गरीबी को मिटाना और लोगों का सामान्य जीवन स्तर बढ़ाना है ।

उपूसी (नेफा) के लिए पेय जल की योजनाएं

2668. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) ग्राम-वासियों को शुद्ध पेय जल की सप्लाई करने के लिए दूसरी तथा तीसरी पंच-वर्षीय योजनाओं की अवधि में उपूसी (नेफा) में कितने नल (पाइप) लगाये गये और पानी के कितने जलाशय (टैंक) बनाये गये;

(ख) कितने नल तथा जलाशय अप्रयोग हो चुके हैं; और

(ग) पुराने बेकार हो चुके नलों तथा जलाशयों की मरम्मत करने तथा जरूरतमन्द गांवों के लिए नये नलों तथा जलाशयों की व्यवस्था करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 62 जलाशयों । अवसादन तालाबों के बनाये जाने के अतिरिक्त दूसरी पंचवर्षीय योजना में 124 और तीसरी पंच-वर्षीय योजना में 234 नल लगाये गये ।

(ख) 20 नलों के अंशतः बेकार होने की रिपोर्ट मिली है ।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जो ऐसे कार्यों के प्रति उत्तरदायी है आवश्यकता सम-झने पर बेकार हुए ऐसे सभी नलों और जलाशयों की मरम्मत करता है या उन्हें बदल देता है । जब भी आवश्यक और व्यावहारिक होता है नये नलों और जलाशयों की भी व्यवस्था की जाती है ।

आयातित सामान और करेंसी का पकड़ा जाना

2669. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1966 में सीमा शुल्क अधिकारियों ने क्या-क्या आयातित माल पकड़ा था और उनके द्वारा कितनी करेंसी पकड़ी गई थी;

(ख) कितने मूल्य का माल पकड़ा गया था; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). मार्च 1966 में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और भू-सीमा शुल्क अधिकारियों ने चोरी छिपे लाये गये के रूप में जो सामान

पकड़ा उसका ब्योरा और मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

	मात्रा	**मूल्य (रु०)**
सोना	100.5 किलोग्राम	5,38,500 (लगभग)
घड़ियां	5,033 घड़ियां	3,82,117
भारतीय और विदेशी मुद्रा	—	16,17,756
अन्य वस्तुएं	—	42,05,314

(ग) पकड़े हुए माल से सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय न्याय-निर्णय और, जिन मामलों में जरूरी हो मुकदमें चलाने की कार्यवाही शुरू की गई है या की जा रही है।

सोने का तस्कर व्यापार

2670. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 फरवरी, 1966 से आज तक की अवधि में देश में सरकार ने चोरी-छिपे लाया गया कितना सोना जब्त किया तथा कहां-कहां और उन तस्कर व्यापारियों के नाम क्या हैं; और

(ख) उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). 18 फरवरी, 1966 से लेकर 31 जुलाई, 1966 तक की अवधि में सीमा शुल्क, स्थल सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये तस्करी सोने की मात्रा और सोना पकड़ने की जगहों के बारे में एक विवरण-पत्र साथ लगा है। इनमें से अब तक निर्णय किये गये मामलों में लगभग 65,200 रुपये मूल्य का कुल 12.18 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। पकड़े गये बाकी सोने के विषय में न्याय-निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही अभी चल रही है। विभागीय न्याय-निर्णय में कुल मिलाकर 21,610 रुपये के निजी दण्ड भी लगाये गये हैं और 38 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमें चलाये गये हैं। जिन व्यक्तियों के पास से सोना पकड़ा गया था उनके नाम भी संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-6821/66] लेकिन यह भी उल्लेख कर दिया जाय कि न्यायालयों में मुकदमें विचाराधीन होने से अथवा मामले न्याय-निर्णय के लिए विचाराधीन होने से ही यह नहीं कहा जा सकता है कि तस्करी (स्मगलिंग) का अपराध सिद्ध हो चुका है।

राष्ट्रीय रक्षा ऋण योजना

2671. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : राष्ट्रीय रक्षा ऋण योजना के लिए अब तक राज्यवार कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : दो राष्ट्रीय रक्षा ऋणों के लिए, जो 1 अप्रैल, 1966 से समाप्त कर दिये गये थे, निम्नलिखित रकमें प्राप्त हुईं :—

	(करोड़ रुपयों में)
$4\frac{1}{4}$ प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968	10.43
$4\frac{3}{4}$ प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972	17.05

राज्यवार आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

भविष्य निधि योजनाएं

2672. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में विभिन्न भविष्य निधि योजनाओं में जमा राशि में से कितना धन **अल्प** बचत योजना में लगाया गया है; और

(ख) उक्त अवधि में अल्प बचत के रूप में कुल कितना धन इकट्ठा हुआ था ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1965-66 में, कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि से छोटी बचतों में क्रमशः 6.75 करोड़ रुपया और 1.55 करोड़ रुपया लगाया गया। अन्य भविष्य निधियों से छोटी बचतों में लगाई गई रकमों के बारे में सूचना इक्ट्ठी की जा रही है।

(ख) लगभग 151.72 करोड़ रुपया।

अनुसूचित जातियों का आर्थिक उत्थान

2673. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 21 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4104 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान के प्रश्न पर विचार करने वाली समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में सूचना देने वाले लोगों को पारितोषिक

2674. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में धोखा देने वालों और आय-कर अपवंचकों के बारे में जानकारी देने वालों को पारितोषिक दिये जाने में विलम्ब करके और कई अन्य तरीकों से तंग किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस विभाग के कुछ अधिकारियों से मिलकर, जो इन मामलों में कार्यवाही कर रहे हैं, व्यापारी लोग, नियमानुसार इनको शीघ्र और अधिकतम सीमा में भुगतान करने की बजाय विलम्बकारी बहाने बनाकर इन सूचना देने वालों को भूखा मारना चाहते हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क नियमों में पकड़े गये सामान के कुल मूल्य का 25 प्रतिशत पेशगी देने की व्यवस्था है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं। विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में जालसाजी करने वालों और आयकर की चोरी करने वालों के बारे में जानकारी देने वालों को इनामों की अदायगी करने में कोई अनावश्यक देरी नहीं हुई।

(ख) जी, नहीं। इसके विपरीत इस बात का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाता है कि इनामों को यथासम्भव शीघ्र मंजूर किया जाय। यदि न्याय-निर्णय, अपील आदि में समय लग जाने के कारण इनामों को अन्तिम मंजूरी देने में विलम्ब होने की सम्भावना हो और जानकारी देने वाले ने महत्वपूर्ण सेवा की हो, तो इस विषय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अधीन अग्रिम इनामों की अन्तिम अदायगी की जाती है।

(ग) सीमा शुल्क नियमों के अनुसार, किसी मामले में इनामों की कुल रकम जब्त किये गये माल के निपटान से मिली रकम के आधे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किन्तु अमूमन जानकारी देने वालों को अन्त में जो इनाम मंजूर किये जाते हैं वे सामान्य रूप से माल की कीमत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होते। जहां तक पेशगी इनाम देने का सम्बन्ध है, विदेशी मार्के का सोना पकड़े जाने के मामले में इसके पकड़े जाने के तुरन्त बाद और न्याय-निर्णय की कार्यवाही का इंतजार किये बिना सम्भावित अन्तिम इनाम की रकम का पचास प्रतिशत पेशगी दिया जा सकता है। जहां तक पकड़े गये अन्य माल का सम्बन्ध है, यदि सरकार का इस बारे में उचित समाधान हो जाय कि पकड़ा गया माल अन्ततः जब्त कर लिया जायगा, तो सम्भावित अन्तिम इनाम की रकम का पच्चीस प्रतिशत तक रकम पेशगी के तौर पर दी जा सकती है।

हिमांचल प्रदेश के जल संसाधन

2675. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमांचल प्रदेश सरकार को कहा है कि रावी नदी के जल संसाधनों

का उपयोग करने के लिए सतलज वृहद् योजना जैसी एक वृहद् योजना तैयार करें;

(ख) क्या जम्मू सीमा के निकट नदी के जल संसाधनों के बारे में जांच-पड़ताल करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) हिमांचल प्रदेश के लिए किन अन्य परियोजनाओं की सिफारिश की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । सिंचाई व बिजली राज्य मंत्री ने हिमांचल प्रदेश के चम्बा जिले में पन-बिजली स्थलों का जून, 1966 में निरीक्षण किया था और चम्बा के निकट जहां रावी नदी का तेज बहाव है वहां पन-बिजली शक्यताओं के विकास के लिए एक योजना बनाने का सुझाव दिया ।

(ख) पन-बिजली स्थलों का अनुसंधान करने के लिए आवश्यक अनुमान तैयार किये जा रहे हैं ।

(ग) निम्नलिखित परियोजनाओं के अनुसंधान के लिए सिफारिश की गई है :—

1—गिरि पन-बिजली परियोजना ।

2—स्वील पन-बिजली परियोजना ।

3—अपर सतलज बांध परियोजना ।

पूना में विद्यार्थियों को यौन सम्बन्धी रोग

2676. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना जिले में लगभग 10,000 विद्यार्थियों का चिकित्सा संबंधी सर्वेक्षण करने पर यह पता चला है कि विद्यार्थियों में यौन सम्बन्धी रोग वयस्कों में इस रोग के समान ही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ प्रमुख डाक्टरों और मनोवैज्ञानिकों ने, जिन्होंने इस बारे में जांच की है, छात्रों और छात्राओं में बढ़ते हुए यौन सम्बन्धी असामान्य व्यवहार के बारे में चिन्ता प्रकट की है;

(ग) यौन प्राप्त लड़कों और लड़कियों का स्वास्थ्य तथा सहानुभूतिपूर्ण वैज्ञानिक मार्ग दर्शन करने और शिक्षा संस्थाओं में गंदा वातावरण पैदा होने को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार को सामान्यतः वातावरण के बिगड़ते जाने की वर्तमान प्रवृत्ति के दुष्परिणामों का पता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) . सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है ।

(ग) और (घ). शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न आयु वर्गों के लिए जो स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यचर्याएं तैयार की हैं उन सभी में यौन शिक्षा सहित पारिवारिक जीवन शिक्षा सम्मिलित है। शिक्षकों के प्रशिक्षण की पाठ्यचर्या में अन्य संचारी रोगों के साथ-साथ यौन रोग भी सम्मिलित है। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय ने यौन रोग के बारे में शिक्षा सामग्री तैयार की है तथा उसके पास इस विषय पर फिल्में हैं जिन्हें राज्यों में दिखाने लिए घुमाया जाता है।

दिल्ली में बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना देना

2677. **श्रीमती मैमूना सुल्ताना :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ढासा क्षेत्र में बाढ़ों की पूर्व सूचना देने के लिए एक विशेष एकक बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस एकक के ढाँचे और कार्यों का निश्चित स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) साहिबी नदी और सम्पर्क नाली, जो कि जहाजगढ़ झील और ढासा को आपस में जोड़ती है, के कारण ढासा नियामक पर एक यूनिट जल निस्सार और गाजों को पूर्व सूचना देने के लिए स्थापित किया गया था। साहिबी नदी के साथ-साथ अजर्का, मसानी, फतहपुरी और झज्जर पर स्थित गाज और निस्सार स्थलों से तथा राजस्थान और पंजाब में 32 वर्षा मापक केन्द्रों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। यह आंकड़े केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, नई दिल्ली के कंट्रोल रूम में प्राप्त किये जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है तथा ढासा नियामक पर जल निस्सारों तथा गाजों की पूर्व सूचना तैयार की जाती है और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा सम्बंधित इंजीनियरों और दिल्ली क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों को लोगों में प्रेषित करने तथा सहायता और संरक्षण उपाय अपनाने के लिए भेजी जाती है।

कालीकट में जल सम्भरण

2678. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कालीकट संरक्षित जल सम्भरण योजना का विस्तार करने के लिए 3.25 करोड़ रुपये की एक योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायगा और कब तक पूरा हो जायगा; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). नहीं। स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय के केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन को 12 जुलाई, 1966 को मुख्याभियन्ता जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग केरल से कालीकट जल पूर्ति योजना के विस्तार करने के लिए 3.25 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना प्राप्त हुई है। इस योजना के ब्योरों की जांच की जा रही है।

डमडम हवाई अड्डे पर चोरी-छिपे लाई गई वस्तुओं का जब्त किया जाना

2679. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 जून, 1966 को डमडम हवाई अड्डे पर पुलिस ने एक विमान यात्री से, जो बैंकाक से आ रहा था, 6000 रुपये से अधिक मूल्य की उपभोक्ता वस्तुए जब्त की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) पुलिस ने कोई माल नहीं पकड़ा था। लेकिन हवाई सीमाशुल्क अधिकारियों ने 23 जून, 1966 को डमडम हवाई अड्डे पर बैंकाक से आए एक यात्री के पास से बीमा-भाड़े सहित अन्दाजन 6124 रुपये मूल्य का उपभोग्य माल पकड़ा था।

(ख) यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया था और 29 जून, 1966 को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है। सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन न्याय-निर्णय की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल जारी है। न्याय-निर्णय की यह कार्यवाही पूरी होने पर न्यायालय में मुकदमा चलाने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से निर्णय किया जायगा।

पतित नारियों के लिये निकेतन

2680. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पतित नारियों की देखभाल के लिये प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र में कितने-कितने नारी निकेतन हैं तथा उनका वार्षिक आय-व्यय कितना है ; और

(ख) उनमें कितनी नारियां है तथा कितनी नारियों को अब तक समाज में बसाया जा चुका है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6822/66]

आयात

2681. **श्री सेझियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की आयात उदारीकरण नीति के परिणामस्वरूप अवमूल्यन की तारीख से लेकर चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक की अवधि में आयात के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा नियत की जायगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : सरकार द्वारा घोषित की गयी, आयात के सम्बन्ध में उदारता से काम लेने की योजना के अन्तर्गत आयात के निम्नलिखित वर्ग आते हैं :—

(1) कुछ वस्तुएं, उदाहरणार्थ कच्ची खालें, कीकर (वैटल) की छाल और कीकर (वैटल) का अर्क तथा काजू, खुला सामान्य लाइसेंस देने की योजना के अन्तर्गत रखी गयी हैं। इस योजना के अन्तर्गत कोई भी आयातक ये चीजें चाहे जितने मूल्य की मंगा सकता है।

(2) पुस्तकालयों और शिक्षा सम्बन्धी तथा तकनीकी संस्थाओं को पुस्तकों और ग्राह्य वर्गों की पत्र-पत्रिकाओं के आयात के लिए निर्वाध रूप से लाइसेंस दिये जायंगे।

(3) कुछ वस्तुओं जैसे औषधियों और औषधों (ड्रग्स ऐण्ड मेडिसिंस), शल्यचिकित्सा, नेत्र-चिकित्सा तथा दन्त-चिकित्सा सम्बन्धी औजारों, अस्पतालों और चिकित्सा-संस्थाओं में काम आने वाले उपकरणों और यंत्रों तथा तकनीकी और गवेषणा सम्बन्धी संस्थाओं द्वारा काम में लाये जाने वाले वैज्ञानिक औजारों, उपकरणों और यंत्रों को, कुछ निर्दिष्ट मूल्य-सीमा तक मंगाने की इजाजत दी जाती है।

(4) यह घोषणा कर दी गयी है कि उन कारखानों को, जो 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योग धन्धों में लगे हैं, अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मशीनों के हिस्सों, कच्चे माल और फालतू पुर्जों के आयात की इजाजत दी जायगी। शुरू में, तकनीकी विकास महा-निदेशालय के रजिस्टरों में दर्ज उद्योगों को उनकी छः महीने की अनुमित आवश्यकताओं के लिए लाइसेंस दिये जा रहे हैं और छोटे पैमाने के एककों को 1964-65 में दिये गये लाइसेंसों के रुपया मूल्य से तिगुने मूल्य के लाइसेंस दिये जा रहे हैं। प्राथमिकता-प्राप्त कारखाने जून 1967 के अन्त तक की अपनी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपूरक लाइसेंस लेने के लिए उचित समय पर आवेदन-पत्र दे सकें।

आयात के सम्बन्ध में उदारता से काम लेने की योजनाओं के स्वरूप को देखते हुए, सरकार ने इन प्रयोजनों के लिए पहले से निर्धारित विदेशी मुद्रा की रकम के आधार पर अधिकतम सीमा की घोषणा की है। सरकार ने विदेशी मुद्रा की उस रकम का अनुमान लगाया है जो आयात के सम्बन्ध में उदारता से काम लेने की योजनाओं पर खर्च हो सकती है। परन्तु इस अनुमान को प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून

2682. **श्री हरि विष्णु कामतः** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर, मद्रास, केरल और आसाम के विधान मंडलों ने संकल्प

पारित किये हैं जिनमें संसद को सम्बद्ध राज्यों के लिये लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार का विचार आवश्यक विधेयक पुनःस्थापित करने तथा इस सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही करने का ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवाही का ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क). जी हां ।

(ख) (ग) और (घ). अन्य राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने विधान मंडलों में ऐसे ही संकल्प पारित करें जिनमें संसद को उन राज्यों के लिये कानून बनाने का अधिकार मिल जाय । इस बीच विधेयक का प्रारूप राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया जा रहा है ।

Buildings For Ministries

2683. **Shri Bade :** **Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Ministries for which buildings have been constructed in Delhi during the last five years ;

(b) the amount of expenditure incurred thereon; and

(c) the number of such buildings proposed to be constructed in future ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. L. T. 6823/66**]

(b) Rs. 640.67 lakhs.

(c) Work is in progress on office buildings on Parliament Street, Dr. Rajendra Prasad Road, Maulana Azad Road and Ramakrishnapuram. Construction of more office buildings will depend upon availability of funds.

Demolition of Jhuggies in Delhi

2684. **Shri Bade :** **Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation has demolished about 800 jhuggies, jhopries and shops in South and East Delhi on the 23rd June, 1966;

(b) whether it is also a fact that these persons have not been provided with alternative accommodation ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna). (a) Yes.

(b) and (c). Alternative accommodation has been provided to 439 families. The others were not eligible for it under the terms of the Scheme.

Fire in Irwin Road Shops

2685. **Shri Bade : Shri Kashi Ram Gupta : Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to fire in four shops of Irwin Road, New Delhi, there was a loss of nearly Rs. 15,000 ;

(b) if so, the cause of the fire, and

(c) the assistance provided by Government to the sufferers ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) to (c). There was no fire in the Irwin Road shops in the recent past.

Demolition of Jhuggies

2686. **Shri Bade : Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Kashi Ram Gupta : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 250 jhuggies were demolished in the Rajauri Gardens area in contravention of the assurance given by the Assistant Commissioner, Delhi Municipal Corporation ;

(b) whether it is also a fact that at the time of demolition of these Jhuggies some jhuggi-dwellers were mal-treated by the police ; and

(c) if so, the reasons for demolishing these Jhuggies inspite of such assurance ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Jhuggies were demolished as they were all unauthorised. No assurance had been given as mentioned.

(b) No.

(c) Does not arise.

बाढ़ नियंत्रण के लिये बृहद् योजना

2687. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिये एक वृहद् योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Food Poisoning Case in Lajpat Nagar, New Delhi

2688. **Shri Bade** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that 13 persons in Lajpat Nagar, New Delhi, fell sick as a result of Food poisoning after eating sweets in the last week of June, 1966 ; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) Two patients were treated in the hospital. The suspected food stuff was destroyed. The licence of the shop was cancelled and the shop was sealed.

मैसूर में आवास कार्यक्रम

2689. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर राज्य में आवास कार्यक्रमों पर कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) हरिजनों के लिये मकान बनाने पर कितनी राशि खर्च की गई और कितने मकान बनाये जा चुके हैं ;

(ग) क्या हरिजन आवास सहकारी समितियों को मकान बनाने के लिये कोई राशि उपलब्ध कराई गई है और यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य के लिये मकान बनाने के हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) सामाजिक आवास योजनाओं पर तीसरी योजना के दौरान मैसूर सरकार के द्वारा 391.77 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी थी ।

(ख) और (ग). सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत हरिजनों के लिए बने मकानों के कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते । तथापि, तीसरी योजना (30 सितम्बर, 1965 तक) के दौरान मेहतरों तथा मार्जकों के लिए 784 मकान बनाने के लिए नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता का अनुदान देने के लिए 5.82 लाख रुपये सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किये गये थे । तीसरी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान पिछड़ी जातियों को मकान के स्थान (हाउस साइट्स) आवंटन करने के लिए लगभग 844 एकड़ भूमि के अर्जन के लिए भी 12.29 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी थी । 1965-66 के दौरान 8 लाख रुपये की व्यवस्था की

गयी थी, किन्तु व्यय के आंकड़े तथा वास्तव में प्राप्त उद्देश्य उपलब्ध नहीं हैं। ये कार्यक्रम सीधे राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं तथा हरिजन सहकारी समितियों के द्वारा नहीं।

(घ) यह अभी तय नहीं किया गया है।

आगरा में आय-कर सम्बन्धी अपीलें

2690. **श्री शा० ना० चतुर्वेदी :** क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) 30 जून, 1966 को आय-कर/धन-कर के अपीलाय सहायक आयुक्त, आगरा (उत्तर प्रदेश) के पास आय-कर/धन-कर की कितनी अपीलें अनिर्णीत पड़ी थीं ;

(ख) कितने मामलों का निपटारा आय-कर अधिकारी अथवा धन-कर अधिकारियों से रिमांड रिपोर्ट न मिलने तथा रिकार्ड न होने के कारण पृथक-पृथक नहीं किया जा सका ;

(ग) कितने मामलों में एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से रिमांड रिपोर्ट अथवा रिकार्ड नहीं आया ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मांगी गयी सूचना निम्न प्रकार है :–

	आय-कर	धन-कर
(क) 30-6-1966 को विचाराधीन अपीलें	1855	75
(ख) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नीचे दिये दिये गये कारणों से निपटारा रुक गया है :		
(i) आय-कर अफसरों/धन-कर अफसरों से रिमाण्ड रिपोर्ट नहीं मिलने से	15	—
(ii) रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से	—	1
(ग) आय-कर अफसरों से रिमाण्ड रिपोर्ट नहीं मिलने से उपर्युक्त (ख) (i) में से निर्णय के लिये रुके पड़े मामलों की संख्या :		
(i) एक साल से ऊपर	4	—
(ii) दो साल से ऊपर	3	—
(iii) तीन साल या उससे अधिक समय से ऊपर	8	—

(घ) अपीलों के निपटारे के लिये, आयकर अफसरों द्वारा अपीलीय सहायक आयुक्त को तुरन्त रिमाण्ड रिपोर्ट पेश की जाने के लिए आयकर आयुक्त द्वारा निरीक्षी सहायक आयुक्त को हिदायतें जारी की जा चुकी हैं ।

Technical Training Centre, Kotah

2691. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the Technical Training Centre in Kotah Rajasthan, for one year training therein, one has to make a deposit of Rs. 1,200 and for getting a monthly stipend of Rs. 100.

(b) whether it is also a fact that in place of a three years bond, one has now to fill up a five years bond;

(c) whether it is also a fact that during this bond period, one gets a monthly salary of Rs. 150 only;

(d) if so, the reasons for paying such a low salary; and

(e) whether Government propose to increase it?

The Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) The Technical Training Centre at Kotah in Rajasthan and three other Centres at Nagarjunasagar in Andhra Pradesh, Kakrapar in Gujarat and Nangal in Punjab, are being run by the Government of India as a Central Scheme. The Government of India meet the entire cost of running and maintenance of all the four Centres, except the stipend and educational tour expenses of each of the trainees which are paid by the State Governments/Project Authorities sponsoring the trainees.

At the time of admission, every trainee has to deposit an amount of Rs. 1,260/- as security, which amount is deposited in a Post Office Saving Bank Account in the name of the trainee but pledged to Government. The security deposit is taken in order to ensure that the trainee completes the course and thereafter serves on an Irrigation Project for a reasonable period. The security is refunded on the expiry of the bond period subject to fulfilment of all the conditions. Each trainee, however, gets a stipend of Rs. 1,200/- from the State Government/Project Authority sponsoring him, at Rs. 100/- per month for the entire duration of the training, which is one year.

(b) The bond period was raised from three years to five years for the training courses which commenced in November, 1965, and for subsequent courses, to ensure that each trainee, on whose training Government spends about Rs. 10,000/-, serves an Irrigation Project at least for a period of five years.

(c) to (e). On conclusion of training, the trainees are assigned by the sponsoring authorities to Projects under their administrative control.

Their pay and allowances and other conditions of service are regulated by the rules of the respective State Governments/Project authorities. The salary varies from State to State, but generally the starting basic pay ranges from Rs. 150/- to Rs. 200/-, per month, exclusive of allowances.

खर्च में कटौती

2693. **श्री हेमराज :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्य श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने जो प्रशासन सुधार आयोग के सदस्य हैं, सरकारी खर्च में मितव्ययता लाने के लिये कुछ सुझाव दिये है ;

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) : जहां तक इन सुझावों का सम्बन्ध केन्द्रीय प्रशासन से है, इन पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है । हाल ही में जुलाई 1966 मैं हुए राज्य मुख्य सचिवों के सम्मेलन में ये सुझाव मुख्य सचिवों को भी सुलभ कर दिये गये थे ।

धोबियों तथा नाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

2694. **श्री सेझियान** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय राजीक (धोबी) संघ के 16 जुलाई, 1966 को मद्रास में हुए वार्षिक सम्मेलन की ओर से धोबियों तथा नाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) . प्रश्न में उल्लिखित अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । अलबत्ता विभिन्न सूत्रों से कई अभिवेदन प्राप्त हुए हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में पुनरीक्षण के अन्य प्रस्तावों के साथ साथ इस मामले पर भी विचार किया जा रहा है ।

कैंसर के लिये बिजली का इलाज

2695. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्रीमती जयाबेन शाह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उरुगुये के अतिथि प्रध्यापक डा० मैनुयल रैपाल्लो रोनको द्वारा मैड्रिड में किये गये इस दावे की ओर दिलाया गया है कि उन्होंने "बाइओइलेक्ट्रिक रेडियेशन"

का आविष्कार किया है जिससे कैंसर के फोड़ों का इलाज किया जा सकता है और जो पुराने जाठर (क्रोनिकग्रैस्ट्रिक) तथा उदर की आंतड़ी से सम्बन्धित अलसरों का तो पूर्णतः उन्मूलन कर सकते हैं, जैसा कि 5 मई, 1966 को "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित ए० एफ० पी० रिपोर्ट में कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे कुछ अनुसन्धान केन्द्रों में ऐसे इलाज की विधि का अध्ययन करने के लिये कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या हमारे देश का कोई चिकित्सा वैज्ञानिक इस कार्य क्षेत्र में खोज कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या ऐसे इलाज की विधि तथा क्रियाशैली को सीखने के लिये किसी चिकित्सा अनुसन्धानकर्ता को लगाया जायगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (**डा० सुशीला नायर**) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) डा० मैनुयल के दावे की वैज्ञानिक आधार पर न तो अभी पुष्टि हुई है और न उसे माना ही गया है ।

अगरतला नगरपालिका के कर्मचारियों की मांगें

2696. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को हाल में अगरतला नगरपालिका के कर्मचारी संघ से कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों में असन्तोष होने के कारण अगरतला नगर-पालिका की सफाई सेवाएं इतनी अधिक खराब हो गई हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर स्वास्थ्य तथा सफाई की सेवाओं की गिरती हुई स्थिति को रोकने तथा सेवाओं को बनाये रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (**डा० सुशीला नायर**) : (क) से (घ). त्रिपुरा सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और मिलते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

बाढ़ों के कारण हुई हानि

2697. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बाढ़ों के कारण देश को सम्पत्ति, जन, ढोरों तथा अन्य प्रकार की आर्थिक क्षति के रूप में कितनी हानि हुई ;

(ख) इस समय कौन कौन सी बाढ़ नियंत्रण योजनाएं चल रही हैं और क्या क्या बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाई जा रही हैं ;

(ग) बाढ़ों के कारण प्रति वर्ष होने वाली हानि किस वर्ष तक कम हो जाने की सरकार को आशा है ; और

(घ) बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**) : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-6824/66]

(ख) जो कार्य तीनों योजनाओं के दौरान किया गया वह मुख्यत: लघुकालीन प्रकृति का था जैसे कि प्रभावित क्षेत्रों के लिये तट बंध, निकास स्कीमें, नदी नियंत्रण तथा नगर संरक्षण कार्य, ग्रामों के स्तर को उठाना, आदि आदि । इनमें से अधिकतर पूर्ण हो चुके हैं और बाकियों के चौथी योजना में पूर्ण होने की संभावना है । बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिये जलाशयों के निर्माण जैसे कुछ दीर्घकालीन उपायों को भी हाथ में ले लिया गया है और पूरा किया गया है जिनमें से दामोदर घाटी निगम के बाधों और हीराकुड बांध में प्रबन्धित जलाशय उल्लेखनीय हैं । ये कार्य कर रहे हैं ।

राज्य सरकारें बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिये दीर्घकालीन योजनाएं तैयार कर रही हैं जिनमें बाढ़ों द्वारा आमतौर से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को उचित संरक्षण देने के लिये उपर्युक्त लघुकालीन उपायों के अतिरिक्त जलाशय बांधों और डिटैंशन बेसिनों जैसे दीर्घकालीन उपायों की परिकल्पना की गई है ।

(ग) अभी तक कार्यान्वित की गई स्कीमों से बाढ़ों द्वारा आमतौर से प्रभावित क्षेत्र के लगभग चौथे हिस्से की सुरक्षा की गई है । और आशा है कि आगामी 20-25 वर्षों के दौरान शेष क्षेत्रों की भी रक्षा की जा सकेगी यदि इसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते रहें ।

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बाढ़ नियंत्रण स्कीमों आदि पर लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च हुए ।

तस्करी

2698. **श्री प्र०चं० बरुआ :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कितने तस्कर व्यापारी (एक) पकड़े गये (दो) सशस्त्र मुठभेड़ में मारे गये अथवा घायल हुए ;

(ख) क्या उक्त अवधि में तस्कर व्यापार प्रति वर्ष बढ़ता ही गया है और यदि हां, तो पूर्ववर्ती वर्षों की अपेक्षा इनमें से प्रत्येक वर्ष में ऐसी घटनाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) भारत की सीमा के साथ साथ कौन कौन से ऐसे मुख्य स्थान हैं जहां पर मुख्यतः तस्कर व्यापार होता है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि 1961 से 1965 तक के वर्षों में चोरी छिपे माल लाने-लेजाने में हर साल वृद्धि होती रही है ।

(ग) जिन क्षेत्रों में चोरी-छिपे माल लाया लेजाया जा सकता है उनमें से मुख्य ये हैं :

(1) बम्बई के पास का पश्चिमी तट ।

(2) सौराष्ट्र तट-रेखा ।

(3) मद्रास और धनुषकोटि के बीच की दक्षिण-पूर्वी तट रेखा ।

(4) भारत पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर अमृतसर, गुरुदासपुर और गंगानगर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र, और

(5) पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर 24 परगना जिले के सीमावर्ती क्षेत्र ।

फरक्का बांध योजना

2699. **श्री प्रभात कार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध परियोजना को कार्यान्वित करने में कुछ विदेशी मुद्रा भी खर्च होगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना कार्य को आरम्भ करने से पहले विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर ली गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या अब विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर ली गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जब कभी मशीनरी, साज समान आदि के आयात की आवश्यकता पड़ती है, विदेशी मुद्रा देने का प्रबंध किया जाता है । जैसा कि अन्य परियोजनाओं के बारे में किया जाता है विदेशी मुद्रा के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र पर उसकी पात्रता के आधार पर साधारण रूप से कार्यवाही की जाती है ।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम

2700. **श्री प्रभात कार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम अधिनियम में संशोधन करने के लिये बिहार और

पश्चिमी बंगाल के विधानमण्डलों की अनुमति लेना अनिवार्य है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस उपबन्ध को समाप्त करने से पहले, कि दामोदर घाटी निगम के सदस्य पूर्णकालिक होने चाहिये, दामोदर घाटी अधिनियम में एक छोटा संशोधन किया गया था, और यदि हां, तो क्या वह संशोधन करने से पहले दोनों राज्यों के विधान मण्डलों की अनुमति ले ली गई थी ; और

(ग) क्या बिहार राज्य बिजली बोर्ड के प्रधान और पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई सचिव की दामोदर घाटी निगम के अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति करने से, दामोदर घाटी निगम के साथ बोर्ड द्वारा किये गये करार तथा सिंचाई जल के बारे में दामोदर घाटी निगम में पश्चिम बंगाल सरकार के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए दामोदर घाटी निगम की सदस्यता की पात्रता के बारे में, दामोदर घाटी निगम, अधिनियम के उपबन्ध का उल्लंघन होता है ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) यदि इस संशोधन का संबंध संविधान के सातवें शिड्यूल की सूची-2 (राज्य सूची) के अन्तर्गत किसी विषय से है तो संविधान की धारा 252 के अन्तर्गत राज्यों की विधान सभाओं द्वारा संकल्प पास करना आवश्यक होगा ।

(ख) इस बारे में दामोदर घाटी निगम अधिनियम का संशोधन करते समय बिहार और पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं की स्वीकृति नहीं ली गई थी क्योंकि यह मामला संविधान के सातवें शिड्यूल की सूची–1 (संघ सूची) की मद 44 के अन्तर्गत था ।

(ग) इस बारे में कानून क्या कहता है इस पर विचार किया जा रहा है ।

भारत का यूनिट ट्रस्ट

2701. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के यूनिट ट्रस्ट ने इस वर्ष 7 प्रतिशत लाभांश घोषित किया है जब कि गत वर्ष उसने 10 महीने के काम के बाद 6.1 प्रतिशत लाभांश घोषित किया था जो पूरे वर्ष के लिये 7.32 प्रतिशत बैठता है ;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में न रखते हुए भारत के यूनिट ट्रस्ट ने यह घोषित किया है कि इस वर्ष का लाभांश गत वर्ष के लाभांश से अधिक है ;

(ग) क्या भारत के यूनिट ट्रस्ट द्वारा बिना सोचे समझे पूंजी लगाये जाने के कारण इस वर्ष लाभांश कम हुआ हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो किन अन्य बातों के कारण लाभांश कम हुआ है; और

(च) क्या सरकार का विचार भारत के यूनिट ट्रस्ट के कार्य संचालन की जांच करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने पहली जुलाई, 1964 की यूनिटों की बिक्री शुरू की थी और इस प्रकार उसने 1964-65 में पूरे साल काम किया। चूंकि यूनिट ट्रस्ट का रुपया अधिकांशत: औद्योगिक प्रतिभूतियों में लगा है, इसलिये उसे जो लाभांश या आमदनी होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि लाभांश की घोषणा करने वाली कम्पनी के कितने शेयर सम्बद्ध लेखा वर्ष के अन्त में ट्रस्ट के पास थे; उसका सम्बन्ध इस बात से नहीं होता कि वे शेयर किस अवधि में ट्रस्ट के पास रहे। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि यदि निवेश की जाने वाली रकम, ट्रस्ट के अधिकार में पूरे वर्ष रहती तो 1964-65 में ट्रस्ट की आमदनी अधिक होती, और न यही ठीक है कि घोषित लाभांश के आधार पर साल भर के लाभांश के प्रतिशत का अनुमान लागाया जाय। वास्तव में ट्रस्ट की कुल आमदनी, जो 1964-65 में 1.53 करोड़ रुपया थी, 1965-66 में बढ़कर 1.82 करोड़ रुपया हो गयी, जिसका पता इस बात से लगता है कि 1965-66 में ट्रस्ट ने पहले से अधिक लाभांश की घोषणा की है।

(ग) से (च). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

त्रिपुरा में फसल की हानि

2702. **श्री दशरथ देव** : **श्री बीरेन दत्त** :
श्री रिशांग किशिंग : **श्री कोल्ला वेंकैया** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में त्रिपुरा की कैलाशहर, कैमलपुर, खोवई तथा अन्य सब-डिवीजनों में भारी बाढ़ के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). जून-जुलाई, 1966 के दौरान त्रिपुरा में लगातार वर्षा के कारण बाढ़ों से 20,000 एकड़ भूमि प्रभावित हुई जिसमें फसल उगी हुई थी और लगभग 5700 टन अनाज की हानि पहुंची। इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये बाढ़ पीड़ित पात्र व्यक्तियों को नकदी व किस्त में पर्याप्त सहायता दी गई। उन कृषकों को ऋण सुविधाएं दी जा रही हैं जिनकी खड़ी फसलें जाया हो गईं ताकि वे आगामी फसल की बुवाई कर सकें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आजमायशी सहायता कार्यों को भी आरंभ किया गया है। बाढ़पीडित लोगों में चावल, दालें और सूखा राशन बांटा गया है। उचित मूल्य पर चीजें बेचने वाली 21 दुकानें भी खोली गई हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की शिकायतें

2703. **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री लखमू भवानी** :
श्री मुहम्मद कोया : **श्री दलजीत सिंह** :
श्री काजरोलकर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की संयुक्त संघर्ष परिषद् ने केन्द्रीय स्वास्थ्य

सेवा के डाक्टरों के लिए नये वेतन-क्रम बनाने के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा न करने के विरोध में उनके मंत्रालय के विरुद्ध पुनः आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों ने 'नियमों के अनुसार ही काम करो' आन्दोलन पुनः आरम्भ करने की भी धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो दिये गये आश्वासनों को पूरा करने और उनकी मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कुछ डाक्टरों ने फिर से आन्दोलन शुरू कर दिया है।

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ग) सरकार ने सदा ही दिये गये आश्वासनों को पूरा किया है तथा सभी उचित मांगों को मान लिया है।

पेंशन के मामले

2704. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1966 को पेंशन/उपदान की अन्तिम मंजूरी के लिए पेंशन के कितने मामले विचाराधीन थे ; और

(ख) ये मामले अनुमानतः कितनी अवधि से विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख). यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान मोटर वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता पर छापा

2705. **डा० रानेन सेन :** **श्री बद्रुद्दुजा :**
डा० उ० मिश्र : **श्री ह० प० चटर्जी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीनस्थ प्राधिकारियों ने उत्तरपाड़ा (जिला-हावड़ा) में स्थित हिन्दुस्तान मोटर वर्क्स लिमिटेड की फैक्टरी तथा कार्यालय पर हाल में छापा मारा था; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां से कोई चीज पकड़ी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रामकृष्णपुरम् में क्वार्टरों के निर्माण में घटिया किस्म के सामान का प्रयोग

2706. **डा० चन्द्रभान सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई सरकारी बस्तियों में, विशेषतः रामकृष्णपुरम् में क्वार्टरों के बनाने में घटिया दर्जे का सामान, खासकर सीमेंट और लकड़ी काम में लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) और (ख). जैसा कि सामान्यतः होता है, सीमेंट सरकार के द्वारा सप्लाई किया गया था तथा वह घटिये दर्जे का नहीं था।

इन छोटे टाईप के क्वार्टरों में प्रयोग हुई लकड़ी निर्धारित नमूनों के अनुसार थी जो कि लागत कम करने के लिए मुलायम तथा सस्ते प्रकार की लकड़ी का उपयोग करने के अनुबंध में है। ये लकड़ियां मौसम की तबदीली के साथ अधिक शीघ्र टेढ़ी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं तथा फूल जाती हैं। प्रयोग में लायी गयी लकड़ी घटिया दर्जे की नहीं थी।

केरल में विकास योजनाएं

2707. **श्री मोहम्मद कोया** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विकास योजनाओं में कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख). योजना आयोग ने अभी केरल की पंचवर्षीय योजना पर विचार विमर्श कर उसे अन्तिम रूप नहीं दिया है। अतः योजना में कमी करने का प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का उत्थान

2708. **श्री प० कुन्हन** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए राज्य-वार कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि में राज्य वार कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी;

(ग) क्या कुछ राशि व्यपगत हुई है; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना विभिन्न राज्यों से मांगी गई है और प्राप्त होते ही यह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Death of Electrician in Ashoka Hotels, New Delhi

2709. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya**: Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 471 on the 28th July, 1966 and state:

(a) whether it is a fact that the enquiry into the death of an Electrician of Ashoka Hotels in an accident on the 11th April, 1966, was held separately by two Departments i.e. Delhi Administration and the Labour Ministry;

(b) whether it is also a fact that both the Enquiry Reports differ with each other;

(c) whether it is also a fact that the grant of Rs. 210 referred to in the answer has not been paid so far to the family of the deceased;

(d) if so, whether Government would ensure payment of the said amount and a job to the wife of the deceased; and

(e) if so, by what time?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) No. It is correct that two separate enquiries were held into the accident, but both were held by officers appointed by the Chief Commissioner of Delhi.

(b) This Ministry has no information about the contents of the reports.

(c) The amount of Rs. 210/- sanctioned to the employee as Gratuity has already been paid to his widow on the 27th April, 1966.

(d) and (e). The widow of the deceased employee has not asked the hotel authorities for employment but only for financial assistance to enable her to continue her studies.

इन्द्रपुरी कालोनी में गन्दगी

2710, **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा इन्द्रपुरी कालोनी में मलमूत्र की निकासी के साधनों की कोई उचित व्यवस्था न किये जाने के कारण, वहां पर सार्वजनिक नालियों में, जिनकी मरम्मत की अत्यन्त आवश्यकता है, बड़ी मात्रा में मलमूत्र बहता रहता है;

(ख) क्या उपरोक्त कालोनी के दिल्ली छावनी तथा पूसा इन्स्टीट्यूट के निकटस्थ होने के कारण उसकी गन्दगी से लोक स्वास्थ्य के लिए भारी खतरा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा प्लाट के मालिकों से जो इकट्ठा विकास शुल्क लिया गया है वह उस कालोनी में जल संभरण तथा मलमूत्र निकासी की व्यवस्था की अनुमानित लागत से अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त कालोनी में इन सुविधाओं की अब तक व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं तथा इन सुविधाओं की कब तक व्यवस्था हो जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). इन्द्रपुरी एक ऐसी कालोनी है जिसे नगर निगम द्वारा नियमित घोषित किया गया है। इस बस्ती के प्लाट बेचने वाले (कॉलानाइजर) ने आन्तरिक सेवाओं की कोई व्यवस्था नहीं की थी। इन्द्रपुरी कालोनी से गन्दगी तथा मलमूत्र हटाने का प्रबन्ध किया गया है। सफाई की व्यवस्था करने के लिये वहां 18 भंगी काम कर रहे हैं। गन्दगी अथवा मलमूत्र वाले स्थानों को अलग रखा गया है।

खुली नालियों में गन्दगी बहाना अपराध है। नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत इसे रोकने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

इस कालोनी की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली नगर निगम आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

(ग) जी, नहीं। 31 अगस्त, 1965 तक इन्द्रपुरी कालोनी में केवल 1,84,748 रुपये विकास शुल्क प्राप्त हुआ है, जबकि आन्तरिक मलमूत्र निकासी तथा जल संभरण की व्यवस्था करने की लागत 5,77,000 रुपये है।

(घ) ज्यों ही 60 प्रतिशत प्लाटों के मालिक 3.50 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से विकास शुल्क जमा कर देंगे, जैसा कि नगर निगम ने कहा है, तभी आन्तरिक मलमूत्र निकासी तथा जल सम्भरण व्यवस्था का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

चौथी योजना में समाज कल्याण

2711. **श्री ह० च० सोय** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में समाज कल्याण सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारित करने में, पिछड़े वर्ग आयोग तथा ढेबर आयोग के प्रतिवेदनों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा उनमें की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त की गई सीमित सफलताएं इस अल्प विकसित वर्ग को देश के अधिक उन्नत वर्गों के बराबर या उनके सन्निकट लाने में काफी हद तक असफल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो जनता के इन दो वर्गों के बीच के अन्तर को समाप्त करने सम्बन्धी स्वीकृत नीतियों तथा उपायों की शीघ्र कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। अलबत्ता, इन लोगों को साधारण जनता के स्तर तक लाने के लिये कुछ समय लगेगा।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का आर्थिक तथा सामाजिक

विकास और अधिक तेजी से सुनिश्चित् करने के लिए चतुर्थ योजना में व्यवस्थायें की जा रही हैं। साधारण विकास कार्यक्रमों से इन वर्गों के लिये उचित हिस्सा प्राप्त कराने के उपायों के अतिरिक्त इस प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों के अधीन भी विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं तथा ग्रामीण निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम भी शुरू किया जायेगा। इन प्रस्तावों का ब्योरा चौथी योजना की रूप रेखा में, जो योजना आयोग द्वारा शीघ्र ही पेश की जायेगी, दिया होगा।

आत्महत्याओं की रोकथाम

2712. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1966 को 'जर्मन न्यूज वीकली' में 'आमहत्या रोकथाम के 10 वर्ष, शीर्षक के अन्तर्गत एक लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में, जहां आत्महत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तरीके का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां; तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस विषय पर मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार समिति द्वारा निकट भविष्य में विचार किये जाने की संभावना है ।

पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण

2713. **श्री उमानाथ :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने वाले आंकड़ों के बारे में राज्य सरकारों को दिनांक 5 जनवरी, 1965 को भेजे गये पत्र के उत्तर में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये विवरणों पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी राज्य में कोई क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं और वे कौन से हैं; और

(ग) उन क्षेत्रों में क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख). दिनांक 5 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1483 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जैसा कि उस समय बताया गया था कि राज्यों की सीमा के अन्तर्गत उल्लेखनीय पिछड़े क्षेत्रों के द्रुत विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रस्ताव,राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के अंश होंगे और उन पर तदनुसार विचार किया जायेगा।

सहकारी चीनी कारखानों को ऋण

2714. **श्री जसवन्त मेहता :** **श्री कृ० क० सिंह :**
श्री राजेश्वर पटेल : **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री ह० च० सोय :**
श्री योगेन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम ने सहकारी चीनी कारखानों को ऋण देने से इनकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके इनकार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार उनके अर्ध-निर्मित कारखानों को पूरा करने के लिये सहकारी चीनी कारखानों की सहायता के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहकारी चीनी कारखानों को वे ऋण दे रहा है जिनकी मंजूरी दी जा चुकी है। उसने वित्तीय सहायता के लिए चीनी उद्योग से आने वाले नये आवेदन-पत्रों पर विचार करने पर भी कोई रोक नहीं लगायी है, लेकिन उसे दूसरे प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों द्वारा भी सहायता की भारी मांग किये जाने के कारण निगम की साधनों सम्बन्धी कठिन स्थिति को देखते हुए नये आवेदन-पत्रों पर विचार करने के काम को धीमा कर देना पड़ा है।

(ग) नये सहकारी चीनी कारखानों को वित्तीय सहायता देने और मौजूदा कारखानों का विस्तार करने की सारी समस्या और उससे सम्बद्ध अन्य सभी मामलों पर भारत सरकार का खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय वित्त मंत्रालय और वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से विचार कर रहा है।

मेसर्स अमींचन्द प्यारे लाल के मामले

2715. **श्री मधु लिमये :** **श्री स०मो० बनर्जी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री बड़े : **श्री बागड़ी :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री मौर्य :**
श्री तुलसी दास जाधव : **श्री अल्वारेस :**
श्री प्रभात कार : **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
डा० उ० मिश्र : **श्री अ० व० राघवन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग (सेंट्रल व्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन) अथवा

किसी अन्य केन्द्रीय जांच एजेंसी ने मेमर्स अमींचन्द प्यारेलाल की फर्मों द्वारा कलकत्ता पत्तन आयुक्त, सीमा-शुल्क, आयकर तथा विदेशी मुद्रा अधिकारियों को धोखा दिये जाने के सम्बन्ध में उन फर्मों के काम काज की जांच आरम्भ कर दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन फर्मों ने उनके द्वारा आयात किया गया माल इस आधार पर, कि उनके कागजात जैसे बीजक, लदान-बिल्टी खो गये हैं अथवा विदेशों से नहीं आये हैं अथवा किसी अन्य आधार पर विलम्ब-शुल्क तथा पत्तन-शुल्क दिये बिना ही पत्तन से उठा लिया है;

(ग) क्या इन फर्मों द्वारा माल उठाये जाने से पहले उनसे कुछ धन जमा करवाया गया था; और

(घ) इन फर्मों के विरुद्ध छापे मारना, गिरफ्तारी करना और कानूनी कार्यवाही करने की क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, नासिक

2716. **श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री मधु लिमये : श्री बड़े :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक स्थित सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि संघ के बीच काम करने की दशा के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो विवादास्पद मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या कारखाना निरीक्षक ने कारखाना अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून के अंतर्गत प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दी है अथवा कोई कानूनी कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विवाद को निपटाने और स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

अशोक होटल के कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना

2717. **श्री काजरोलकर :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना लागू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन पर केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना कब लागू करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से इस होटल में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत वही चिकित्सा सुविधायें दी जा रही हैं जो वे अपनी इस प्रतिनियुक्ति से पूर्व पा रहे थे। अन्य कर्मचारियों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के बारे में अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र

2718. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार स्वर्ण क्षेत्र के खनन उपक्रमों का पूरी तरह भारतीय-करण कर लिया गया है।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन खानों को मैसूर राज्य सरकार से अपने नियंत्रण में लेने से अब तक कितनी पूंजी लगाई गई और कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(घ) उत्पादन में कमी और हानि होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) हानि को पूरा करने तथा इन खानों को लाभपूर्ण ढंग से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख). कोलार की खानों से सोना निकालने वाले प्रतिष्ठानों में एक ब्रिटिश राष्ट्रिक को छोड़कर, जो वहां धातुशोधक (मेटालर्जिस्ट) के रूप में काम करता है, और कोई गैर-भारतीय काम नहीं करता। उसे कोलार सोना खान प्रतिष्ठान (अभिग्रहण) अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार, कोलार स्वर्ण क्षेत्र की कम्पनियों के दूसरे कर्मचारियों के साथ मैसूर सरकार के कर्मचारी के रूप में सेवा में लिया गया था।

(ग), (घ) और (ङ). कोलार की खानों से सोना निकालने वाले प्रतिष्ठानों में केन्द्रीय सरकार द्वारा 1965-66 के अंत तक 444 लाख रुपये की पूंजी लगायी जा चुकी थी।

चूंकि कोलार की खानों से सोना निकालने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा निकाला गया सोना बेचा नहीं जाता, इसलिये वास्तविक लाभ या हानि का सवाल ही पैदा नहीं होता।

हिन्दुराव अस्पताल, दिल्ली में डाक्टरों की लापरवाही के कारण एक रोगी की मृत्यु

2719. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव : **श्री अल्वारेस :**
श्री बागड़ी : **श्री सरजू पांडेय :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली के हिन्दुराव अस्पताल में एक रोगी आपरेशन टेबल पर ही मर गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस आशय की शिकायतें की गई हैं कि निश्चेतक (चेतनाशून्य करने वाला—अनैस्थेटिस्ट) तथा कमिश्नर की लापरवाही के कारण यह मृत्यु हुई थी; और

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है और उस पर कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां।

(ख) और (ग). 24 मई, 1966 को हिन्दुराव अस्पताल में आपरेशन टेबल पर ही एक रोगी की मृत्यु हो जाने के बारे में एक शिकायत मिली थी। इस मामले की जांच करने वाले नगर निगम के चार चिकित्सा अधिकारियों ने बतलाया कि यह मृत्यु निश्चेतक की लापरवाही के के कारण हुई है। इस दोषी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध निगम अनुशासन हीनता की कार्यवाही करने का विचार कर रहा है।

Smuggling Activities on East Pakistan Border

2720. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some anti-national elements are actively engaged in smuggling activity near East Pakistan border ; and

(b) the steps taken by Government to check expeditiously the increased smuggling and also the increasing activities of Pakistani smugglers in the border areas ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) and (b). Although some anti-national elements have been engaged in smuggling activities in the areas bordering East Pakistan, there is no indication of any increase in smuggling activity particularly by Pakistai smugglers in the recent past. Nevertheless customs staff posted in the border areas are keeping strict vigilance in close cooperation with State Government Officers.

उत्तर प्रदेश में सिंचाई

2721. **श्री बृजबासी लाल :** **श्री काशीनाथ पांडे :**
श्री किन्दर लाल : **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
डा० महादेव प्रसाद **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी भूमि की सिंचाई होती है और वहां पर वर्ष भर में अनाज का कितना उत्पादन होता है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने से देश में अनाज की कमी कहां तक पूरी की जा सकती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्तरप्रदेश में सिंचाई अधीन क्षेत्र लगभग 190 लाख एकड़ है और अनाज की औसतन वार्षिक उत्पत्ति लगभग 140 लाख टन है ।

(ख) जैसा कि इस समय मोटे रूप से आंका गया है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई शक्यता 370 लाख एकड़ है जिसमें 190 लाख एकड़ क्षेत्र की शक्यता का अभी तक विकास हुआ है। जब बाकी 180 लाख एकड़ शक्यता का विकास हो जायेगा तो इससे देश में अनाज की कमी काफी दूर हो जयेगी ।

नरैना, दिल्ली में निम्न आय वर्ग आवास योजना

2722. **श्री सं० बा० पाटिल :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरैना निवास योजना में निम्न आय वर्ग आवास योंजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा जून 1964 के आरम्भ में काफी व्यक्तियों को आवंटित भूमि के प्लाटों का कब्जा अभी तक इस कारण नहीं दिया गया है कि इस भूमि (साइट) का विकास करना अभी बाकी है, यद्यपि इन आवंटित प्लाटों की तीन-चौथाई कीमत फरवरी, 1965 में उन व्यक्तियों से वसूल कर ली गई थी;

(ख) इस भूमि के विकास तथा अलाटियों को कब्जा देने के मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) प्लाटों को पूरी तरह विकसित करके उनका कब्जा कब तक दिये जाने की संभावना है;

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). क्षेत्र का आन्तरिक विकास लगभग पूरा हो गया है तथा आवंटियों को प्लाटों का कब्जा लगभग एक महीने के दौरान देने की सम्भावना है । देरी इसलिये हुई कि दिल्ली नगर निगम बस्ती में पानी तथा बिजली नहीं दे सका ।

नवीन शाहदरा में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा का औषधालय

2723. **श्री महानन्द** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना नदी के पार की सब बस्तियों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए नवीन शाहदरा में ही एक केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा का औषधालय खोला गया है तथा इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि वह औषधालय उन बस्तियों से कितनी दूरी पर पड़ता है;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारीसंघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि गांधी नगर में अथवा किसी अन्य बीच की बस्ती में दूसरा औषधालय खोला जाना चाहिये; और

(ग) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि ऐसी बस्तियों को जो इस औषधालय से दो मील से अधिक दूरी पर हैं केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र से निकाला जाय?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां। निम्नलिखित क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये नवीन शाहदरा में एक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय खोल दिया गया है :-

(1) जी. टी. रोड और मार्जिनल बन्द के बीच स्थित नया सलीमपुर, जी. टी. रोड और उससे निकलने वाली बाबरपुर पुल तक की सलीमपुर इन्सपेक्शन हाउस रोड तथा नवीन शाहदरा को जाने वाली सड़क जी. टी. रोड के मेल तक जिसमें बस्ती पेटरौल टंकी तथा सारा बाबरपुर गांव सम्मिलित है, से घिरा हुआ क्षेत्र।

(2) काबुल नगर, राम नगर, बलवीर नगर, लोनी रोड को काटने वाले नाले तक।

(3) उपर्युक्त नाले से जी. टी. रोड के क्रासिंग तक जी. टी. रोड के साथ साथ बसे हुये क्षेत्र और पूर्व में शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे ट्रैक तक।

(4) जी. टी. रोड और पाण्डव रोड के बीच में बसा हुआ पुराना शाहदरा तथा कैलाश नगर, गांधीनगर, झीलखुरंजा, गीता कालोनी, राधेपुरी, कृष्ण नगर और सलीमपुर गांव।

(ख) जी हां, किन्तु स्वीकृत मानकों के अनुसार 2000 से लेकर 2,500 तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय खोला जाता है। अभी तक नवीन शाहदरा औषधालय में केवल 1020 कार्ड हैं।

(ग) जी नहीं।

Hindi Assistants

2724. **Shri Y. D. Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kashi Ram Gupta :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Assistants in the Department of Revenue ; and

(b) the nature of duties assigned to them.

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Five.

(b) The Hindi Assistants have been assigned translation work from English to Hindi and **vice-versa** (including other allied work viz., comparison of stencils and other typed matters etc.).

Confirmation of Employees in Economic Affairs Department

2725. **Shri Y. D. Singh : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Kashi Ram Gupta :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the period after which the employees recruited through the Union Public Service Commission are confirmed normally under the rules ;

(b) whether these rules were not applied to all the Hindi knowing Employees recruited through the UPSC in the Department of Economic Affairs ; and

(c) if not, the reasons for this discrimination ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) The employees recruited through the Union Public Service Commission against permanent vacancies are confirmed after satisfactory completion of their probationary period, which is normally 2 years.

(b) The normal rules in respect of confirmation were applied to all the Hindi knowing employees in the Department of Economic Affairs.

(c) Does not arise.

Hindi Officers

2726. **Shri Y. D. Singh : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Kashi Ram Gupta :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the original designation and pay scale of Hindi Officers in the Department of Economic Affairs ; and

(b) the number of times the pay scale was revised and its class upgraded ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) There has been only one post so far designated as Hindi Officer. The original scale attached to it was Rs. 530-30-800, and it was a Class II post.

(b) the original post was created in 1954. In 1957 it was upgraded to Class I and the pay scale was revised. It was revised again in 1960 following the recommendations of the Second Pay Commission.

स्वर्ण नियंत्रण आदेश के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

2727. **श्री कोल्ला वेंकैया : श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री म० ना० स्वामी : श्री उमानाथ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून तथा जुलाई, 1966 में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्योरा है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने इन अभ्यावेदनों में सरकार से प्रार्थना की है कि स्वर्ण नियंत्रण को वापस लेने के बारे में संघ की मांग पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाय। संघ ने देशव्यापी आंदोलन तथा संसद भवन के सामने व राज्यों की राजधानियों में भूख हड़ताल करने की धमकी भी दी थी।

(ग) स्वर्ण नियंत्रण के समग्र प्रश्न की जांच की जा रही है।

अमरीकी दूतावास द्वारा पी० एल० 480 निधि में से खर्च किया गया धन

2728. **श्री कोल्ला वेंकैया :** **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री उमानाथ : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **वित्त** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) भारत में शिक्षा सम्बन्धी आदान-प्रदान कार्यक्रम (दो) भारत में कृषि कार्यक्रम (तीन) अन्य प्रशासनिक कार्यक्रम (चार) अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के मिशन और (पांच) अमरीकी सूचना सेवा की विभिन्न मदों पर व्यय के पृथक-पृथक आंकड़े तथा ब्योरा क्या हैं;

(ख) क्या पृथक-पृथक आंकड़ों तथा व्यय की जांच पड़ताल की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो यह जांच कौन करता है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग). चूंकि ये खर्च अमरीकी सरकार की अपने उपयोग के लिए रखी गई धनराशियों में से किये गये हैं, इसलिए खर्च के विस्तृत आंकड़े उसी सरकार द्वारा रखे जाते हैं और इसलिए वे भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। खर्च पर नियंत्रण रखने और इन आंकड़ों की जांच करने की व्यवस्था भी अमरीकी सरकार द्वारा की जाती है।

Bharat Sewak Samaj Stone Crushing Society

2729. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bharat Sewak Samaj Stone Crushing Society, Khyber Pass (Timarpur), Delhi have worked the stone quarries to the extent that they have reached almost upto the hospital and the pipe-line consequent to which there is a likelihood of much loss to Government and residents of the area;

(b) whether it is also a fact that as a result of the above work the pipe-line is now only 25 ft. away whereas Government's orders are to keep the pipe-line 100 ft. away; and

(c) if so, the reasons for allowing the said Society to do so ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c). A permit for stone quarrying was issued by the office of the Deputy Commissioner (Revenue Unit), Delhi, to the Bharat Sewak Samaj, Pathar Toda Cooperative Society.

The distance of the nearest active quarry pit from the hospital is more than 100 feet. Some dead pits, in which no quarrying was done during the last one year, are, however, about 25 feet away.

The nearest quarry pit is about 24 feet from the pipe-line. There has been no damage to the pipe-line.

There are no active pits very near the quarters at Timarpur. Some dead pits exist within a distance of 26 feet.

The Mines and Mineral Rules do not stipulate any minimum distance to be kept between quarry pits and pipe-lines, hospitals, quarters etc. Permits for quarrying also do not specify any such restrictions. However, instructions were locally issued by the Collector, Mines and Quarries, that no quarrying would be done within 200 feet of a pipe-line, public road, hospital or residential quarter. A copy of these instructions is always enclosed with every new permit issued by the Deputy Commissioner. All permit-holders are being asked to fill up all such pits upto ground level as are within a distance of 200 feet from pipe lines, public roads, hospitals, residential quarters, etc.

अउड़ीसा में आय-कर का अपवंचन

2730. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आय-कर के अपवंचन के 197 मामलों में अन्तर्ग्रस्त कुल राशि कितनी है और सम्बन्धित पार्टियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या बाकीदारों के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया है अथवा चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसका कब पता लगा है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) कर की चोरी में कितनी रकम अन्तर्ग्रस्त है, इसका पता जांच-पड़ताल खतम होने पर ही चलेगा। जांच-पड़ताल अभी चल रही है ।

(ख) मुकदमा चलाने का सवाल जांच-पड़ताल पूरी होने और कर की चोरी निश्चित होने के बाद ही पैदा होगा ।

(ग) कर की चोरी पकड़ी गई है, यह जांच-पड़ताल पूरी होने और कर की चोरी निश्चित हो जाने के बाद ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार, कथित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का सवाल कर की चोरियां निश्चित हो जाने के बाद ही पैदा होगा ।

आय-कर अधिकारी

2731. **श्री जेधे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने हाल में आय-कर अधिकारियों (श्रेणी–II) के पदों के लिये विज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने आवेदन-पत्र मिले और कितनी फीस मिली ;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अनुसार उक्त पद के लिये पात्रता के सम्बन्ध में निम्नतम अर्हता केवल किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय की डिग्री रखी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आवेदनपत्रों के मिलने के पश्चात् पात्रता के लिये शिक्षा सम्बन्धी अर्हता बदलकर प्रथम श्रेणी का स्नातक (ग्रेज्यूएट) अथवा द्वितीय श्रेणी के एम० ए० की डिग्री रखी गई ;

(ङ) यदि भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक में हो, तो उसके फलस्वरूप कितने आवेदकों को इसके लिये अपात्र घोषित किया गया है ;

(च) क्या ऐसे अपात्र उम्मीदवारों से प्राप्त फीस उन्हें पूरी लौटा दी जायेगी ; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) (दुबारा प्राप्त हुई दरख्वास्तों की संख्या को मिला कर) दरख्वास्तों की

कुल संख्या	32,000 से अधिक
प्राप्त फीस	6.5 लाख रुपये (पूर्णांक)

(ग) उपर्युक्त भर्ती के लिए विज्ञापन में शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम योग्यता "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या चार्टर्ड लेखाकार संस्था की परिषद द्वारा सदस्यता के लिए मान्यता प्राप्त लेखाकार सम्बन्धी योग्यता या इसके समकक्ष योग्यता" रखी गई थी।

(घ) उम्मीदवारों की पात्रता का निश्चय करने के लिए शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(ङ) से (छ). ये सवाल उठते ही नहीं।

नई दिल्ली में गोल मार्केट क्षेत्र में क्वार्टर

2732. **श्री जेधे :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 23 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2742 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में गोल मार्केट क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों द्वारा किये गये ऐसे अनधिकृत कब्जे के बारे के पता लगा है ;

(ख) कितने मामलों में कब्जाधारी लोगों को नोटिस दिये गये हैं ;

(ग) कितने मामलों में नोटिस दिये जाने के परिणामस्वरूप अनधिकृत कब्जा छोड़ दिया गया है ;

(घ) शेष अनधिकृत कब्जे कब तक छोड़ दिये जाने की संभावना है ; और

(ङ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है कि भविष्य में अलाटी इस प्रकार से अनधिकृत कब्जा न कर सकें ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) सात ।

(ख) सात ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) मामलों पर कार्यवाई की जा रही है ।

(ङ) जो आवंटी अनधिकृत कब्जा नहीं छोड़ते उनके खिलाफ अलाटमेंट रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाई की जा सकती है जिसमें आवंटन का रद्द किया जाना शामिल है ।

Ranjit Hotel, New Delhi

2733. **Shri Ram Swarup:** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the time since Hotel Ranjit, in Delhi has been functioning and the number of visitors who have stayed there so far ;

(b) whether Government have received any complaints against the management ; and

(c) if so, the nature thereof and whether Government have enquired into it ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) The Ranjit Hotel was inaugurated on the 7th November, 1965. Upto the 10th August, 1966, 10,116 persons have stayed in the Hotc.l

(b) and (c). A complaint against the Ranjit Hotel forwarded by the questioner has been received. This is being investigated.

खाद्यान्न को लादना उतारना और उसको लाना-लेजाना

2734. **श्री राम सेवक यादव :**

श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स मुरादाबाद हैण्डलिंग एजेन्सी, मुरादाबाद 19 सितम्बर, 1962 से 25 फरवरी, 1964 तक की अवधि में सेन्ट्रल स्टोरेज डिपो, कानपुर में खाद्यान्न के लादने-उतारने और उसको लाने-ले जाने के ठेकेदार थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने दिसम्बर, 1963 में एक संसद सदस्य को सूचित किया था कि इस फर्म ने ऊंची दरें बताई थीं जिसके परिणाम-स्वरूप सरकार को भारी हानि हुई और इसी कारण 17 अप्रैल, 1964 को इस फर्म का नाम काली सूची में लिखा गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त अवधि में फर्म ने 1,75,000 रुपये का लाभ दिखाया था जब कि उसे वास्तव में लगभग 9,00,000 रुपये का लाभ हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो 9,00,000 रुपये पर कर और जुर्माना वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, ताकि सरकार को हानि न होने पाये ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सच है कि दिसम्बर, 1963 में संसद के एक सदस्य को यह सूचित किया गया था कि इस फर्म द्वारा बताई गई दरें बहुत ऊँची थीं जिससे सरकार को हानि हुई । यह भी सच है कि 17-4-1964 को इस फर्म का नाम बदनाम फर्मों की सूची में लिख दिया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली में जल के दूषित होने का खतरा

2735. **श्री यशपाल सिंह** :

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में स्थित ओखला वाटर वर्क्स को रेलवे पुल के पास कूड़े के भारी ढेर के बह जाने के कारण पानी के दूषित हो जाने का खतरा बना हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । तथापि दिल्ली नगर निगम दूषण को रोकने के लिए पहले से ही उचित कार्यवाही कर रहा है । पीने के प्रयोजन से सप्लाई किये जाने से पूर्व ही पानी को पूरी तरह से शुद्ध कर लिता जाता है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है क्लोरीन की मात्रा भी बढ़ा दी जाती है ।

रिजर्व बैंक के गवर्नर

2736. **श्री जोकीम आल्वा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 से अब तक कितने व्यक्ति भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर काम कर चुके हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने सेवा-निवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर ली है; और

(ग) क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उनकी नियुक्ति करते समय सेवा-निवृत्ति के बाद उनके द्वारा नौकरी करने के बारे में कोई शर्त रखी जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) पांच ।

(ख) दो ।

(ग) जी, नहीं ।

तीन योजनाओं की कालावधि में गरीब और अमीर के बीच असमानता

2737. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तीन पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप जो पूरी की जा चुकी हैं, गरीब और अमीर के बीच असमानता को कम कर सकी है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं से धन सम्पत्ति की असमानता कहां तक कम हो सकी है;

(ग) क्या सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना में इस पहलू पर अधिक जोर देने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). योजना आयोग ने 1960 में प्रो० माहालनोबीस की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी । समिति के विचारणीय विषय निम्न प्रकार थे :—

(1) पहली तथा दूसरी योजनाओं के दौरान जीवन-निर्वाह के स्तरों में जो परिवर्तन हुए हैं उनका पर्यवेक्षण करना;

(2) आय और सम्पत्ति के वितरण की हाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना; और विशेषकर

(3) यह पता लगाना कि किस सीमा तक आर्थिक प्रणाली के संचालन से सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रीकरण हुआ है । समिति ने फरवरी, 1964 में प्रतिवेदन का भाग 1 प्रस्तुत किया । इसमें विचारणीय विषयों के मद (2) तथा (3) शामिल होंगे । प्रतिवेदन के अनुसार, "उपलब्ध अनुमानों तथा आंकड़ों से समस्त आय के वितरण में कोई खास परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता, यद्यपि ये नगरीय क्षेत्र में विषमताओं में कुछ वृद्धि और देहाती क्षेत्र में विषमताओं में कुछ कमी परिलक्षित करते हैं । इसके अतिरिक्त तुलनात्मक कार्यों के लिए अपर्याप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया, अतः इस निष्कर्ष के बारे में निश्चयपूर्वक कहना सम्भव नहीं ।"

(ग) और (घ). चौथी योजना तैयार करने में आय और सम्पत्ति की विषमताओं को कम करने तथा इससे भी अधिक आर्थिक शक्ति के असमान वितरण पर बल दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

Rent Paid by Foreigners in India

2738. **Shri Mohan Swarup**: Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that after the devaluation of the rupee, the foreigners in India are paying about half of the settled rent for the houses allotted to them as a result of which the house owners at Government and non-Government levels are being put to heavy losses;

(b) if so, the reaction of Government in this regard; and

(c) the effective steps being taken to remedy the situation?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). The payment of rent by foreigners for Government accommodation allotted to them as also for private accommodation rented by them is made in rupees. Government or private house owners have not been put to any loss due to devaluation.

(c) No such necessity has arisen.

दिल्ली के किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि

2739. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने किसानों से वह 500 एकड़ भूमि वापस ले ली है जो उन्हें खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से पट्टे पर दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसानों को खड़ी फसल काटने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन ने किसानों को लाइसेंस के आधार पर "अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन" के एक भाग के रूप में केवल पिछली "रबी" की फसल के लिए 5000 एकड़ भूमि दी थी क्योंकि यह भूमि आयोजित विकास के अन्तर्गत दिल्ली की भूमि को बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास तथा निपटान के लिए, शीघ्र नहीं चाहिए थी। वास्तव में केवल 754 एकड़ भूमि पर खेती की गई। यह भूमि दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार विकास के लिए अब आवश्यक है, तथा आगे खेती के लिए नहीं दी जा सकती। जिन किसानों के पास लाइसेंस है उन्हें खड़ी फसल को खलिहानों में ले जाने से नहीं रोका गया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मिजो नेशनल फ्रन्ट के एक सन्देशवाहक से दस्तावेजों के पकड़े जाने के समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह उसके बारे में एक वक्तव्य दें:

"सिलचर-एजल सड़क पर मिजो नेशनल फ्रन्ट के एक सन्देशवाहक से ऐसे दस्तावेजों के पकड़े जाने के समाचार जिनसे मिजो विद्रोहियों की एक विदेशी ताकत के साथ सांठ गांठ का पता चलता है।"

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): 3 अगस्त, 1966 को एजल-सिलचर सड़क पर 55.6 मील पर मिजो नेशनल फ्रंट का एक संदेश वाहक पकड़ा गया था। वह मिजो नेशनल फ्रन्ट के कई नेताओं के नाम दस्तावेज ले रहा था। यह पत्र तथाकथित मिजो राष्ट्रीय सेना की 30वीं बैटेलियन के तथाकथित कमाडिंग अधिकारियों ने अपने कम्पनी कमांडरों को लिखे थे। इन दस्तावेजों का विद्रोही मिजो लोगों और किसी विदेशी शक्ति के बीच सांठ-गांठ का सम्बन्ध नहीं था। कोलोसिव थाने में एक मामला दर्ज किया गया है और उसकी जांच हो रही है।

श्री स. मो. बनर्जी: उप-मंत्री महोदय के वक्तव्य से मालूम होता है कि यह पत्र मिजो नेशनल फ्रन्ट के विभिन्न नेताओं को लिखे गये थे और किसी विदेशी शक्ति के साथ सांठ-गांठ का कोई प्रश्न नहीं था। इन पत्रों में क्या बातें लिखी थीं और क्या यह सच है कि यह पत्र विभिन्न नेताओं को यह बताने के लिए लिखे गये थे कि मिजो पहाड़ियों में एक नया आन्दोलन अथवा संघर्ष किस प्रकार आरम्भ किया जाये ?

श्री विद्याचरण शुक्ल: इस समय ये दस्तावेज सुरक्षा सेनाओं के संरक्षण में हैं और वे उनका अध्ययन कर रही हैं और जांच-पड़ताल कर रही हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): क्या गुप्त वार्ता विभाग अथवा अन्य किसी साधन से सूचना मिली है कि मिजो नैशनल फ्रन्ट के सदस्य चीनी तकनीकी विशेषज्ञों और चीन के सैनिकों से पूर्वी पाकिस्तान की भूमि पर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यदि हां, तो इस सूचना का ब्योरा क्या है ? क्या ताशकंद घोषणा के अनुसरण में पाकिस्तान के साथ विरोध प्रकट किया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल: हमें सूचना मिली है कि पाकिस्तान में मिजो विद्रोही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इन प्रशिक्षण शिवरों में कुछ चीनी देखे गये हैं। हम यह नहीं कह सकते कि इन चीनियों ने उन्हें प्रशिक्षण दिया है, परन्तु ये चीनी उन प्रशिक्षण शिवरों में गये। इसके बारे में पाकिस्तान को विरोध पत्र लिखा गया है। पाकिस्तान ने इससे इन्कार कर दिया है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या वे लोग जिन्हें पूर्व पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया था, मिजो पहाड़ियों में वापस आ गये हैं और एक और दस्ता पूर्व पाकिस्तान में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम काफी तथाकथित मिजो सैनिकों को पूर्व पाकिस्तान जाने से रोकने में समर्थ हुए हैं। किन्तु कुछ चले गये होंगे, ठीक ठीक बताना कठिन है। पूर्व पाकिस्तान जाने और वहां से वापस आने से रोकने के लिए हमें अधिकाधिक सफलता मिली है।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : कुछ वर्ष पहले मिजो नैशनल फ्रंट के प्रेजीडेंट श्री लाल डेंगा हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा गिरफ्तार किये गये थे जबकि वह हथियार और गोलाबारूद के माल के साथ पूर्व पाकिस्तान से भारतीय इलाके में आ रहे थे। उस समय उन्हें इसलिये रिहा कर दिया गया था कि उन्होंने भविष्य में अच्छे सलूक का विश्वास असम के मुख्य मंत्री को दिलाया था। मिजो पहाड़ियों में विद्रोह का यही मुख्य कारण है। यह बिल्कुल सच है कि मिजो विद्रोही हथियार और गोलाबारूद के लिए तथा पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप में चलाये जाने वाले शिविरों में छापामार लड़ाई में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये पूर्व पाकिस्तान में गये हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति अयूब खां ने वक्तव्य दिया है कि मिजो पूर्व पाकिस्तान में गये हैं, वे उनके लिये समस्या बन गये हैं और वह उनको मानवीय कारणों से तंग नहीं कर सकते। इस संदर्भ में क्या सरकार ने पाकिस्तान अधिकारियों, कम से कम राष्ट्रपति अयूब खां जैसे व्यक्तियों, को यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान ने मिजो विद्रोहियों को आश्रय दिया है और उन्हें भारत के विरुद्ध प्रशिक्षण दिया है तथा उन्हें प्रोत्साहित किया है। यदि पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजा गया है तो उस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया हुई है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : विरोध पत्र भेजा गया है। पाकिस्तान ने इस आरोप को स्वीकार नहीं किया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I want to know whether Government have succeeded in preventing Mizo rebels from coming back after getting training in East Pakistan ; if not, the reasons therefor ? What is the number of those who have gone for training and number of those who have already returned ?

Whether Government is investigating into the seized documents ; when this enquiry will be completed and by what time action will be taken against the alleged persons ?

Shri Vidya Charan Shukla : We have succeeded in preventing these people from coming back after training. As regards document, it is under investigation. I do not have figures in regard to Mizo rebels who had gone for training and number of those already returned.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) क्या सरकार ने ऐसी कोई मशीनरी स्थापित की है जिससे प्रशिक्षण लेने के पश्चात् पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की निगरानी रखी जा सके तथा पता लगाया जा सके कि वह कौन सी कार्यवाहियों में व्यस्त रहते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मिजो जिला और पाकिस्तान के बीच इस पूरी सीमा पर चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है ।

बिहार के मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में—जारी
RE: QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST CHIEF MINISTER OF BIHAR—Contd.

अध्यक्ष महोदय : मैं बिहार सरकार के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग के बारे में सर्वश्री त्रिदिब कुमार चौधरी तथा मधु लिमये द्वारा दी गई सूचना पर विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठाने की सम्मति देता हूं । जहां तक देश से निकालने के आदेश देने का प्रश्न है, वह कानून के अनुसार अनुकूल है । विचारणीय प्रश्न केवल यह है कि क्या उस आदेश में डेढ़ घंटे का समय दिया गया था तथा इस बीच, आरोप यह लगाया गया है, सदस्यों को अवैध रूप से निरुद्ध रखा गया था । यदि सभा सहमत है तो इस सीमित प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के पास भेज रहा हूं । सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

कर्नल अमरीक सिंह उर्फ के० एस० साही के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे
RE: QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST COL. AMRIK SINGH Alias K. S. SAHI

Shri. Madhu Limaye (Monghyr): Sir, with your consent, I want to move the motion on breach of privilege against Col. Amrik Singh Alias K. S. Sahi. As you are also involved in this case, may I request that somebody else should conduct the business of the House so long as this matter is under consideration of the House?

Mr. Speaker: You can say whatever you like.

Shri Madhu Limaye: The so-called Col. Amrik Singh came to me and said something about Shri Jit Pal. He also mentioned about the Speaker of Lok Sabba. I told him that it was a serious matter and nothing could be done without proof. Next day he again came to me and brought a copy of the letter addressed to Mr. Speaker. I met the Speaker alongwith Smt. Renu Chakravarty and Shri Kishan Patnaik on the same day. Copy of the letter and draft of the motion of privilege were shown to Mr. Speaker.

Col. Amrik Singh had mentioned about a document of Shri Jit Pal, a partner of Amin Chand Pyare Lal firms, in his letter to Mr. Speaker. According to his statement, many Ministers are involved in the matter of taking bribery and violation of law. Rs. 40,000 have been shown against the name of Mr. Speaker. This is a very deplorable aspect of the matter. I submit that Shri Amrik Singh should be arrested and brought before the House and made to explain about the documents. In case he is not in a position to offer any proof, he may be punished. If some such document is recovered, then Shri Jit Pal who has made a serious allegation against Mr. Speaker, should be arrested and brought before the House.

Before this I have moved a motion of privilege against Jit Pal. The two should be considered separately. Shri Amin Chand Pyare Lal Firms are doing black marketing, tax evation etc. on a large scale. High Government Officers are also involved. The matter should be investigated thoroughly. Today our public life is shadowed by dishonesty and corruption, so the clarification of these matters is quite necessary.

According to some precedents of the House of Commons, the Speaker of the House of Commons is the representative of the House itself in its powers, proceedings and dignity. As regards insult and disrespect, it is prescribed that any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence. As regards duties of a member of Parliament, the acceptance by any Member of either House of a bribe to influence him in his conduct as such member is a breach of privilege. Giving of bribe is equally a serious crime.

In conclusion, I may say that it is a serious matter. It may be found whether document mentioned by Col. Amrik Singh exists or not. If not, then Col. Amrik Singh has palyed a mischief with the House. If the document is in existence and Shri Jit Pal is a signatory to it and it is so proved, then Shri Jit Pal should be brought before the House. The matter should be thoroughly investigated and the guilty must be punished.

Mr. Speaker : He has written that the document is available in the Court. It is fortunate for me. The document can neither be altered nor can it be tampered with.

I assure the House that I have had never in my life any connections with M/s Amin Chand Pyare Lal. Only a fews days before they brought a reply to me in connection with the report of P. A. C. Our office had returned the same as none of the partners had signed it and there was no printer's line. I will vacate the chair if the document is available. As there is a clear reference of the document, the matter may be referred to the Privileges Committee and as the document is available in the Court, they should furnish the report within 4-5 days. Otherwise, a special committee may be formed by the Members of Parliament or Shri Madhu Limaye and Smt. Renu Chakravarty should form a committee of their own and investigate into the matter.

It has been reported in the Newspaper that Shri Amrik Singh had admitted that there are 27 cases against him including some murder cases. All these things would be examined by the committee to which the matter is referred. The House need not be perturbed. I again assure the House that I have had no relations with this firm.

Shri K. N. Tiwary (Bagaha): The opposition is levelling one charge or the other against one or the other person.

Shri Madhu Limaye : I object to it. No charge has been levelled.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : This case should be referred to the Privileges Committee and should not be discussed here.

श्री हुमायूंन् कबिर (बसिरहाट) : इस सभा के नेता ने प्रस्ताव किया है और पूरी सभा ने स्वीकार किया है कि इस मामले पर वाद-विवाद किये वगैर विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये। इसके पश्चात किसी सदस्य को चर्चा चलाने का अधिकार नहीं है।

जब से सभा में अमींचन्द प्यारे लाल वाला मामला लाया गया है, श्री मधु लिमये का जीवन खतरे में पड़ गया है। श्री मधु लिमये की सुरक्षा की व्यवस्था की जाये। जीतपाल का पूरा गुट उसके पीछे पड़ा हुआ है।

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : यदि उनके बचाव की व्यवस्था की जाती है तो वे कहेंगे कि केन्द्रीय गुप्तचर्या विभाग के लोग उनके पीछे फिर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यह राय है कि यह मामला सीधा विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये ।

सदस्य : जी हां ।

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में
RE. QUESTIONS OF PRIVILEGE

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I had given a notice of privilege against the Minister of Education regarding the area of the India soil.

Mr. Speaker : I have received many privilege notices. They will be taken up one after the other.

Shri Bagri (Hissar) : What about my seat. I may be given a seat in the front benches.

Mr. Speaker : I am considering the matter. I will give the decision within a day or two.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधिनियम, और उत्पादन शुल्क, तथा नमक अधिनियम तथा बंगाल वित्त (विक्री कर) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं इन पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 61 वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में सधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1209 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 62वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1210 में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्कवापसी (सामान्य) 63वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1211 में प्रकाशित हुये थे ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी.**-6811/66]

(2) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (विक्रय-कर) **अधिनियम,**

1941 की धारा 26 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 4 अगस्त, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(66) /65—फिन० (ई) में प्रकाशित हुये थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी.** 6812/66]

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त की सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त द्वारा 1962-63 के अपने वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में एक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6813/66]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

तिरानबेवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्तिराव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तिरानबेवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

उंचासवां प्रतिवेदन

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का उंचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्रधान मंत्री की छिपे नागाओं के नेताओं के साथ हुई बातचीत के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. PRIME MINISTER'S TALKS WITH UNDERGROUND NAGA LEADERS

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : श्री कुघातो सुखई के नेतृत्व में छिपे नागाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने 10 और 11 अगस्त 1966 को नई दिल्ली में प्रधान मन्त्री से भेंट की।

इन बैठकों में उन्होंने अपने ऐतिहासिक मामले को और अधिकारों को बयान किया और शांति, मित्रता तथा सहयोग से हमारे साथ रहने की अपनी उत्कट इच्छा व्यक्त की। प्रधान

मंत्री ने उन्हें बताया कि बीती हुई बातों को बयान करने का कोई अर्थ नहीं : वर्तमान अधिक महत्वपूर्ण है और इससे भी महत्वपूर्ण भविष्य है जिसमें कि नागाओं को अपनी समृद्धि के लिए नये और ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने छिपे नागाओं के प्रतिनिधि मंडल को संसदीय लोकतंत्र के बारे में बताया और यह बात समझाई कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं और उनके रहन सहन के तौर-तरीकों की रक्षा की संविधान में क्या व्यवस्था है।

इन नागाओं ने भारत की लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था को और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के हमारे प्रयत्नों को सराहा। उन्होंने कहा कि वे हमारे अधिक से अधिक नजदीक आना चाहते हैं। प्रधान मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके वैध अधिकारों की रक्षा की जाएगी तथा उन्हें इस बात का जरा भी भय नहीं करना चाहिए कि भारत संघ में उनके रहन सहन के तौर तरीकों में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपने मित्रों से सलाह करें और बाद में फिर कभी मिलें जबकि हम इस विषय पर अधिक विस्तार के साथ विचार-विनिमय कर सकें। इस बीच यह आवश्यक है कि शांति बनी रहे और छिपे नागा बाहर से मदद लेने की कोई कोशिश न करें क्योंकि इससे मामला उलझेगा ही।

यह बातचीत मित्रता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और मैं समझता हूँ कि इसमें हम दोनों एक दूसरे के विचारों को पहले से ज्यादा अच्छी तरह समझ सके।

निस्संदेह, सदन यह तो मानेगा ही कि इस बातचीत का उद्देश्य गलतफहमियों को दूर करना और विश्वास का वातावरण तैयार करना है जिसमें कि हमारी घोषित निर्णय के अनुरूप कोई समाधान निकल सके। इसलिए, मेरे लिए अधिक विस्तार से कहना मुश्किल है लेकिन में माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम संसद द्वारा अनुमोदित सरकार की नीति के अनुरूप ही समाधान खोज रहे हैं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : अप्रैल, 1966 में अपनी प्रधान मंत्री से भेंट के समय छिपे नागाओं ने यह दावा किया था कि भारत सरकार ने उनकी तथाकथित फैड्रल गवर्नमेंट आफ नागालैंड को मान्यता दे दी है। क्या यह सच है और क्या छिपे नागाओं ने नागालैंड के लिए भूटान और सिक्कम के समान व्यवस्था की मांग की है ? इस बारे में प्रधान मंत्री ने उनसे क्या कहा है ?

श्री दिनेश सिंह : हमने किसी फेड्रल गर्वमेंट को मान्यता नहीं दी हम तो नागालैंड राज्य की सरकार को ही मानते हैं। नागाओं के प्रतिनिधियों ने ऐसी कोई मांग नहीं की कि नागालैंड को भूटान और सिक्कम के समान दर्जा दिया जाय।

श्री हेम बरुआ : यह समाचार पत्रों छपा में है कि इस प्रकार का सुझाव श्री जय प्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। इस मांग के बारे में प्रधान मंत्री के क्या विचार हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है इस प्रकार की मांग हमारे समक्ष नहीं रखी गई ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि छिपे नागाओं से कहा गया है कि वे विदेशों से किसी प्रकार की सहायता न मांगें । मैं जानना चाहता हूँ कि इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ? क्या उन्होंने कहा था कि इस बीच में वे विदेशों से किसी प्रकार का सम्पर्क स्थापित नहीं करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : नही उन्होंने ऐसा नहीं कहा । उन्होंने हमारी बात को केवल ध्यान से सुना था ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to know from the Prime Minister whether the change as a result of passage of no-confidence motion in Nagaland will have any effect on these negotiations.

May I know whether the activities of hostile Nagas have increased in Manipur ?

Shri Dinesh Singh : There has not been any new incident. As I told in this House earlier an attack was made on our security forces. It was repulsed. The change of Government in Nagaland has nothing to do with this.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पिछले महीने प्रधान मंत्री ने मास्को में लाभदायक बातचीत की । परन्तु पाकिस्तान रेडियो निरन्तर नागा लोगों के बारे में भारत विरोधी प्रचार कर रहा है और नागाओं के संघर्ष को मुक्ति संघर्ष कहा है । क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार के साथ इस बारे में पत्रव्यवहार हुआ है कि यह ताशकन्द समझौते का खण्डन है ?

श्री दिनेश सिंह : हमने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि भारत विरोधी प्रचार बन्द किया जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस विषय पर रूस के नेताओं से प्रधान मंत्री ने बातचीत की थी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हां, इस बारे में बात हुई थी ।

Dr. Ram Monohar Lohia (Farrukhabad) : May I know the terms of the agreement proposed to be made by the Prime Minister with Nagas. Is it also a fact that these Nagas are collecting taxes in Manipur ?

Shri Dinesh Singh : The points raised by Nagas have been discussed. As far the collection of funds are concerned, it came to our notice and we directed them to stop this thing.

Dr. Ram Manohar Lohia : The demands of Nagas in 1951 were not as wide as they are now. An agreement could be reached easily at that time.

Shri Dinesh Singh : Mr. Phizo had put forward one thing, while another section of Nagas had put forward something different. Nothing can be said at this moment.

श्री स० मो० बनर्जी : नागालैंड के बारे में कई बार प्रश्न उठाया गया है और अब भी वैदेशिक कार्य मंत्रालय इसके बारे में उत्तर देता है। इससे देश में यह भ्रम हो जाता है कि नागालैंड एक अलग देश है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह कब तक चलता रहेगा ? और इस विषय को गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत लाने के बारे में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : इस विषय को कई बार पहले भी उठाया गया है। इस विषय में नागाओं से एक समझौता हुआ था और उस पर यहां सदन में चर्चा भी हुई थी··· **(अन्तर्बाधाएं)** स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री शास्त्री ने कहा भी था कि नागालैंड सरकार से सलाह करने के बाद हम इस विषय को वैदेशिक कार्य मंत्रालय से हटा देंगे। इस बारे में कार्यवाही हो रही है और हमें आशा है कि यथाशीघ्र यह अन्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आ जायेगा।

श्री वासुदेवन नायरः (अम्बलपुजा): प्रधान मंत्री की नागा विद्रोहियों से जो बातचीत हुई है क्या उस से इस समाचार के बारे में कुछ पता चलता है कि विद्रोही नागाओं में से कुछ वर्ग अब हमारी सरकार के साथ समझौता चाहते हैं,

श्री दिनेश सिंह: हम यह बातचीत इसी आशा से कर रहे हैं कि हम उन्हें अपने विचारों से सहमत करा सकेंगे।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

(श्री अतुल्य घोष)

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

(Shri Atulya Ghosh)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): मैं आपका ध्यान नियम 357 की ओर दिलाना चाहता हूं। उस में लिखा है कि कोई सदस्य, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता है परन्तु उस में वह कोई ऐसा मामला नहीं लायगा जो विवादास्पद हो।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अतुल्य घोष को यह बात स्पष्ट कर दी है।

श्री अतुल्य घोष (आसनसोल) : कल अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक कर्मचारी श्री सुनील दत्त से सम्बन्धित एक मामले के सम्बन्ध में मेरा नाम बार बार लिया गया है। वह वहां पर कार्य कर रहे 105 कर्मचारियों में से एक हैं और मैं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का पद धारी होने के नाते उसे जानता हूं और वह मेरे निवास स्थान पर आया करता था। सबसे पहले मैं यह बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह आरोप बिलकुल गलत है कि मैंने इस मामले को ठप्प कराने के लिये प्रभाव डालने का प्रयत्न किया है। मैंने इस मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के अथवा राज्य के किसी मंत्री अथवा अधिकारी से बतांचीत नहीं की। मैं मोहित चौधरी को बल्कुल नहीं जानता और मैंने उसे कभी नहीं देखा। सुनील दत्त न तो मेरा गोपनीय सचिव था न ही निजी सचिव कुछ अन्य लोगों के नाम भी लिये गये हैं। एक नाम तारपद चौधरी का है जो औद्योगिक प्रदर्शन आयोजित किया करता था। मेरा इस प्रकार के कार्य से सम्बन्ध रहा है। परन्तु वह सदा कांग्रेस के विरुद्ध रहा है। एक और नाम राविन्द्र चौधरी का लिया गया। मेरा उसके

साथ कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं है। एक और नाम केशव चन्द्र चक्रवती का लिया गया है। मैंने उसे अपने जीवन में एक या दो बार देखा है। वह सदा हमारा विरोधी रहा है।

मैं अंजना नाम की किसी लड़की को नहीं जानता और मैं मोहित चौधरी के किसी विवाह में शामिल नहीं हुआ। डा० रानेन सेन ने कहा है कि मैंने इस मामले को दबाने का प्रयत्न किया है। मैंने इस सम्बन्ध में किसी से बात चीत नहीं की है। जब सुनील के मकान की तलाशी ली गई तो वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का कर्मचारी होने के नाते मेरे पास आया मैंने उसे बताया कि वह किसी वकील की सहायता ले। मैं यह स्पष्ट रुप से कहता हूं कि कुछ मित्रों ने मुझे और कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयत्न किया है। मैं यह बात फिर स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैंने इस मामले को ठप्प कराने का कोई प्रयत्न नहीं किया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): On a point of order, Sir. This right of personal explanation should not be abused. Shri Atulya Ghosh has not stated the facts.

Mr. Speaker: If it is so, we will see later on. It has no relevance now.

नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE: THIRD REPORT OF RULES COMMITTEE—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्री कृष्णमूर्ति राव द्वारा 17 मई, 1966 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा होगी :

"कि यह सभा नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 14 मई, 1966 को सभा पटल पर रखा गया था, सहमत है।"

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) यह बड़ा उत्तम सुझाव है कि प्रधान मंत्री ही इस सभा के नेता हों। किसी अन्य व्यक्ति को यह पद नहीं मिलना चाहिए। संसार के जितने भी देश संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वहां प्रधान मंत्री ही सदन का नेता होता है। मुझे किसी की योग्यता में संदेह नहीं, परन्तु प्रश्न सिद्धान्त का है। मुझे इस बात का पता नहीं कि समिति ने इस विषय पर अलग से विचार किया है कि नहीं कि इस मामले में कठिनाई क्या है। मुझे यह भी पता है कि प्रधान मंत्री चुनाव लड़ने से नहीं घबरातीं, शायद आपात काल के कारण चुनाव हो नहीं पाए। अतः हमें स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए और इस दिशा में स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम हर बात में हाउस आफ कामन्स की परम्पराओं के ही अनुसार करें। हमें कुछ अपनी परम्परायें भी निर्माण करनी चाहिए।

इस दिशा में श्री मधु लिमये ने भी कुछ सुझाव प्रस्तुत किये थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समिति ने उन सुझाओं पर भी विचार किया, और क्या इस दिशा में कुछ निर्णय लिया गया था। वैसे मेरा यह भी विचार है कि हमें यदाकदा आवश्यकता के अनुसार नियमों में संशोधन भी कर लेना चाहिये। हमें सदन की गरिमा को कायम रखना चाहिए क्योंकि सारे संसार की आंखें हमारे ऊपर लगी हैं। हमें देश में संसदीय लोकतंत्र को कायम रखना है। पर मुझे केवल इतना ही कहना है कि सदस्यों को 10, 15, 20 दिनों के लिये सदन से निकाल देना ठीक नहीं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): At present we are discussing two rules. One is regarding the election of the leader of the House and the other is regarding the naming of the members. I would like to express about these two Rules. Let me submit that from all angles it will be a good and proper convention that the one and same person should be the Prime Minister and the Leader of the House. As a matter of fact this has in fact been the practice which has developed here during the life time of our former Prime Ministers. There were certain conventions which were established by the former Prime Ministers, are now being violated.

I also feel that it is against the spirit of our Constitution that a member of the Rajya Sabha should be the Prime Minister. I submit that at least this should be conceded that only senior most member of the Council of Ministers should be the leader of the House when the Prime Minister, as it is today, cannot hold that office. Point is that an old and experienced leader will be able to exert a sobering influence on the House and will thus help in the smooth working of the proceedings.

Coming to the question of the suspension of members should be considered thoroughly. I am of the opinion that to expel a member for the whole session is not democratic act. Whenever such a motion is made, a permission should be given to move an amendment also. If anyhow, that position is not acceptable, there should be a grading of the period of suspension. On the first occasion a member should not be suspended for more than 5 days for a gross misconduct. On the second occasion, it may be 20 days and only on the third time he should be suspended for the rest of the Session. At least here we should follow the rules of British House of Commons.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : नियम समिति का प्रतिवेदन का प्रश्न बड़ा सीमित सा प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि समिति ने नियम (2) के अन्तर्गत जो प्रस्तावित संशोधन स्वीकार नहीं किया, यह अच्छा ही किया है। मंत्रियों की वरिष्ठता का निर्णय कर पाना सरल कार्य नहीं है। मेरा कहना है कि सभा के नियमों में यह लिखना कि सभा का केवल कोई वरिष्ठ सदस्य ही नेता हो सकता है, द्वेषपूर्ण बात होगी जिसे उचित नहीं कहा जा सकता।

इसके अतिरिक्त नियम 170 के बारे में समिति की सिफारिश का कोई महत्व नहीं है। पहले तीन संकल्पों को सूची में रखा जाय अथवा नहीं अथवा पिछले चार संकल्पों को सूची में रखा जाय, बड़ा ही साधारण मामला है। इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। पिछले दो संकल्पों के लिए जो समय नियत किया गया है वह सभा को काम में लगाये रखने के लिए काफी है।

374 नियम के सम्बन्ध में जो अलग से विचार करने के लिये समिति ने निर्णय किया है, उससे मुझे बहुत हर्ष हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि इस दिशा में हमें संसदीय सुधारों जैसे बड़े प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है। कोई भी प्रक्रिया न तो सम्पूर्ण ही हो सकती है और न स्थायी रूप से उसे स्वीकार किया जा सकता है। आज के संसदीय जीवन की वास्तविकताओं तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए हमें प्रक्रिया में काफी व्यापक तबदीली करने के बारे में विचार करना चाहिए। मेरा मत इस बारे में यह है कि संसदीय विषयों पर पूर्ण रूप से सविस्तार विचार करने के लिए एक संसदीय सुधार आयोग अथवा सभा का निकाय स्थापित करना चाहिए।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यहां कहा गया है कि प्रधान मंत्री और सदन का नेता एक ही व्यक्ति होना चाहिये। कुछ लोगों ने इस बारे में उदाहरण और परम्पराओं का उल्लेख किया है। इस दिशा में ब्रिटेन में भी कभी कभी प्रधान मंत्री और सभा का नेता अलग अलग व्यक्ति होते हैं। यह स्वीकार किया जा सकता है कि प्रधान मंत्री और सभा का नेता एक ही व्यक्ति हो। मेरे विचार में यह सबसे अच्छी संसदीय प्रक्रिया है। परन्तु यदि मंत्रिमंडल के किसी व्यक्ति को सभा का नेता नियुक्त कर दिया जाय तो यह भी कोई अनुचित बात नहीं है, इससे न तो कोई अनियमितता होती है और न ही प्रक्रिया सम्बन्धी ही कोई गड़बड़ होती है।

यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाये कि किसी सदस्य को निलम्बित किया जाना हो तो हम सबको ही इससे दुःख होता है। परन्तु प्रश्न यह है कि सभा के कुछ नियम हैं, और उनका पालन करना बड़ा ही जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह सभा की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करे। यह भी एक वास्तविकता है कि निलम्बित करने से पूर्व सभा के सदस्यों को अपने शब्द वापिस लेने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार की छूट संसार में अन्य किसी भी संसद में नहीं दी जाती।

जो सदस्य दोषी पाये जाते हैं, उन्हें श्रेणी क्रम में दंड देने का सुझाव भी उचित प्रतीत नहीं होता। मेरा मत यह है कि इस बात को अध्यक्ष महोदय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। वैसे भी यही नियम है कि सभा के सदस्यों के बारे में आचार और व्यवहार के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का निर्णय देने का अधिकार केवल अध्यक्ष महोदय को ही होता है।

Shri Bade (Khargone) : I may humbly State that it would be much better if we could inspire others and they would follow our traditions. But the fact is that we are following others. It would have been much better if we would have gone by what may have been our own practice. We must evolve our own procedure and practice in keeping with our own conventions and traditions.

I am of the opinion that the amendment put forward by Shri Kamat, regarding introduction of graded punishment is perfectly correct and should be accepted. The committee has given no reasons why they have not agreed to the amendment seeking that the Prime Minister himself should be the leader of the House. I feel there is a force in the arguments that have been advanced in support of it. Shri Kamat has put forward very valid reasoning. I urge that Shri Kamat's amendment should be accepted.

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : डा० सिंघवी ने ठीक ही कहा है कि यह सीमित प्रस्ताव है। मेरा निवेदन यह है कि समिति सभा के नेता के बारे में श्री कामत द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उससे सहमत नहीं है। यदि प्रधान मंत्री सभा का सदस्य नहीं तो वह किसी भी व्यक्ति को अपने स्थान पर सभा का नेता नियुक्त कर सकता है।

सभा का दूसरा संशोधन भी समिति को मान्य नहीं है कि एक वरिष्ठ मंत्री को ही सभा का नेता नियुक्त किया जाना चाहिये। वरिष्ठता का निर्धारण करना सरल मामला नहीं है।

संकल्प का बैलट प्रक्रिया नियम संख्या 31 (4) के अन्तर्गत होना चाहिए। अतः इस दिशा में श्री कामत द्वारा दिये गये संशोधन समिति को मान्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त समिति ने यह फैसला दिया है कि नियम संख्या 374 पर विचार बाद की बैठक में किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 14 मई, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1966-67—जारी

DEMAND FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) 1966-67—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब वर्ष 1966-67 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर विचार और मतदान होगा। कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(वर्ष 1966-67 **के लिये अनुपूरक अनुदानों (सामान्य-आय-व्यय) की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये**)

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
6	11	श्री कृष्ण पाल सिंह	नौसेना में कमियां	100 रुपये
16	12	श्री कृष्ण पाल सिंह	बचत की आवश्यकता	100 रुपये
16	13	श्री कृष्ण पाल सिंह	विदेशों में प्रचार की आवश्यकता	100 रुपये
16	14	श्री कृष्ण पाल सिंह	असैन्कि व्यय में बचत की आवश्यकता	100 रुपये
17	15	श्री कृष्ण पाल सिंह	पदोन्नति की आवश्यकता	100 रुपये
17	16	श्री कृष्ण पाल सिंह	आयोग स्थापना की अपेक्षा	100 रुपये
34	17	श्री कृष्ण पाल सिंह	सामुदायिक विकास की ओर ध्यान देना	100 रुपये
35	18	श्री कृष्ण पाल सिंह	उर्वरक तथा ट्रैक्टर सस्ते भावों में किसानों को देने की आवश्यकता	100 रुपये
35	19	श्री कृष्ण पाल सिंह	सहकारी तथा अनुसूचित बैंको द्वारा सहायता	100 रुपये

अध्यक्ष महोदय: ये सब कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द): गत 20 वर्षों से कृषकों को पानी देने के प्रति हमारी उपेक्षा की वृत्ति रही है। हम 1947 से इस दिशा में कुछ भी नहीं कर पाये हैं। वैसे इस रास्ते की कठिनाई केवल आर्थिक है। हमारी अर्थ व्यवस्था के ठीक होते ही इस दिशा की कठिनाइयां प्राय: दूर हो जायेंगी। यह तो स्पष्ट है कि हमारे 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। 1961 की जन संख्या के अनुसार 5, 59000 गांव इस देश में हैं और 36 करोड़ लोग इनमें रहते हैं। सभ्यता और संस्कृति का विकास भी गांवों में ही हुआ है।

हमें अपना ध्यान देश की गम्भीर स्थिति की ओर देना चाहिए और एक बात तो हमें समझ ही लेनी चाहिए कि अमरीका सदा हमारा पेट नहीं भरता रहेगा। हमें शीघ्रता से इस दिशा में आत्म निर्भर होना होगा। इसके लिए हमें अपने कृषकों को वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने का तरीका सिखाना होगा। उसके प्रचार और शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

सरकार फसल की कोई बीमा योजना लागू कर रही है। यह अच्छी बात है, यह हमारे कृषकों के जीवन को स्थिर करने की दिशा में काफी प्रभावशाली काम कर पायेगी। पशुओं का बीमा भी काफी लाभदायक रहेगा।

पीने का पानी भी जरूरी चीज है। गांवों में यह समस्या बहुत गम्भीर है। नदी नाले पानी से भरे हैं, परन्तु हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। मेरा आग्रह यह है कि खोसला समिति की नई योजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ग्रामीण समाज का विकास बड़ा जरूरी है। उसके आधार पर ही हम कुछ प्रगति कर सकते हैं। गरीबी को दूर करने का भी यही तरीका है। उद्योगों के विकास से हम धन लाभ तो कर सकते हैं पर जीवन स्तर को ऊंचा नहीं कर सकते। यदि हम आने वाले 10,15 वर्षों में युद्ध को दूर रख सके तो विदेशी सत्ता ने जो हमारी दरिद्रता में वृद्धि की है उसे दूर किया जा सकेगा। हम संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। हमें लोकतंत्रीय और आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करना है इन्हें हल करके ही हम मानवीय जीवन का उच्च स्तर निर्माण कर सकते हैं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैंने अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 5, 6, 7 और 8 प्रस्तुत की है। मांग संख्या 5 में मेरी मांग यह है कि पूर्वी जर्मनी को मान्यता दी जाय। पूर्वी जर्मनी के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध हैं परन्तु हमने उस देश को मान्यता नहीं दी है। सरकार पूर्वी जर्मनी को मान्यता देकर पश्चिमी जर्मनी को नाराज करना नहीं चाहती है। हमारी नीति यह है कि पश्चिमी जर्मनी को नाराज न किया जाय। मैं इस संदर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम यह दावा करते हैं कि हम तटस्थ देश हैं। अतः सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह पूर्वी जर्मनी सरकार को मान्यता प्रदान करे। यह एक सम्पन्न कार्य है। उसे मान्यता प्रदान न करने का औचित्य नहीं है। हमें अपनी कूट नीति का निर्माण बड़ी ठीक नीति के आधार पर करना चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते से है। सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार करने के लिए एक आयोग की स्थापना की है। परन्तु खेद की बात यह है कि 4.2 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी हम 20 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असंतोष की भावना समाप्त करने में सफल नहीं हुए हैं। दोनों पक्षों में खिंचाव बढ़ रहा है।

आयोग के लिए जो निर्देशपद निर्धारित किए गये हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि

सरकार द्वितीय वेतन आयोग द्वारा बनाये गये मंहगाई भत्ता सूत्र को ही समाप्त करना चाहती है। इससे सरकारी कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा है क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों को धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस आयोग को स्थापित करने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि द्वितीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये सूत्रों से सरकारी कर्मचारियों को जो थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है, वह भी समाप्त कर दिया जाये।

सरकार के पास इस प्रकार का आयोग स्थापित करने के लिये कोई औचित्य नहीं है। द्वितीय वेतन आयोग द्वारा जो थोड़ा सा मंहगाई भत्ता दिया गया है उसको अधिमान युक्त व्यवहार कहा गया है। मूल्यों के एक बार बढ़ने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मूल्यों में वृद्धि को पूर्णरूप से निष्प्रभाव करने की मांग करना उचित है।

मैं निवेदन करूँगा कि सरकार को इस प्रकार का आयोग नहीं बनाना चाहिये और द्वित्तीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।

मद्रास में सरकार 25 रुपये प्रति बोरी की दर से धान खरीदती है और उसको बहुत अधिक मूल्यों पर विक्रय करती है। इसी प्रकार सरकार चावल को 50 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीद कर 65 रुपये प्रति बोरी विक्रय कर रही है। इसका कारण यह है कि सरकार इस सौदे से भारी मुनाफा कमाना चाहती है। इस चीज को देखते हुये चोर बाजारी करने वाले और भी अधिक मूल्य पर अर्थात 83 रुपये प्रति बोरी की दर से बेचते हैं। तिरुचिरापल्लि, तंजौर और मुदैर जिलों में चावल का मूल्य 80 रुपये प्रति बोरी है। यह सब इसी कारण हुआ है क्योंकि सरकार स्यवं बहुत अधिक मूल्य पर चावल बेच रही है। यदि सरकार चावल को उचित मूल्य की दुकानों पर कम मूल्य पर बेचे तो बाजार में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और चावल का मूल्य कम हो जायेगा। अब मुझे समाचार मिला है कि कोयम्बटूर तथा कुछ अन्य जिलों में चोर बाजार में चावल 150 रुपये प्रति बोरी की दर से बेचा जा रहा है। इस समय मद्रास राज्य में, जोकि फालतू अनाज वाला एक राज्य था, अकाल की सी स्थिति है।

इसलिये मेरा निवेदन है सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर बेचे जाने वाले चावल का मूल्य कम करके लागत मूल्य जमा दस प्रतिशत के समान कर दिया जाना चाहिये। इससे जहां तक मद्रास राज्य में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी हो जायेगी।

श्री व. बा. गांधी (बम्बई-मध्य दक्षिण) : मांग संख्या 217 में 203.61 करोड़ की अनुपूरक व्यवस्था करने के लिये कहा गया है। अवमूल्यन के कारण यह राशि हमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक में जमा करानी है जिससे कि इन संस्थाओं में अपने अंशदानों को बनाये रखा जा सके।

भारत इन संस्थाओं का संस्थापक सदस्य है। इसका कुछ अंशदान सोने में तथा कुछ भारतीय मुद्रा में जमा कराना होता है। अवमूल्यन के कारण हमारे अंशदान की कीमत भी कम

हो गई है इसलिये उस कमी को पूरा करने के लिये हमें यह अतिरिक्त धनराशि इन संस्थाओं में जमा करानी है ।

यह सच है कि 203.61 करोड़ की धनराशि एक बड़ी धनराशि है परन्तु जिस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा इसकी मांग की गई है वह बुरा नहीं है ।

मांग संख्या 30 मंहगाई भत्ते की जांच के लिये स्थापित किये जाने वाले आयोग के खर्च को पूरा करने के लिये 4.21 लाख रुपये की अनुपूरक व्यवस्था के बारे में है । सर्वप्रथम मैं यह बता दूं कि मैं इस आयोग की नियुक्ति का स्वागत करता हूं ।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री बनर्जी ने कहा है मंहगाई भत्ते जैसे जटिल मामले को वित्त मंत्री तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में सीधी बातचीत से हल नहीं किया जा सकता । इसका प्रभाव समूचे देश की अर्थ व्यवस्था पर पड़ता है ।

भूतकाल का हमारा अनुभव तो यही है कि जब कभी भी वेतन तथा मंहगाई भत्ते के प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई आयोग स्थापित किया गया है तो उससे कर्मचारियों को कुछ लाभ ही हुआ है । इसलिये इस आयोग के प्रति हमें विरोधपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिये ।

आयोग के लिये जो निर्देश पद निर्धारित किये गये हैं उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इनको इनसे सम्बन्ध समस्याओं को अच्छी प्रकार समझ कर ही बनाया गया है । मैं तो यह कहूँगा कि इन निर्देश पदों को बनाने वाले प्रशंसा के पात्र हैं । अभी तो आयोग ने अपना कार्य भी आरम्भ नहीं किया है । इसलिए हमें पहले से ही कोई निष्कर्ष नहीं निकाल लेने चाहिए । यदि आयोग ठीक समझे तो वह कम आय वाले कर्मचारियों के लिए मंहगाई को शत प्रतिशत निष्प्रभाव करने की भी सिफारिश कर सकता है । ऐसा करने में उसके लिए कोई बाधा नहीं है ।

श्री कृष्ण पाल सिंह (जलेसर) : प्रतिरक्षा विभाग की काफी समय से उपेक्षा की जा रही है । नौसेना के लिए 80 लाख रुपये की जो धनराशि मांगी गई है वह बहुत ही कम है । नौसेना के जहाज बहुत पुराने हैं तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी नहीं हैं । हमारे पास पनडुब्बियां तो नहीं के बराबर हैं । इसलिए नौसेना के लिए अधिक धन की आवश्यकता है । जब तक हम अन्य विभागों में खर्च को कम नहीं करते तब तक हम प्रतिरक्षा के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा सकते । प्रतिरक्षा तथा कृषि के महत्वपूर्ण विषयों के लिए हम तब तक साधन नहीं जुटा सकते जब तक हम यह आयोजन कार्य समाप्त नहीं करते, मैंने यह बात पहले भी कही थी और आज फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ कि यदि हम देश की स्थिति सुधारने के मामले में गम्भीर हैं तो हमें प्रतिरक्षा तथा खाद्य उत्पादन के विषयों पर अधिक जोर देना चाहिए और शेष मामलों को जैसे हैं वैसे ही रहने दिया जाना चाहिए ।

वित्त मंत्रालय से मेरी एक शिकायत यह है कि वह बड़े बड़े भवनों के निर्माण पर बहुत अधिक धन व्यय कर रहा है । हमें भवनों के निर्माण पर धन व्यंय नहीं करना चाहिए ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय पर बहुत अधिक धन खर्च किया जा रहा है परन्तु इसका कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है। हम विश्व में अलग पड़ गये हैं कोई देश हमारे साथ नहीं है। पाकिस्तान को जो कि गुटों में भी शामिल है, पूर्वी तथा पश्चिमी देशों से हथियार मिल रहे हैं।

आज हमारा कोई भी मित्र इस संसार में नहीं रहा है। हमारे कूटनीतिक संस्थानों का विस्तार तो बहुत अधिक है। हमारी 73 दूतावास, 21 उच्चायुक्त, 14 आयोग, तथा लीगेशन और कांसलेट जनरल, 17 कांसलेट और 3 वाइस-कांसलेट, एक उप उच्चायुक्त, एक अवर उच्च आयुक्त, और व्यापार आयुक्त भी हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ चलते फिरते शिष्टमंडल भी हैं, जो कि सारे संसार का चक्कर काटते रहते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मंत्रालय के लिए और धन स्वीकृत करने का कोई औचित्य है। यह तो धन नष्ट करने वाली बात है।

इसी तरह मंत्रालय में भी अनियमिततायें हैं। पदोन्नतियों में बहुत गड़बड़ चलती रहती है उसे ठीक किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्थिति यह है कि एक कृषक के लिए ऋण लेना इतना कठिन है। प्रत्येक कृषक को ऋण लेते समय तथा अदा करते समय भारी खर्च करना पड़ जाता है। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूँ कि एक किसान की आस्तियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसी आधार पर ही एक प्रतिशत उनके लिए निर्धारित कर देना चाहिए। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है उत्तर दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों में ऐसे स्थान हैं जिनकी उपेक्षा की गई है। मेरा आग्रह यह है कि सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इतना तो किया ही जाना चाहिए कि कम से कम पीने वाला जल तथा सिंचाई के लिए जल की पर्याप्त व्यवस्था हो जाय। मुझे विश्वास है कि कृषि विकास से सम्बद्ध मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा।

श्री दाजी (इन्दौर): अवमूल्यन के कारण मांगों की राशि 207 करोड़ रुपया बढ़ गयी। मूल रूप में मांग 218.94 करोड़ की है। यह प्रथम अवसर है जब कि हमें अवमूल्यन की नीति का मूल्य देना पड़ रहा है और यह आगे भी चलेगा। इस दिशा में मैं एक प्रश्न सरकार से करना चाहता हूँ वह यह कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण के डायरेक्टर ने सिनेट समिति के समक्ष शपथ लेकर कहा है कि अवमूल्यन अमरीका द्वारा भारत सरकार पर दबाव डालने के कारण हुआ है। और इसका उद्देश्य यह था कि भारत सरकार की नीतियां अमरीकी सरकार की नीतियों के अनुरूप हो जायं। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह दावा कहां तक ठीक कहा जा सकता है कि हमारी सरकार द्वारा जो अवमूल्यन किया गया है वह देश की अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए था।

अब मैं गजेन्द्र गडकर आयोग के बारे में कहूँगा। श्री गांधी का कहना है कि आयोग के निर्देश पद बड़ी मेहनत से तैयार किये गये हैं। और जिन लोगों ने यह काम किया है, वे बड़े योग्य व्यक्ति हैं। मेरे विचार में यह आयोग की नियुक्त ही जले पर नमक छिड़कने के बराबर

है। सरकार कीमतों की बृद्धि रोकने में असफल रही है, इस बात के लिए सरकार की सर्वत्र निन्दा की गई है। एक आध सुपर बाजार से मामला हल नहीं हो सकता। समस्या इतनी जटिल है कि कोई ईमानदार व्यक्ति इसे हल नहीं कर सकता। यदि वह चाहे कि कर्मचारियों के पक्ष में कुछ निष्कर्ष निकाल दे तो जटिलतायें इतनी पैदा हो जाती है कि वह चाहता हुआ भी कुछ नहीं कर सकता। निर्देश पद पूरी तरह कर्मचारियों के विरुद्ध जाते हैं। यही कारण है कि कर्मचारी इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के रास्ते में रुकावट नहीं बनते। वे तो चाहते हैं कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों का भी मंहगाई भत्ता बढ़ना चाहिए।

यह खेद की बात है कि सचिवालय सेवा के बड़े-बड़े अधिकारी कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। वे यह विचार व्यक्त करते हैं कि वेतन में वृद्धि न की जाय। अवमूल्यन से कुछ ही दिनों पूर्व उच्चाधिकारियों के वेतन में वृद्धि की गयी थी। सचिवों संयुक्त सचिवों, अतिरिक्त सचिवों तथाउप-सचिवों के वेतन 100 रुपये से लेकर 350 रुपये तक बढ़ा दिये गये हुए हैं। उनके वेतनों में वृद्धि के बाद सरकार उन कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के विरुद्ध है जिन्हें केवल निर्वाह भर के लिए वेतन उपलब्ध होता है। सरकार को सरकारी कर्मचारियों में फैले असंतोष को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये कर्मचारी सरकार का मुख्य अंग हैं, यदि ये असन्तुष्ट रहते हैं तो सरकार का कार्य किसी समय भी गतिहीन हो सकता है।

अब मैं अर्थहीन स्वर्ण नियन्त्रण की बात कहता हूँ। यह स्वर्ण नियन्त्रण आदेश अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ है। सरकार की कृपा से सारा स्वर्ण बाजार ही चोर बाजार में बदल गया है। जमा किये हुए स्वर्ण के बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकी है। अतः उस नीति का शीघ्र पुनरीक्षण किया जाना चाहिए उसके साथ ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार जो चालें चल रही है उसे भी समाप्त कर देना चाहिए। इस बारे में यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने संगठनों को मान्यता देने के बारे में धेवर आयोग की सिफारिशों तक को स्वीकार नहीं किया है। मैंने यह सिफारिश की थी कि संगठनों को बैलट द्वारा मान्यता दी जाय।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी निवेदन करना है कि कलकत्ता में श्री कपूर की कम्पनी पर छापे मारे गये और आयकर विभाग की जांच से गड़बड़ी पता चली है, परन्तु इस मामले को दबाया जा रहा है। इसका श्री बीजू पटनायक तथा श्री कपूर कांग्रेस में उच्च स्थान रखते हैं। उधर काश्मीर मृत्तिका शिल्प (सेरेमिक्स) का घोटाला भी सुना जा रहा है। अमींचन्द प्यारे लाल को इसी के लिए ही स्टेनलेस स्टील, नालीदार चादरें, मशीनें इत्यादि दी गई हैं। परन्तु जो भी ये चीजें मिलीं वे सब चोर बाजार में चली गयीं। इसी तरह का एक और मामला है कि श्री गोइनका द्वारा इन्दौर के बैंक में 100 किलोग्राम सोना जमा किया गया था। यह बयान बिलकुल झूठा है। इस बयान को रद्द कर दिया गया है। परन्तु बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उनसे पूछा ही नहीं गया कि उन्होंने गोइनका से पिछली तारीख वाला बयान क्यों स्वीकार किया। मेरा निवेदन यह है कि इन सब मामलों की जांच की जाए और अपराधियों को दंड दिया जाय।

Shri Bade (Khargone) : Supplementary Demands very clearly indicated the effect of the devaluation in the country and her resources. This is also not true to state that this devaluation has not at all effected the economic situation of the country..... (भाषण अपूर्ण)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re. THIRTEENTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि यह सभा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के वर्ष 1963-64 के तेरहवें प्रतिवेदन पर, जो 12 अप्रैल, 1966 को सभा पटल पर रखा गया था विचार करती है।"

इस सन्दर्भ में मुझे यह निवेदन करना है कि 1963-64 का प्रतिवेदन अप्रैल 1966 में सभा पटल पर रखा गया था। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने जनवरी 1965 के अन्त में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसका कारण आयुक्त की बीमारी थी। प्रतिवेदन के छपने में भी कुछ समय लग गया। प्रतिवेदन के अनुवाद करने में चार मास का समय व्यतीत हो गया। इस सब कारणों से प्रतिवेदन आने में देरी हो गयी। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन की सिफारिशों का जहां तक सम्बन्ध है, वे कुल मिला कर 277 हैं। बहुत सी सिफारिशें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध राज्य सरकारों से ही है। जिन सिफारिशों का सीधा सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है, उन पर अधिकांश रूप से कार्यवाही हो चुकी है। जहां इस दिशा में कुछ व्यापक कार्य करना है, वह भी हो रहा है। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है हमने उन पर बार-बार दबाव डाला है कि वे उन सिफारिशों को कार्यान्वित करें।

इस बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा कार्यक्रमों को बहुत ही महत्व दिया गया है। प्रत्येक योजना के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी अनुदानों में वृद्धि की जा रही है। जो क्षात्रवृतियां हम दे रहे हैं, विशेषकर, मैट्रिक की परीक्षा पास करने बाद शिक्षा जारी रखने के लिए, उनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। 1959 तक तो छात्र वृत्तियां केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही दी जाती थीं। परन्तु उसके बाद 1959-60 में समाज कल्याण विभाग ने अतिरिक्त अनुदान देने आरंभ कर दिये। पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्तियां बढ़ा दी गईं। इसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित अदिम जातियों में प्रत्येक अधिकारी छात्र को छात्रवृत्ति मिल गई। लगभग अनुसूचित जातियों के सभी क्षात्रों को छात्रवृति मिल गई। एक बात स्पष्ट है कि ये छात्र वृत्तियां केवल उन्हीं छात्रों को उपलब्ध होंगी, जिनके साधन अधिक नहीं होंगे। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि मैट्रिक की शिक्षा के बाद की पढ़ाई के लिए भी छात्रवृत्ति में वृद्धि कर दी जाय। आशा है कि इस दिशा में भी उचित निर्णय शीघ्र हो जायगा।

यह भी तथ्य की ही बात है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 के होते हुए भी अस्पृश्यता की समस्या का ठीक प्रकार से विश्लेषण नहीं किया जा सका है। मेरा यह विश्वास है कि यह रोग केवल कानून के डंडे से ठीक नहीं हो सकेगा। हमें उनके दिल और दिमाग बदलने होंगे। जब तक उन लोगों के दिल और दिमाग नहीं बदलेंगे तब तक इन जातियों के लोगों में कोई सुधार नहीं होगा। इन लोगों की आर्थिक स्थिति को भी सुधारना होगा। इस दिशा में पग उठाये गये हैं। दूसरी योजना में अनुसूचित अदिम जातियों के लिए हमने 43 विशेष बहु प्रयोजनी आदिम जाति खंड आरम्भ किये थे। तीसरी योजना में हम ने 415 अनुसूचित आदिम जाति खंड आरम्भ किये थे, परन्तु इसके साथ, कुछ शर्तें लगा दी गयी थीं। चौथी योजना में हम वहां भी आदिम जाति खंड खोलना चाहते हैं, जहां आदिम जातियों की संख्या 50 प्रतिशत है। एक मोटे से अनुमान के अनुसार चौथी योजना में ऐसे खंड 307 होंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि तीसरी योजना के अन्तर्गत 415 खंड तथा चौथी योजना में 307 खंड खोलने के बाद भी बहुत सी आदिम जातियां इन खंडों से बाहर रहेंगी। अतः हम कुछ उपखंड उन क्षेत्रों में आरम्भ करने जा रहे हैं जहां आदिम जातियां केन्द्रित हैं ताकि सामुदायिक विकास विभाग को इस उद्देश्य के लिए सहायता दी जा सके कि उपरोक्त क्षेत्रों में आदिम जाति लोगों की सहायता की जा सके। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इससे काफी विकास की सम्भावना है।

उपरोक्त जो खंड स्थापित किये गये हैं, इनमें से कुछ का अध्ययन किया गया है। यह महसूस किया गया है कि यदि इस दिशा में क्षेत्र का विस्तार कर लिया जाय तो कार्य अच्छी तरह से किया जा सकेगा। आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, संचार सम्बन्धी कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं को अच्छी प्रकार से कार्यान्वित किया जा सकेगा। उच्च विद्यालय भी स्थापित किये जा सकेंगे। चौथी योजना में इस बारे में विचार किया जा रहा है। मई में पिछड़े वर्गों के राज्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में जो सुझाव दिये गये थे, उस पर सरकार विचार कर रही है। आशा है कि शीघ्र ही उचित निर्णय कर लिया जायेगा।

एक अन्य बात की ओर भी मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहती हूं। शिक्षा सुविधायें देने के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों दोनों का सेवाओं में भी प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक नहीं है। हमने आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० की परीक्षाओं के लिये तैयार करने के लिये इलाहाबाद में एक "परीक्षा पूर्व" प्रशिक्षण केन्द्र खोला था। उसके परिणाम स्वरूप काफी संख्या में आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० में छांट लिये गये। इससे प्रोत्साहित होकर हम सोच रहे हैं कि इस प्रकार के कुछ अन्य परीक्षा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र दूसरी सेवाओं के लिए, अर्थात् केन्द्र तथा राज्य सरकार की सेवाओं तथा निचली श्रेणी की परीक्षाओं के लिए भी स्थापित किये जाने चाहिए। उसके लिए केन्द्र से शत प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। कुछ राज्य सरकारों ने भी कुछ केन्द्र स्थापित किये हैं। इन शब्दों से मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बसुमतारी (ग्वाल पाड़ा) : यह बात तो बड़ी स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद से अनु-

सूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों ने काफी प्रगति की है। फिर भी अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। इन लोगों को अन्य समुदायों के स्तर पर लाने के लिए अभी बहुत प्रयास करने की अपेक्षा है। यह भी देखने वाली बात है कि ये आदिम जाति के लोग धनी वर्ग के हाथ से काफी परेशान हैं और उनके ऋण के नीचे बहुत बुरी तरह से दबे हुए हैं। इसके लिए सहकारी समितियों को उनके लिए कुछ करने का प्रयास करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सरकार को इन जातियों के लोगों के लिए अधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा से ही इन लोगों का सामाजिक स्तर बढ़ाया जा सकता है। अतः विभिन्न स्थानों पर अधिक चिकित्सालय, स्कूल भवन तथा विद्यालय स्थापित किये जाने चाहिए। आसाम के आदिम जाति क्षेत्र काफी बिखरे हुए हैं। संचार व्यवस्था बड़ी विकट है। विद्यार्थियों को स्कूल से आने जाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अच्छा हो यदि इन स्कूलों के साथ साथ इन जातियों के लोगों के लिए छात्रावास की व्यवस्था कर दी जाये। इससे उन्हें कुछ सुविधा हो जायेगी। इस दिशा में मेरा यह भी निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को विद्यार्थियों के लिए क्षात्रावास के स्थान के लिए धन देने से पूर्व उस क्षेत्र के संसद सदस्यों से परामर्श कर लेना चाहिए ताकि धन का प्रयोग ठीक दिशा में हो।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी निवेदन करना है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लोगों को आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० की परीक्षाओं के प्रशिक्षण देने के लिए कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं। इसी प्रकार की संस्थायें प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की सेवाओं के लिए भी स्थापित की जानी चाहिए। मेरा तो सरकार से यह भी आग्रह है कि प्रत्येक राज्य के लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग में भी इन जातियों के प्रतिनिधियों को लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि आदिम जाति क्षेत्रों में संचार व्यवस्था के सुधार करने के लिए शीघ्र ही पग उठाये जाने चाहिये। यद्यपि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस विशाल पर्वतीय प्रदेश का विकास तुरन्त कर पाना सरल नहीं है। इसमें समय लग सकता है।

श्री वारियर (त्रिचूर) : जब अनुसूचित जातियों की सूची तैयार की गई थी बहुत सी जातियों ने अपने आप को इस सूची में दर्ज नहीं करवाया था क्योंकि उनका विचार था कि ऐसा करने से उनका अवमान होगा। परन्तु जब उनको मालूम हुआ है कि इससे उन लोगों को कुछ लाभ होने वाला है तो उन्होंने प्रार्थना की कि उनको भी सूची में दर्ज किया जाये।

अनुसूची में कुछ अनियमिततायें हैं। ऐसी जातियों को जिन्होंने पहले अपने आप को इस अनुसूची में शामिल नहीं करवाया था परन्तु, अब इसके लिये प्रार्थना की है कि उनको इस अनुसूची में शामिल कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार की एक जाति केरल में 'कुम्बाकास' है और मद्रास में 'वैद्यास' है। 'कुम्बाकास' जाति के लोगों की दशा अनुसूचित जाति के लोगों से भी खराब है। वे एक विशेष भाषा बोलते हैं। उनमें कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। इसलिए

मेरा निवेदन है कि इन लोगों को वही सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए जो कि अनुसूचित जाति के लोगों को उपलब्ध की जाती हैं।

केरल में कुछ ऐसी जातियां हैं जो न केवल अछूत हैं बल्कि उन तक पहुंचना भी कठिन है। परन्तु उनको भी अनुसूची में सामिल नहीं किया गया है। इन जातियों में शिक्षित व्यक्ति नहीं हैं इसलिए ये अपनी मांगें अथवा शिकायतें सरकार तक नहीं पहुंचा सके। यही कारण है कि इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। वास्तव में उन में से अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं है कि उनको भी सूची में शामिल होने से किसी प्रकार की सुविधा मिल सकती है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को अधिक क्षात्र वृत्तियां दी जानी चाहिए।

यह कहा जाता है कि अस्पृश्यता को संसद के अधिनियम द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी लोग इन कठिनाइयों से पीड़ित हैं। यदि किसी हरिजन को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ अन्य व्यक्तियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। हरिजन लोग उपलब्ध कानूनी सुविधाओं से भी लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि न्यायालयों में जाने की क्षमता उनमें नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सरकार इन लोगों को निःशुल्क सहायता दे।

जब कभी भी नई परियोजनाएं प्रारम्भ की जाती हैं तो आदि वासी लोगों को बेघर कर दिया जाता है और उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती है। इसके परिणाम-स्वरूप लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसी परियोजनाओं की मंजूरी देने से पूर्व सरकार को इन से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए पुनर्वास तथा रोजगार का पूरा प्रबन्ध करना चाहिए।

हमारे राज्य में नये बागान के मालिक इन क्षेत्रों से आदिम जाति के लोगों को निकाल रहे हैं और उनके स्थान पर नये मजदूर भर्ती कर रहे हैं। इन आदिम जाति लोगों को इन बागान में रोजगार न देने का कोई कारण नहीं है। यदि इन लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाये तो ये लोग अच्छे मजदूर सिद्ध हो सकते हैं, रोजगार मिलने पर यह लोग अपने जीवन स्तर में भी सुधार कर सकेंगे।

आदिम जाति के लोग वनों से सामान इकट्ठा करके जब नगरों में आते हैं तो व्यापारी लोग उनको शोषण करते हैं और उनको उनके सामान की पूरी कीमत नहीं देते हैं, सरकार को चाहिए कि वह इन लोगों के लिए भण्डार खोले और उनके सामान के बदले उन्हें सामान तथा नकद रुपया देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले।

विभिन्न राज्यों को अनुसूचित जाति, पिछड़ी हुई जातियां तथा आदिम जातियों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू करने चाहिए। इन जातियों के अधिकांश लोग कृषि मजदूर हैं।

सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक स्थान पर न्यूनतम कृषि मजूरी लागू की जाये।

Shri Gulshan (Bhatinda): It is a matter of regret that even after eighteen years of independence there has not been even little improvement in the condition of Schedule Castes and Schedule Tribes people. In the economic and social fields they are still as much backward as they were before independence.

According to the report of the Schedule Caste and Schedule Tribes Commission, the funds allotted for the education, economic developments, rehabilitation, health and other matters, concerning Harijans, Schedule Caste and Schedule Tribe people have not been utilized fully. Much of the funds have gone waste.

Nothing has been done to allot land to the landless farmers. Rehabilitation department of the centre has sold nearabout one lakh acre of land to the Punjab Government on very cheap rates. That land is now being auctioned at very high rates and therefore people belonging to backward classes cannot purchase it. This is improper.

Some drastic steps should be taken by Government to improve the condition of the people of these classes so that they could come at par with the other castes.

श्रीमती अकम्मा देवी (नीलगिरि): अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सम्बन्धी आयुक्त ने जनवरी, 1965 में अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया था परन्तु सरकार ने इस प्रतिवेदन को अप्रैल, 1966 में सभापटल पर रखा है। इस विलम्ब का सरकार द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कोई विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय को विभिन्न समितियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए की गई सिफारिशों को सभा पटल पर रखना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि इनमें कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है। यद्यपि कल्याण कार्य के लिए एक बड़ी राशि निर्धारित की जाती है तथापि यह लाभ उन लोगों को नहीं होता जिनको वास्तव में होना चाहिए।

सर्व प्रथम मैं पंचायती राज की स्थापना में विभिन्न समितियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख करूंगी।

[**श्री पं० वेंकटासुब्बय्या पीठासीन हुए**
Shri P. Venkatasubbaiah in the Chair]

प्रतिवेदन में बताया गया है कि कई राज्यों में पंचायती राज्य के निकायों में इन जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित हुए कई वर्ष हो गये हैं किन्तु स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और अन्य समितियों में अब तक इन पिछड़ी हुई जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की गई हैं सरकार को उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए।

जहां तक अस्पृश्यता निवारण का सम्बन्ध है, हरिजनों की मन्दिरों, होटलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की बात ही अलग है उनको पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं किया जाता जोकि जीवन की एक अत्यन्त आवश्यकता है। कुछ राज्यों में किये गये सर्वेक्षण से पता लगा है कि हरिजनों को उच्च घरानों के कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता जबकि उनके लिए पृथक कुएं भी नहीं हैं। यह एक बड़ी ही दयनीय अवस्था है और दुर्भाग्य की बात है।

मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्थात नीलगिरि पहाड़ियों में मुख्यरूप से आदिम जातियां ही बसी हुई हैं। इस क्षेत्र में जहां कि 15,000 आदिम जाति लोग रहते हैं एक आदिम जाति विकास खण्ड की स्थापना की जानी चाहिए और इस क्षेत्र को तदर्थ अनुदानें दी जानी चाहिए।

पिछड़े वर्ग के लोगों को आवास की सुविधायें भी दी जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि चौथी योजना में इस उद्देश्य हेतु अधिक धन निर्धारित किया जाना चाहिए। छावनियों में रहने वाले हरिजनों के पास मकान आदि नहीं हैं उनके लिए आवास की सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए।

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दपल्लि) : इस समय हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति सम्बन्धी आयुक्त के अन्तिम प्रतिवेदन पर नहीं बल्कि 1963-64 के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं।

संविधान निर्माताओं की यह इच्छा थी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन को पहले भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये फिर राष्ट्रपति की ओर से उसे चर्चा के लिए सभापटल पर रखा जाना चाहिए। परन्तु, हमने आज तक यह नहीं सुना कि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित कोई प्रतिवेदन राष्ट्रपति को कभी भी भेजा गया हो। यदि वर्तमान प्रतिवेदन की भी चर्चा के बाद इसी प्रकार उपेक्षा की जाती है तो आयुक्त के कार्यालय की कोई उपयोगिता ही नहीं है।

वर्तमान आयुक्त छुट्टी पर है और उसके स्थान में कोई व्यक्ति नहीं लगाया गया है। इसलिए मेरा विचार है कि मंत्रालय तथा आयुक्त अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा करते हुए संविधान की भावना के अनुसार अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं।

मुझे आशा है कि वर्तमान मंत्री महोदय आयुक्त द्वारा आरम्भ से अब तक की गई सिफारिशों का अध्ययन करेंगे तथा देखेंगे कि इनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है तथा कार्यान्वित किया गया है। यदि सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कुछ अड़चने उत्पन्न हो रही हों तो सरकार को सभा को इस बारे में सूचित करना चाहिए।

समितियों का गठन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि कुछ कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है और जो स्वयं कोई जिम्मेदारी लेने से डरता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

आदिम जाति की समस्याओं को देखने वाले मंत्रालय को ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। यदि इन लोगों की समस्याओं को जानने के लिए पुनः कोई समिति नियुक्त की गई और उससे सिफारिशें मांगी गईं तो अनुसूचित जातियों का यह विश्वास और भी दृढ़ हो जायेगा कि सरकार सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सच्चे हृदय से कार्य नहीं करना चाहती।

उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि पदोन्नतियों में भी आरक्षण होना चाहिए। परन्तु, इस निर्णय के पश्चात् कुछ कार्यालयों के प्रधानों ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के रिपोर्ट खराब कर दी हैं। इसके परिणामस्वरूप न तो वे लोग न्यायालय के निर्णय से लाभ उठा सकते हैं और न ही वे सामान्य रीति से पदोन्नति कर पाये हैं।

इतने वर्षों के पश्चात् भी प्रतिरक्षा मंत्रालय इन जातियों से कुछ भिन्न तरीके से ही व्यवहार कर रहा है। इन जातियों के लिए मंत्रालय स्थान आरक्षण नहीं करती है हालांकि संविधान में इसकी व्यवस्था है। मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा नहीं दी जा रही है। सैनिक स्कूलों में इन जातियों के लिए स्थान आरक्षण किये जाने चाहिए।

यदि छोटे पैमाने के उद्योगों को आरम्भ करने सम्बन्धी नियमों, विनियमों अथवा शर्तों को देखें तो मालूम होगा कि अनुसूचित जातियों का कोई भी व्यक्ति इनको आरम्भ नहीं कर सकता है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के पास भी इन लोगों की सहायता के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि खादी और ग्राम उद्योग कार्यक्रम के अधीन इन जातियों की आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए कोई योजना बनाई जानी चाहिए।

गृह-कार्य मंत्रालय ने एक नोकुर समिति बनाई थी, इस पर बहुत धन भी खर्च किया गया था। इस समिति ने यह सुझाव दिया था कि कुछ जातियों तथा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची से निकाल दिया जाये क्योंकि इन जातियों को पर्याप्त लाभ हो चुका है। मंत्रालय को इस समिति के प्रतिवेदन पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Today, the report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is before us. There is nobody to look after this department. The Commissioner has not been posted for the last 5-6 months.

The Commissioner is bound to go to every village and study the position and on that basis compile the report of Survey. This practice is not being followed. The scheduled castes have been neglected so far. They are being discriminated in every field. This should not happen in future. What steps are being taken by Government to remove this discrimination?

As regards representation of these classes in Government Services, it may be stated that it is very deplorable. Their percentage in Class IV Services has tremendously increased but in higher Services their percentage is very low and practically there has not been any remarkable increase. The percentage of these castes in Class I Services is only 0·58 per cent. They are

not being given promotions in accordance with article 335 of the Constitution. Gandhiji's formula should be implemented and they should be promoted on the basis of percentage fixed for them.

Untouchability is a crime in law. No body can be prevented from entering into Temples. Every body has equal rights to stay in Dharmsala and access to all places of recreation, Hospitals and Educational Institutions.

Persons who will commit such crimes shall be liable to imprisonment for six months or for a penalty of Rs. 500 or both. I want to know that how many persons have been punished and penalised ?

15 crores of scheduled castes are committed to cannon and sword. A person was killed in a village of Bharatpur on 4-8-66 on the plea that he refused to accept wage of Rs. 1·50 per day whereas the other party was prepared to give Re. 1 a day. The Police Inspector who conducted the enquiry, returned without any achievement. The ears and noses of kiths and kins of Shri Panna Lal Basu Pal were cut off on account of not casting votes in the Panchayat elections.

An amount of Rs. 3 crores was allocated to Rajasthan for the amelioration of the lot of Scheduled Castes. Only a sum of Rs. 75 lakhs was spent on them out of this money. Similarly all the money was not utilised for supply of water to these castes and they have to bring water from dirty drains etc.

When we take up the question of education, we find that not even a single student of Scheduled Caste has been sent abroad for higher education whereas innumerable students have been given scholarships for going abroad. 30 students of other castes have been sent abroad. I want to know that why not even a single student of Schedule Caste has been sent abroad ?

Hostels for the students of these classes have not been well-designed. These are not properly looked after and very poor diet is supplied to the students. The students find it difficult to live in such hostels and devote their time to studies.

A plan was drawn to construct houses for these castes in 5,000 villages but only 2,754 villages were selected for this purpose. 42,100 houses were proposed to be built but against this only 1,89,000 houses have been constructed.

There are 15 crores Scheduled Castes out of a total population of 45 crores. 18,000 houses have been constructed for them. This is very low number. Government should make proper arrangement. The provision of Rs. 750/- for a house is also very low. There are certain colonies in Delhi of these people which have been neglected. There is neither any arrangement for water and electricity nor there is any post office and Transport arrangement. J. J. Colony, Nehru Nagar and Gandhi Nagar can be mentioned in this regard.

If the Government is really interested in the welfare of Harijans, then they should direct the State Governments to fully utilise the money allocated for the amelioration, of these people. Very small amount is allocated for Social Services. For real uplift it is essential that higher amount should be sanctioned and that money should be fully utilised. There should be

proper arrangements of education, water, hostel and residential accommodation for these people and the students of these castes should be given scholarships for education in foreign countries. Injustice should not be done with Harijans.

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : The Census of 1961 does not reveal the correct figure of scheduled castes and other backward classes. According to me they are 22 crores. Therefore an amount of Rs. 5 crores which is being spent on them for their upliftment is very insufficient. The aim of socialism will not be achieved if weaker sections are not given sufficient facilities. By this time after independence nothing tangible has been done for their amelioration..I hope, Shri Ashok Mehta, who is a pioneer of Socialism, will devote greater attention to this section of the people for their early upliftment.

It is learnt that Home Ministry has withdrawn the concession given to these people in respect of employment. The effects of this policy would be deteriorating and they would be driven back. The Government should consider this aspect of the problem.

There is food crisis in the country and we have to import foodgrains from foreign countries. This problem can be solved if uncultivated land is given to landless and agricultural labourer, which are mostly Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We can be self-sufficient if the facilities that are provided to them also include supply of water, fertilizers and implements. I have seen in the states that land is being sold to these people at very high prices whereas it was procured from the Centre at very nominal prices. This should not happen. Waste land is alloted to them and they are made to pay full prices. They should be given the facility to make payment by instalments. This will give employment to these people and make us self-sufficient in food.

There is no Scheduled Caste member in the Public Service Commission who could look after their interests in recruitment. The Ministers do not pay attention to their caste and they are conscious of their seats only. With regard to educated it may be emphasised that the scholarships that are given, are very insufficient. All these facts should be given due consideration.

They should also be given financial assistance in small scale industries so that persons who cannot work on land can be absorbed in this industry. The Central Government should fix a financial ceiling. They should set up a corporation with branches in every State. The money provided for these castes should be spent on them. Only by this way the target of Government and the cherished dream of Mahatma Gandhi can be fulfilled.

Shri Balmiki (Khurja) : Today even after the completion of many plans and planned programme the problem of Scheduled Caste is gathering momentum, but it is not being considered seriously. The evil of untouchability is present in the country as revealed by the report of the Commission. Happenings of atrocities, externment etc. are taking place even today. The spirit of inequality and provincialism is spreading throughout the country and nothing is being done to do away with this. Until and unless the evil of untouchability inequality and provincialism is checked, our country will not step towards socialism.

It is very deplorable that money is allocated for the uplift of these castes but it is not spent on them. The State Governments are reluctant. There is no incentive at district Level. This is the reason that there is no advancement in our programmes... (भाषण अपूर्ण)

सभापति महोदय:—माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए माध्यम के बारे में आधे घंटे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION Re. MEDIA FOR U.P.S.C. EXAMINATIONS

श्री सेझियान (पेरामबालूर) : संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए माध्यम का प्रश्न सभी लोंगों , विशेषकर अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों, के दिमाग को उत्तेजित करता रहा है । सरकार काफी समय से इस मामले में खामोश है । गृह-कार्य के उप-मंत्री ने एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग ने सरकार को एक गुप्त पत्र भेजा है और उसे बताना लोक हित में नहीं है । अध्यक्ष महोदय ने इस प्रश्न की वास्तविकता जानने का बचन दिया था । इसका स्पष्टीकरण दिया जाए ।

मद्रास के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से बताया है कि संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षओं के लिए सभी चौदह भाषाओं का प्रयोग आरम्भ करने की एक योजना तैयार की है । मंत्री महोदय सदन को यह बतायें कि क्या मुख्य मंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है । 30 जुलाई को गृह मंत्री ने हिन्दी सलाहकार समिति को सूचित किया था कि संघ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम के लिए, संविधान में उल्लिखित सभी चौदह भाषाओं का प्रयोग आरम्भ करने की तैयारियां कर रहा है । संसद में तीन दिन पहले उन्होंने जिस बात से इन्कार कर दिया उसी से उन्होंने एक अलग बैठक में हिन्दी सलाहकार समिति को सूचित कर दिया है । इसलिए अब यह गोपनीय मामला नहीं रहा बल्कि पत्रों में आ गया है । गृह मंत्रीं ने ऐसा कहा है । मद्रास के मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा है तथा गृह कार्य मंत्री ने हिंन्दी सलाहकार समिति में जो कुछ कहा है उसे देखते हुए इस सभा को विश्वाश में नहीं लिया गया है ।

कांग्रेस कार्यकारणी समिति ने दिनांक 5 अप्रैल , 1954 के एक संकल्प द्वारा सिफारिश की थी कि अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाएं क्रमशः हिंन्दी, अग्रेंजी और अन्य प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं में ली जायें और उम्मीदवारों को परीक्षा में इन में से किसी भी भाषा का प्रयोग करने की छूट दी जाये । यह संकल्प वर्ष 1955 में सरकारी निदेश के रूप में स्वीकार किया गया था । मंत्री महोदय हमें यह बतायें कि क्या सरकार ने सिद्धांत रूप से यह मान लिया है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सभी प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए और वह उसे किस प्रकार कार्यान्वित कर रही है । सदन को यह स्पष्ट बताया जाय कि क्या सरकार कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के संकल्प को जिसे उसने अपने निदेश के रूप में स्वीकार कर लिया है , कार्यान्वित कर रही है ।

यह भी बताया जाय कि क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए निर्धारित सभी विषयों के लिए अथवा केवल एक दो विषयों के लिए ही सभी प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग आरंम्भ करने वाली है । यदि वह केवल हिन्दी को प्रयोग के तौर पर ही लागू करने जा रही है तो वह बड़ा गम्भीर और घातक श्रीगणेश होगा । अहिंदी भाषी जनता भाषा के प्रश्न पर बहुत उत्तेजित है । केवल दक्षिण भारत के लोग ही नहीं बल्कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा काश्मीर आदि के लोग भी काफी उत्तेजित हैं । जब भी हिंन्दी का प्रश्न, सरकारी भाषा का प्रश्न

उठाया जाता है, यह लोग डर से उत्तेजित हो जाते हैं। इसलिए सरकार इस सन्बन्ध में एक स्पष्ट वक्तव्य दे।

मंत्री महोदय यह भी बतायें कि सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्नपत्र होगा।

आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पोलिस सेवा के लिये हिन्दी एक वैकल्पिक विषय है। किसी भी अन्य प्रादेशिक भाषा को वैकल्पिक विषय नहीं बनाया गया है। औसतन, जो उम्मीदवार हिन्दी विषय लेते हैं वे अन्य विषय लेने वाले उम्मीदवारों के मुकाबले में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं। 1963 के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। उस वर्ष 'पयूर मैथीमैटिक्स' में उम्मीदवारों के औसतन अंक 27 प्रतिशत थे; व्यावहारिक गणित में औसतन अंक 25 प्रतिशत थे; विश्व इतिहास में औसतन अंक 33 प्रतिशत थे; राजनीति शास्त्र में औसतन अंक 37 प्रतिशत थे; विधि में औसतन अंक 29 प्रतिशत थे।

सरकार को यह स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिये कि क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये निर्धारित सभी विषयों के लिये अथवा केवल एक दो विषयों के लिये ही सभी प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग आरंभ करने का इरादा है। यदि सरकार केवल हिन्दी को प्रयोग के तौर पर ही लागू करने जा रही है तो यह बहुत घातक श्रीगणेश होगा। अहिन्दी भाषी लोग भाषा के प्रश्न पर बहुत उत्तेजित हैं। सरकार को दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिये और इसका स्पष्टीकरण कर देना चाहिये।

श्री कंडप्पन (तिरूचेंगोड) इससे बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। यदि कोई उच्च अधिकारी हिन्दी नहीं जानता तो उसे बहुत कठिनाई होगी। मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि अहिन्दी भाषी लोगों की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और उनके हितों की रक्षा होगी।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जब तक संघ लोक सेवा आयोग सभी प्रादेशिक भाषाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र परीक्षण का सूत्र निश्चित नहीं करता तब तक अंग्रेजी में परीक्षा की पद्धति जारी रखी जायेगी।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भेजे गये एक गुप्त पत्र का आशय था कि केवल हिन्दी के बारे में ही, न कि अन्य प्रादेशिक भाषाओं के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाये। इससे देश की एकता को खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि देश की सभी प्रादेशिक भाषाओं की परीक्षा होना असम्भव है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : संघ लोक सेवा आयोग के गुप्त पत्र के बारे में अध्यक्ष महोदय ने भी माना है कि इसे जनहित को ध्यान में रखते प्रकाशित नहीं किया जाये। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग ने ऐसी बात नहीं कही कि अंग्रेजी और हिन्दी को छोड़ अन्य भाषाओं में परीक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती।

इन परीक्षाओं के लिये भाषा के प्रश्न पर कई बार विचार हो चुका है और इस बारे में स्वर्गीय श्री पन्त ने आश्वासन दिया था कि संसद की एक समिति इस बारे में विचार करेगी। उस समिति ने अपना सर्वसम्मति से निर्णय दिया था। उसमें कहा गया था कि अंग्रेजी और हिन्दी इन परीक्षाओं में प्रयोग में लायी जा सकेंगी। राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी इसकी पुष्टी की थी। उसके बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने निर्णय किया कि सभी प्रादेशिक भाषाओं को प्रयोग में लाया जाये। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और सरकार अपने इस आश्वासन पर स्थिर है कि 14 भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम बनाया जायेगा। सरकार जो भी आश्वासन देती है उसे पूरा करती है। मद्रास के मुख्य मंत्री ने जो बात कही है वह सत्य है और वह हमारे निर्णय के अनुसार है। संघ लोक सेवा आयोग 14 प्रादेशिक भाषाओं में परीक्षा लेने की व्यवस्था कर रहा है। जब यह व्यवस्था हो जायेगी तो इस निर्णय को कार्यान्वित किया जायेगा। हम सभी भाषाओं को एक साथ जारी करना चाहते हैं। इस बारे में कुछ कठिनाइयां हैं और अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। हम उन पर विचार कर रहे हैं। हमने सभी मंत्रालयों में अनुवाद सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध कर लिया है और अब अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। अब विभिन्न राज्यों में देश की विभिन्न भाषाओं के अध्ययन तथा अध्यापन की सुविधाएँ उपलब्ध की जा रही हैं। यह एक अच्छी बात है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 19 अगस्त, 1966/28 श्रावण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 19th August, 1966/Sravana 28, 1888 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—20-2-68—565.